حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (سورة البقرة 238)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح

नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
(سورة البقرة 238)

नमाज़ के लिए आओ सफलता के लिए आओ

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاة وَالسَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيم وَعَلىٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके क़ुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की क़ुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूट्यब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें पु न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में खुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

उर्दू में इस किताब (नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ) के बहुत से एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। अंग्रेज़ी और हिन्दी में यह किताब नमाज़ की अहमियत व ताकीद व फज़ीलत व मसायल से मुतअल्लिक़ मेरे 31 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। तमाम ही मज़ामीन क़ुरान और हदीस के दलाएल की रौशनी में लिखे गए हैं। इख्तिलाफी मसायल में 80 हिजरी में पैदा हुए हज़रत इमाम अबु हनीफा की राय को क़ुरान व हदीस की रौशनी में राजेह क़रार दिया गया है।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को क़ुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

مفتی ابو القاسم نعمانی
مہتمم دار العلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No.........   Date:..... ....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔ ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دار العلوم دیوبند
١٤٣٧/٦/٣ھ

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات ووسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کردیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگرچہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء وداعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہورہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی واصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر ومحقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعال ومتحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی واصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لارہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب وروز کی مصروفیات وجدوجہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالی ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی

ایم. پی. لوک-سبھا (انڈیا)

وصدر آل انڈیا تعلیمی وملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی

Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سماگئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنادیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جارہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل وابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق وفصل کے تمام تصورات بے معنی ہوکر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کردیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہوگیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا انگیز مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل وذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسرکار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کرکے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جارہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دوسو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جارہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ انداز تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک وتشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

नमाज़ की अहमियत

नमाज़ ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुक्न है। क़ुरान करीम और अहादीस शरीफा में नमाज़ की अहमियत व फज़ीलत को कसरत से ज़िक्र किया गया है। जिन में नमाज़ क़ायम करने पर बड़े बेड़वादे और नमाज़ न पढ़ने पर सख्त वईदें आई हैं। क़ुरान व हदीस में इस अहम और बुनियादी फ़रीज़ा को कसरत से बयान किया गया है। सिर्फ क़ुरान पाक में तक़रीबन सात सौ मरतबा कहीं इशारतन और कहीं सराहतन मुख़्तलिफ़ उनवानात से ज़िक्र मिलता है। सिर्फ नमाज़ ही दीन इस्लाम का एक ऐसा अज़ीम रुक्न है जिसकी फरज़ियत का एलान ज़मीन पर नहीं बल्कि सातों आसमानों के ऊपर बुलंद व आला मक़ाम पर मेराज की रात हुआ। नीज़ इसका हुकुम हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के ज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा बल्कि अल्लाह तआला ने फरज़ियते नमाज़ का तोहफा खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया।

मेराज के वाक़या की तारीख और साल के मुतअल्लिक़ मुअरिरखीन और अहले सियर की राय मुख्तलिफ हैं। उनमें एक यह है कि नबुवत के बारहवें साल 27 रजब को 51 साल 5 महीना की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। गरज़ ये कि मशहूर व मारूफ क़ौल के मुताबिक़ नमाज़ की फरज़ियत का हुकुम रजब के महीना में हुआ। इस अहम हुकुम की अहमियत व ताकीद के मुतअल्लिक़ बाज़ आयात व अहादीस शरीफ का ज़िक्र कर रहा हूं अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को इस अहम फ़रीज़ा की सही तरीका से अदाएगी करने वाला बनाए, आमीन।

आयाते क़ुरानिया

"जो किताब आप पर वही की गई है उसे पढ़िए और नमाज़ क़ायम कीजिए, यक़ीनन नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है।" (सूरह अनकबूत 45)

(वज़ाहत) नमाज़ में अल्लाह तआला ने यह खासियत व तासीर रखी है कि वह नमाज़ी को गुनाहों और बुराईयों से रोक देती है, मगर ज़रूरी है कि उसपर पाबन्दी से अमल किया जाए और नमाज़ को उन शराएत व आदाब के साथ पढ़ा जाए जो नमाज़ की क़बूलियत के लिए ज़रूरी हैं जैसा कि हदीस शरीफ में है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि फलां शख्स रातों को नमाज़ पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज़ जल्द ही उसको बुरे काम से रोक देगी। (मुसनद अहमद, सही इब्ने हिब्बान)

"ऐ ईमान वालो! सब्र और नमाज़ के ज़रिया मदद चाहो, बेशक अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ है।" (सूरह बक़रा 153)

(वज़ाहत) जब भी कोई परेशानी या मुसीबत सामने आए तो मुसलमान को चाहिए कि वह उस पर सब्र करे और नमाज़ का खास एहतेमाम करके अल्लाह तआला से तअल्लुक क़ायम करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर परेशानी के वक़्त नमाज़ की तरफ मुतवज्जा होते थे जैसा कि हदीस में है, हज़रत हुज़ैफा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप फौरन नमाज़ का एहतेमाम फरमाते। (अबू दाऊद, मुसनद अहमद)
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांच फ़र्ज़े नमाज़ों के अलावा नमाज़े तहज्जुद, नमाज़े इशराक, नमाज़े चाश्त, तहैयतुल वज़ू और तहैयतुल मस्जिद का भी एहतेमाम फरमाते। और फिर खास मौका पर अपने रब के हुज़ूर तौबा व इस्तिगफार के लिए नमाज़ को ही ज़रिया बनाते। सूरज गरहन या चांद गरहन होता तो मस्जिद तशरीफ ले जाते। ज़लज़ला, आंधी या तुफान यहां तक कि तेज़ हवा भी चलती तो मस्जिद तशरीफ ले जा कर नमाज़ में मशगूल हो जाते। फाक़ा की नौबत आती या कोई दूसरी परेशानी या तकलीफ पहुंचती तो मस्जिद तशरीफ ले जाते। सफर से वापसी होती तो पहले मस्जिद तशरीफ ले जाकर नमाज़ अदा करते।
इसलिए हमें भी चाहिए कि नमाज़ का खास एहतेमाम करें और अगर कोई परेशानी या मुसीबत आए तो नमाज़ की अदाएगी और सब्र के ज़रिया अल्लाह तआला से ममद मांगें। "**यह चीज़ शाक व भारी है मगर अल्लाह तआला से डरने वालों के मुश्किल नही।**" (सूरह बक़रा 45)
"**अल्लाह तआला ने फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज़ क़ायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे।**" (सूरह माईदा 12)
(वज़ाहत) यानी नमाज़ की पाबन्दी करने से अल्लाह तआला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बन्दा को अल्लाह तआला का सबसे ज्याद क़ुर्ब सजदे की हालत में हासिल होता है। गरज़ ये कि अल्लाह तआलाके

अहकाम को बजालाने, खास कर नमाज़ का एहतेमाम करने से अल्लाह तआला बन्दे के साथ हो जाता है।

“**यक़ीनन ईमान वालों ने कामयाबी पाई जो अपनी नमाज़ में ख़ुशू करते हैं .... और जो अपनी नमाज़ की खबर रखते हैं, यही वह वारिस हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे जहा वह हमेशा रहेंगे।**” (सूरह मोमेनून 1-11)

(वज़ाहत) इन आयात में कामयाबी पाने वाले मोमेनीन की छः सिफात बयान की गई हैं। पहली सिफत, ख़ुशू व ख़ुज़ू के साथ नमाज़ अदा करना और आखिरी सिफत फिर नमाज़ की पूरी तरह हिफाज़त करना। इससे जाहिर होता है कि नमाज़ का अल्लाह तआला के पास क्या दर्जा है और किस क़दर मोहतमबिश्शान चीज़ है कि मोमेनीन की सिफात को नमाज़ से शुरू करके नमाज़ ही पर खत्म फरमाया। इसके बाद अल्लाह तआआ ने इरशाद फरमाया कि यही वह लोग हैं जो जन्नत के वारिस यानी हक़दार होंगे। जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस जो जन्नत का आला हिस्सा है जहां से नहरें जारी हुई हैं। गरज़ ये कि जन्नतुल फिरदौस को हासिल करने के लिए नमाज़ का एहतेमाम बेहद ज़रूरी है।

“**बेशक इसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया है, जब उसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है और जब राहत मिलती है तो कजूसी करने लगता है। मगर वह नमाज़ी जो अपनी नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और जो अपनी नमाज़ की हिफाज़त करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त वाले होंगे।**” (सूरह अलमआरिज 19-35)

(वज़ाहत) इन आयात में जन्नतियों की आठ सिफात बयान की गई हैं जिन को नमाज़ से शुरू और नमाज़ पर खत्म किया गया है।

मालूम हुआ कि नमाज़ अल्लाह की नज़र में किस क़दर अज़ीमुश्शान इबादत है।

अहादीसे नबविया

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन आदमी के आमाल में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज़ सही हुई तो वह कामयाब व कामरान होगा और अगर नमाज़ सही न हुई तो वह नाकाम और खसारा में होगा। (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा, नसई, अबू दाऊद, मुसनद अहमद)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा, अगर नमाज़ अच्छी हुई तो बाक़ी आमाल भी अच्छे होंगे और अगर नमाज़ खराब हुई तो बाक़ी आमाल भी खराब होंगे। (तबरानी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ को उसके वक़्त में अदा करना। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने कहा उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज्याद महबूब है? तो आप ने फरमाया वालिदैन की फरमाबरदारी करना। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने कहा उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? तो आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। (बुखारी व मुस्लिम)

हज़रत औफ बिन मालिक अशजई (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल से

बैअत नहीं करते? आप ने तीन मरतबा इसको कहा तो हम ने अपने हाथ बैअत के लिए बढ़ा दिए और बैअत की। हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! हम ने किस चीज़ की बैअत की? तो आपने फरमाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो और नमाज़ की पाबन्दी करो। उसके बाद आहिस्ता आवज़ में कहा लोगों से किसी चीज़ का सवाल न करो। (नसई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मुसनद अहमद)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ का ज़िक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया जो शख्स नमाज़ का एहतेमाम करता है तो नमाज़ उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी, उस (के पूरे ईमानदार होने) की दलील होगी और क़यामत के दिन अज़ाब से बचने का ज़रिया होगी। और जो नमाज़ का एहतेमाम नहीं करता उसके लिए क़यामत के दिन न नूर होगा न उस (के पूरे ईमानदार होने) की दलील होगी, न अज़ाब से बचने का कोई ज़रिया होगा। और वह क़यामत के दिन फिरऔन, क़ारून, हामान और उबइ बिन खलफ के साथ होगा। (सही बिन हिब्बान, तबरानी, बैहक़ी, मुसनद अहमद)

(वज़ाहत) अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रहमतुल्लाह अलैह) ने (किताबुस्सलात) मे ज़िक्र किया है कि उनके साथ हशर होने की वजह यह है कि अक्सर इन्ही बातों की वजह से नमाज़ में सुस्ती होती है जो इन लोगों में पाई जाती थीं। तो अगर इसकी वजहमाल व दौलत की कसरत है तो क़ारून के साथ हशर होगा और अगर हूकूमत व सलतनत है तो फिरऔन के साथ और विज़ारत (या

मुलाज़मत) है तो हामान के साथ और तिजारत है तो उबइ बिन खलफ के साथ हशर होगा। जो लोग अपने आपको मुसलमान कहने के बावज़ूद बिल्कुल नमाज़ ही नहीं पढ़ते या कभी कभी पढ़ लेते हैं वह गौर करें कि उनका अंजाम क्या होगा। या अल्लाह! इस अंजामे बद से हमारी हिफाज़त फरमा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ नूर है, सदक़ा दलील है, सब्र करना रौशनी है और क़ुरान तुम्हारे हक में दलील है या तुम्हारे खिलाफ दलील है (यानी अगर उसकी तिलावत की और उस पर अमल किया तो यह तुम्हारी निजात का ज़रिया होगा, वरना पकड़ का ज़रिया होगा। (मुस्लिम)

हज़रत मआज़ बिन जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैं एक सफर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था एक दिन मैं आपके करीब था, हम सब चल रहे थे, मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसकी बदौलत मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बड़ी बात पूछी है, लेकिन अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे उसके लिए आसान है। अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न करो, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अल्लाह के घर का हज करो। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें इस मामला की असल, इसका सतून और इसकी अज़मत न बतला दूं। मैंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह! आप सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम ने फरमाया इसकी असल इस्लाम है और इसका सतून नमाज़ है और इसकी अज़मत

अल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद है। (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा,मुसनद अहमद)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला ने बन्दों पर पांच नमाजें फ़र्ज़ फरमाई हैं, जो इन नमाज़ों को इस तरह ले कर आए कि उनमें लापरवाही से किसी क़िस्म की कोताही न करे तो हक़ तआला का अहद है कि उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे और जो शख्स ऐसा न करे तो अल्लाह तआला का कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसको अज़ाब दे चाहे उसको जन्नत में दाखिल कर दे। एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला अपने बन्दों पर पांच नमाजें फ़र्ज़ फरमाई हैं जो नमाज़ को (क़यामत के दिन) इस तरह ले कर आए कि उनमें लापरवाही से किसी क़िस्मकी कोताही न की हो तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन इस बन्दे से अहद करके इसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और जो नमाज़ को इस तरह ले कर आए उनमें लापरवाही से कोताहियां की हैं तो अल्लाह उससे कोई अहद नहीं, चाहे उसको अज़ाब दें चाहे माफ फरमा दें। (मुअत्ता मालिक, इब्ने माजा, मुसनद अहमद) गौर फरमाएं कि नमाज़ की पाबन्दी पर जिस में ज़्यादा मशक्कत भी नहीं है मालिकुल मुल्क दो जहां का बादशाह जन्नत में दाखिल करने का अहद करता है, फिर भी हम इस अहम इबादत से लापरवाही करते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया जो शख्स पांचों नमाज़ों की इस तरह पाबन्दी करे कि वज़ू और औक़ात का एहतेमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह

नमाज़ पढ़ने को अल्लाह तआला की तरफ से अपने ज़िम्मे ज़रूरी समझे तो इस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया गया। (मुसनद अहमद)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज़ है, और नमाज़ की कुंजी पाकी (वज़ू) है। (तिर्मीज़ी, मुसनद अहमद)

हज़रत रबीया बिन काब असलमी (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास (आपकी खिदमत के लिए) रात गुज़ारता था। एक रात मैंने आप के लिए वज़ू का पानी और ज़रूरत की चीजें पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ सवाल करना चाहते हो तो करो। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि जन्नत में आपके साथ रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा कुछ और, मैंने कहा बस यही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करके मेरी मदद करो। (यानी नमाज़ के एहतेमाम से यह ख्वाहिश पूरी होगी) खुश नसीब हैं अल्लाह के वह बन्दे जो इस दुनियावी ज़िन्दगी में नमाज़ का एहतेमाम करके जन्नतुल फिरदौस में तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पाएं। (मुस्लिम)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज़ में रखी गई है। (नसई, बैहक़ी, मुसनद अहमद)

हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म की ज़बाने मुबारक से निकला आखिरी कलाम (नमाज़, नमाज़ और गुलामों के बारे में अल्लाह से डरो) था। (अबू दाऊद, मुसनद अहमद)

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने आखिरी वसीयत यह इरशाद फरमाई नमाज़, नमाज़, अपने गुलामों (और मातहत लोगों) के बारे में अल्लाह से डरो। (मुसनद अहमद)

हज़रत उमर अपने वालिद और वह अपने दादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अलआस) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों को सात साल की उम्र में नमाज़ का हुकुम करो, दस साल की उम्र में नमाज़ न पढ़ने पर उन्हें मरो और इस उम्र में उनको अलग अलग बिस्तर पर सुलाओ। (अबू दाऊद)

(वज़ाहत) वालिदैन को हुकुम दिया गया है कि जब बच्चा सात साल का हो जाए तो उसकी नमाज़ की निगरानी करें, दस साल की उम्रमें नमाज़ न पढ़ने पर पिटाई भी करें, ताकि बालिग होने से पहेल नमाज़ का पाबन्द हो जाए और बालिग होने के बाद उसकी एक नमाज़ भी छुटने न पाए, क्योंकि नमाज़ जान बूझ कर छोड़ने पर अहादीस में सख्त वईदें आई हैं, बल्कि बाज़ उलमा की राय के मुताबिक़ नमाज़ छोड़ने वाला मिल्लते इस्लामिया से निकल जाता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने गवर्नरों को ये हुकुम जारी फरमाया कि मेरे नज़दीक तुम्हारे मामलों में सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज़ की है, जिस ने नमाज़ की पाबन्दी करके उसकी

हिफाज़त की उसने पूरे दीन की हिफाज़त की और जिसने नमाज़ को अदा नहीं किया वह नमाज़ के अलावा दीन के दूसरे अरकान को ज़्यादा बरबाद करने वाला होगा। (मुअत्ता इमाम मालिक)

(वज़ाहत) हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस इरशाद से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि जो शख्स नमाज़ में कोताही करता है वह यक़ीनन दीन के दूसरे कामों में भी सुस्ती करने वाला होगा और जिसने वक़्त पर ख़ुशू व ख़ुज़ू के साथ नमाज़ का एहतेमाम कर लिया वह यक़ीनन पूरे दीन की हिफाज़त करने वाला होगा।

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं शबे मेराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पचास नमाजें फ़र्ज़ हुईं फिर कम होते होते पांच रह गईं, आखिर में (अल्लाह तआला के तरफ से) एलान किया गया ऐ मोहम्मद! मेरे यहां बात बदली नहीं जाती, लिहाज़ा पांच नमाज़ों के बदले पचास ही का सवाब मिलेगा। (तिर्मीज़ी)

(वज़ाहत) सिर्फ नमाज़ ही दीने इस्लाम का एक ऐसा अज़ीम रुक्न है जिसकी फरज़ियत का एलान ज़मीन पर नहीं बल्कि सातों आसमानों के ऊपर बुलंद व आला मक़ाम पर मेराज की रात हुआ। नीज़ इसका हुकुम हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के ज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा बल्कि अल्लाह तआला ने फरज़ियते नमाज़ का तोहफा बज़ाते खुद अपने हबीब को अता फरमाया।

हज़रत मआज़ बिन जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा तो इरशाद फरमाया तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो अहले किताब

हैं, लिहाज़ा सबसे पहले इनको इस बात की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। जब इस बात को मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह तआला ने रोज़ाना पांच नमाजें उन पर (हर मुसलमान पर) फ़र्ज़ की हैं। (बुखारी व मुस्लिम)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सात क़िस्म के आदमी हैं जिनको अल्लाह तआला अपनी (रहमत के) साया में ऐसे दिन जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साया के सिवा कोई साया न होगा। उन सात लोगों में से एक वह शख्स भी है जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ हो। (यानी वक़्त पर नमाज़ अदा करता हो) (बुखारी, मुस्लिम)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से जब कोई नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो वह अल्लाह से मुनाजात (सरगोशी) करता है। (बुखारी)
अल्लाह तआला हम सबको नमाज़ का एहतेमाम करने वाला बनाऐ, आमीन।

नमाज़ के औक़ात

अल्लाह तआला ने हर मुसलमान बालिग मर्द व औरत पर रोज़ाना पांच औक़ात की नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं जैसा क़ुरान करीम में बेशुमार जगहों पर अल्लाह तआला ने हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है मसलन-

"यक़ीनन नमाज़ मोमेनिनों पर मुक़र्ररह वक्तों में फ़र्ज़ है।" (सूरह निसा 103)

"नमाज़ क़ायम करो सूरज के ढलने से ले कर रात की तारीकी तक और फज्र का क़ुरान पढ़ना भी। यक़ीनन फज्र का क़ुरान पढ़ना हाज़िर किया गया है यानी उस वक़्त फरिशते हाज़िर होते हैं।" (सूरह बनी इसराइल 78) मुफस्सेरीन ने लिखा है कि इस आयत में "दुलूकुश शम्स" से ज़ुहर और असर की नमाज़ें, "ग़सकुल लैल" से मगरिब और इशा की नमाज़ें और "कुरआनुल फज्र" से फज्र की नमाज़ मुराद है।

"दिन के दोनों सिरों में नमाज़ क़ायम करो और रात के कुछ हिस्सों में भी। यक़ीनन नेकियां बुराईयों को दूर कर देती है।" (सूरह हूद 114)

नमाज़ के औक़ात, रिकात और तरीका नमाज़ का तफसीली ज़िक्र क़ुरान करीम मे बयान नहीं किया गया बल्कि क़ुरान करीम के मुफस्सिरे अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल व अफआल से पूरी वज़ाहत के साथ ज़िक्र किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौल व अमल भी अल्लाह तआला की वही ही होता है जैसा कि क़ुरान में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बेगैर लबकुशाई ही नहीं करते। और इरशाद

फरमाया कि तुम्हारी पांचों नमाज़ों के वक़्त इन्हीं औक़ात के दरमियान में है जिनको तुमने देखा (मुस्लिम)

पाचों नमाज़ों के औक़ात क्या हैं?

नमाज़े फज्र- सुबह सादिक से ले कर सूरज के निकलने तक (ज़मान व मकान के इखतिलाफ के साथ उमूमन एक घंटा 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक नमाज़े फज्र का वक़्त रहता है)

नमाज़े ज़ुहर- ज़वाले आफताब (सूरज के ढलने) से नमाज़े असर का वक़्त शुरू होने तक

नमाज़े असर- जब हर चीज़ का साया, असली साया के अलावा दो मिस्ल हो जाए तो ज़ुहर का वक़्त खत्म हो कर असर का वक़्त शुरू हो जाता है और गुरूबे आफताब तक रहता है। अहादीस की रोशनी में ज़ुहर का वक़्त खत्म होने और असर का वक़्त शुरू होने में इखतिलाफ है, मौजूदा राय इमाम अबू हनीफा की है। दूसरे उलमा की राय है कि जब हर चीज़ का साया असली साया के अलावा एक मिस्ल हो जाए तो ज़ुहर का वक़्त खत्म हो कर असर का वक़्त शुरू हो जाता है। अलबत्ता तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमाज़े असर की इतनी ताखीर से अदाएगी करना कि सूरज ज़र्द हो जाए मकरूह है।

नमाज़े मग़रिब- सूरज छुपने के बाद से तक़रीबन डेढ़ घंटे तक, अलबत्ता अहदीस मे मज़कूर है कि नमाज़े मगरिब में ज़्यादा ताखीर करना मकरूह है।

नमाज़े इशा- सूरज छुपने के तकरीबन डेढ़ घंटे के बाद से सुबह सादिक तक। अलबत्ता आधी रात के बाद इशा की नमाज़ के लिए

मकरूह वक़्त शुरू हो जाता है। नमाज़ वितर का वक़्त भी सुबह सादिक तक है अलबत्ता वितर नमाज़े इशा की अदाएगी के बाद ही पढ़ सकते हैं।

मकरूह वक़्त

नमाज़ के मकरूह औक़ात पांच हैं। इनमें से तीन ऐसे हैं जिनमें फ़र्ज़ और नफल दोनों नमाज़ें मकरूह तहरीमी हैं। वह तीन औक़ात यह हैं।

1) सूरज के निकलने के वक़्त

2) आफताब के ढलने के वक़्त

3) सूरज के डूबने के वक़्त

(वज़ाहत) अगर असर की नमाज़ नहीं पढ़ी यहां तक कि सूरज के डूबने का वक़्त हो गया तो कराहत के साथ उस दिन की असर की नमाज़ सूरज के डूबने के वक़्त भी अदा की जा सकती है।

इन औक़ात के अलावा दो औक़ात ऐसे हैं जिनमें सिर्फ नफल नमाज़ पढ़ना मकरूह है अलबत्ता छूटी हुई फ़र्ज़ नमाज़ की कज़ा की जा सकती है।

4) नमाज़े फज्र के बाद सूरज के निकलने तक

5) असर की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक

हज़रत अमर सलमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के नबी! मुझे ऐसी चीज़ बतलाइए जो अल्लाह तआला ने आप को बताई हो और मुझे न मालूम हो, खास तौर पर नमाज़ के मुतअल्लिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबह की नमाज़ पढ़ कर कोई और नमाज़ पढ़ने से रूके रहो ताआंकि सूरज निकल कर बुलंद हो जाए क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान निकलता है और

सूरज को पूजने वाले कुफ्फार सूरज का सजदा करते हैं जब सूरज कुछ बुलंद हो जाए तो फिर नमाज़ पढ़ो क्योंकि हर नमाज़ बारगाहे इलाही में पेश की जाती है अलबत्ता जब नेज़ा बेसाया हो जाए (ज़वाल के वक़्त) तो नमाज़ न पढ़ो क्योंकि यह जहन्नम को दहकाने का वक़्त है और जब साया बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर नमाज़ पढ़ो क्योंकि नमाज़ अल्लाह के हुज़ूर पेश की जाती। जब असर की नमाज़ पढ़ चुको तो फिर दूसरी नमाज़ से रूक जाओ ताआंकि सूरज डूब जाऐ क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान डूबता है और उस वक़्त सूरज परस्त कुफ्फार सूरज का सजदा करते हैं। (मुस्लिम)
हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना सुबह की नमाज़ के बाद आफताब के बुलंद होने ताक और कोई नमाज़ नहीं है और असर की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक और कोई नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। (बुखारी)

मसअला: अगर फ़र्ज़ नमाज़, उसके वक़्त पर अदा न की गई तो वक़्त निकल जाने के बाद भी पढ़नी होगी अलबत्ता यह अदा कज़ा होगी। याद रखें कि नमाज़ को शरई उज़्र के बेगैर वक़्त पर अदा न करना गुनाहे कबीरा है अगरचे बाद में कज़ा कर ली जाए लेकिन कज़ा भी न करना उससे बड़ा गुनाह है, क़ुरान और हदीस में सख्त वईदें आई हैं। अल्लाह तआला हमें नमाज़ों को वक़्त पर अदा करने वाला बनाए आमीन।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का नमाज़ के साथ तअल्लुक़

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ के साथ जो गहरा तअल्लुक़ था और नमाज़ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और कैफियत हुआ करती थी, उसका अंदाजा सीरत की किताबों से अदना सी वाक़फियत रखने वाला शख्स भी कर सकता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को कितनी लम्बी लम्बी नमाजें अदा करते थे। यह नमाज़ के साथ खास शगफ और तअल्लुक़ का ही नतीजा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांच फर्ज़ नमाजों के अलावा सुनने मुअक्कदा व सुनने गैर मुअक्कदा, नमाज़े तहज्जुद, नमाज़े इशराक़, नमाज़े चाशत, तहिय्यतुल वज़ू और तहिय्यतुल मस्जिद का भी एहतेमाम फरमाते और फिर खास मौक़े पर नमाज़ ही के ज़रिया अल्लाह तआला से रुजू फरमाते। सूरज गरहन या चांद गरहन हो तो मस्जिद तशरीफ ले जाकर नमाज़ में मशगूल हो जाते। आंधी या तूफान यहां तक कि तेज़ हवा भी चलती तो मस्जिद तशरीफ ले जाते। फाक़े की नौबत आती या कोई दूसरी परेशानी या तकलीफ पहुंचती तो मस्जिद का रुख़ करते। सफर से वापसी होती तो पहले मस्जिद तशरीफ ले जा कर नमाज़ अदा करते। इसलिए हमें भी चाहिए कि अपने नबी की इत्तिबा में नमाजों का खास एहतेमाम करें और अगर कोई परेशानी या मुसीबत आए तो नमाज़ अदा करके अल्लाह तआला से मदद मांगें।

सबसे पहले क़ुरान करीम के उस फरमाने इलाही को बगौर पढ़ें जिसमें अल्लाह तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़े तहज्जुद का हुकुम देते हुए इरशाद फरमाया "**ऐ चादर में लिपटने वाले! रात का थोड़ा हिस्सा छोड़ कर बाक़ी रात में (इबादत के लिए) खड़े हो जाया करो, रात का आधा हिस्सा या आधे से कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा।**" यह अल्लाह का प्यार भरा खिताब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि आप रात के बड़े हिस्सा में नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करें।

इस इरशादे बारी के पहले लफ्ज़ यानी कमली वाले को तो हमने अपनी अलामत बना लिया मगर कलामे इलाही का मंशा हमारे क़ौल व अमल से कोसों दूर है। हमें ज़िक्रे नबी के साथ फिक्रे नबी को इख्तियार करना चाहिए।
इस फरमाने इलाही से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की तालीमात तमाम रसूल और अम्बिया किराम के सरदार व ताजदारे मदीना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिक़ यही थीं कि आप नमाज़ से अपना खास तअल्लुक़ व शगफ रखें। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी इसकी गवाही दे रहे हैं।

इसी तरह जब नमाज़ का वक़्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदे नबवी के मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाते "ऐ बिलाल! उठो, नमाज़ का बन्दोबस्त करके हमरो दिल को चैन और आराम पहुंचाओ।" (मुसनद अहमद, अबू दाउद)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ के साथ गहरा तअल्लुक़ का वाज़ेह अंदाजा इससे भी होता है कि हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने तरह तरह से सताया, उन्होंने आप पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े। चुनांचे कभी आपके गर्दन में चादर का फन्दा डाला गया, कभी आपके ऊपर ऊंटनी कि ओझड़ी और घर का कूड़ा डाला गया, ताईफ में आप पर पत्थर बरसाए गए, इसी तरह जंगे उहद में दुशमनों ने आपको ज़ख्मी किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में एक मरतबा भी बद दुआ नहीं की, लेकिन जंगे खंदक़ के मौक़ा पर जब दुशमनों ने मदीना पर चढ़ाई कर रखी थी, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर की नमाज़, सूरज के ग़ुरूब होने तक पढ़ने की मोहलत नहीं मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दुशमनाने इस्लाम के लिए इतनी सख्त बददुआ दी कि ऐसी सख्त बददुआ किसी दूसरे मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया “इन लोगों ने हमें असर की नमाज़ नहीं पढ़ने दी, अल्लाह इनके घरों और इनकी क़ब्रों को आग से भर दे।” (बुखरी व मुस्लिम)

उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम फरमाते यहां तक कि आप के पांव मुबारक में वरम आ जाता। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आपके तमाम अगले पिछले गुनाह (अगर होते भी तो) माफ कर दिए

गए हैं, फिर आप ऐसा क्यूं करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूं। (बुखारी)

हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो वह सुनाएं। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी। एक रात मेरे पास तशरीफ लाए और मेरे साथ मेरे लिहाफ में लेट गए, फिर फरमाने लगे, छोड़ो, मैं तो अपने रब की इबादत करूं। यह फरमा कर बिस्तर से उठे, वज़ू फरमाया फिर नमाज़ के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया यहां तक कि आंसू सीना मुबारक तक बहने लगे। फिर रुकू फरमाया, उसमें भी इसी तरह रोते रहे, फिर सजदा फरमाया उसमें भी रोते रहे, फिर सजदा से उठे और इसी तरह रोते रहे यहां तक कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुबह की नमाज़ के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! आप इतना क्यूं रो रहे हैं जबकि आपके अगले पिछले गुनाह (अगर होते भी तो) अल्लाह तआला ने माफ फरमा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो क्या फिर मैं शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूं? और मैं ऐसा क्यूं न करूं जबकि आज रात मुझ पर सूरह आले इमरान की खत्म तक की आयात नाज़िल हुई हैं। (सही इब्ने हिब्बान)

हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा। आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में (नफल) नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया और मुझे यह खयाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम नहीं कि मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बक़रह शुरू फरमाई। मैंने (अपने दिल में कहा) कि सौ आयतों पर रुकू फरमाएंगे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौ आयतें पढ़ लीं और रुकू न फरमाया तो मैंने सोचा कि दो सौ आयतों पर रुकू फरमाएंगे, मगर दो सौ आयतों पर भी रुकू न फरमाया तो मुझे खयाल हुआ कि सूरह के खत्म पर रुकू फरमाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह खत्म फरमादी तो “अल्लाहुम्मा लकल हमद” तीन मरतबा पढ़ा। फिर सूरह आले इमरान शुरू फरमाई तो मैंने खयाल किया कि उसके ख़तम पर तो रुकू फरमा ही लेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सूरह ख़तम फरमाई लेकिन रुकू नहीं फरमाया और तीन मरतबा “अल्लाहुम्मा लकल हमद” पढ़ा। फिर सूरह माइदा शुरू फरमा दी। मैंने सोचा कि सूरह माइदा के ख़तम पर रुकू फरमाएंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह माइदा के ख़तम पर रुकू फरमाया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में “सुबहान रब्बियल अज़ीम” पढ़ते सुना और आप अपने होंटों को हिला रहे थे (जिसकी वजह से) मैं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा में “सुबहान रब्बियल आला” पढ़ते सुना और आप अपने होंटों को हिला रहे थे (जिसकी वजह से) मैं समझा कि

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं जिसको मैं नहीं समझ रहा था। फिर (दूसरी रिकात में) सूरह इनाम शुरू फरमाई तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए छोड़ कर चला गया, क्यूंकि मैं मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने की हिम्मत न कर सका। (मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लम्बा क़याम फरमाया कि मेरे दिल में एक गलत चीज़ का खयाल आने लगा। पूछा गया कि किस चीज़ का खयाल आने लगा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खयाल आया कि बैठ जाऊं या नमाज़ को छोड़ दूं, क्यूंकि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ने की हिम्मत नही कर पा रहा था। (बुखारी व मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख्खीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से रोने की ऐसी मुसलसल आवाज़ आ रही थी जैसे चक्की की आवाज़ होती है। (अबू दाउद)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफल नमाज़ में क़याम, रुकू और सज्दे बहुत लम्बे लम्बे किया करते थे और क़ुरान करीम की तिलावत भी बहुत इतमिनान से किया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में वरम आ जाता मगर जमाअत के साथ आप मुक़तदियों की रिआयत करते हुए ज़्यादा लम्बी नमाज़ नहीं पढ़ाते थे।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ के साथ जो खास तअल्लुक़ था उसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है मर्ज़ुल वफात में मर्ज़ की शिद्दत के बावजूद वफात से चार दिन पहले यानी जुमेरात की मगरिब तक तमाम नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही पढ़ाया करते थे। इशा के वक़्त बीमारी की शिद्दत की वजह से मस्जिद जाने की ताक़त न रही, फिर भी दो तीन मरतबा गुस्ल किया ताकि सहाबा किराम को इशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ाएं मगर हर बार बेहोशी तारी हो गई। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई। हफ्ता या इतवार को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तबीयत में बेहतरी देखी तो दो आदमियों के सहारे चलकर ज़ुहर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद तशरीफ लाए। अगले रोज़ दोशम्बा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतिक़ाल फरमा गए।

हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से निकला आखिरी कलाम

(नमाज़, नमाज़ और गुलामों के बारे में अल्लाह से डरो) था। (अबू दाउद)

उम्मुल मोमेनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत यह इरशाद फरमाई नमाज़, नमाज़, अपने गुलामों (और मातहत लोगों) के बारे में अल्लाह से डरो, यानी उनके हुक़ूक़ अदा करो। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वसीयत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से पूरे लफ्ज़ निकल रहे थे। (मुसनद अहमद)

गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िन्दगी के आखिरी लम्हात तक नमाज़ का एहतेमाम फरमाया और उम्मत को भी आखिरी वक़्त में नमाज़ के एहतेमाम करने की वसीयत फरमा गए, यह सिर्फ नमाज़ के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तअल्लुक़ और शगफ का ही नतीजा था। अल्लाह तआला हमको भी आखिरी वक़्त तक नमाजों का एहतेमाम करने वाला बनाए, आमीन।

अल्लाह तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तकलीफों की बहुत फिक्र करते थे मगर नमाज़ में सुस्ती व काहिली करने वाले के मुतअल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बहुत सख्त हैं। उस

नबी रहमत के चंद इरशादात पेशे खिदमत है जिनका हम नाम लेते हैं, ताकि हम इन इरशादात की रौशनी में ताजदारे मदीना की आंखों की ठंडक यानी नमाज़ का एहतेमाम करें।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारे (अहले ईमान) और उनके (अहले कुफ़्र) के दरमियान फ़र्क़ करने वाली चीज़ नमाज़ है, लिहाज़ा जिसने नमाज़ छोड़ी उसने कुफ़्र किया। (मुसनद अहमद, अबू दाउद, नसई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ का छोड़ना मुसलमान को कुफ़्र व शिर्क तक पंहुचाने वाला है। (सही मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जान बूझ कर नमाज़ न छोड़ो, जो जान बूझ कर नमाज़ छोड़ दे वह मज़हब से निकल जाता है। (तबरानी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम में उस शख्स का कोई भी हिस्सा नहीं जो नमाज़ नहीं पढ़ता। (बज़्ज़ार)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फर्ज़ नमाज़ छोड़ कर सोता रहता है उसका सर (क़यामत के दिन) पत्थर से कुचला जाएगा। (बुखारी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं चाहता हूं कि किसी को नमाज़ पढ़ाने का हुकुम दूं, फिर जुमा न पढ़ने वालों को उनके घरों समेत जला डालूं। (मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स तीन जुमा गफलत की वजह से छोड़ दे, अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा देते हैं। (नसई, इब्ने माजा)

अब रहमतुल लिल आलमीन के उन फरमान को भी बगौर पढ़ें जिनमें नमाज़ का एहतेमाम करने पर दुनिया व आखिरत की कामयाबी क़रार दी है।
हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना अल्लाह तआला ने बन्दों पर पांच नमाजें फर्ज़ फरमाई हैं, जा इन नमाजों को इस तरह ले कर आए कि इनमें लापरवाही से किसी क़िस्म की कोताही नह करे तो हक़ तआला का अहद है कि उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। और जो शख्स ऐसा न करे तो अल्लाह तआला का कोई अहद उससे नहीं, चाहे उसको अज़ाब दें चाहे जन्नत में दाखिल कर दें। (मोअत्ता इमाम मालिक, इब्ने माजा, अबू दाउद, मुसनद अहमद)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन आदमी के आमाल में से सबसे पहले फर्ज़ नमाज़ का हिसाब लिया

जाएगा, अगर नमाज़ दुरुस्त हुई तो वह कामयाब व कामरान होगा अगर नमाज़ दुरुस्त न हुई तो वह नाकाम होगा और अगर नमाज़ में कुछ कमी पाई गई तो इरशादे खुदावंदी होगा कि देखो इस बन्दे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फर्ज़ नमाजों को पूरा कर दिया जाए, अगर निकल आएं तो उनसे फर्ज़ की तकमील कर दी जाएगी। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसई, अबू दाउद, मुसनद अहमद)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौदहवीं के चांद को देखा तो फरमाया तुम अपने रब को ऐसे ही देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो, तुम्हें ज़रा भी शक व शुबहा न होगा, लिहाज़ा तुम सूरज के निकलने और उसके डूबने से पहले की नमाजों (यानी फजर और असर) का ज़रूर एहतेमाम करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई "**सूरज के निकलने और डूबने से पहले अपने रब की पाकी बयान करो।**" (बुखारी व मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मालूम हुआ कि नमाजों की पाबन्दी खास कर फजर व असर की नमाजों के एहतेमाम से जन्नत में अल्लाह तआला का दीदार होगा जो जन्नत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नमाज़ का एहतेमाम करता है तो नमाज़ उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी, उस (के पूरे ईमानदार होने) की दलील होगी और क़यामत के दिन अज़ाब से बचने का ज़रिया होगी। और जो शख्स नमाज़ का एहतेमाम नहीं करता उसके लिए क़यामत के दिन न नूर होगा, न (उसके पूरे ईमानदार होने की) कोई दलील होगी, न अज़ाब से बचने का कोई ज़रिया होगा और वह क़यामत के दिन फिरऔन,

क़ारून, हामान और ओबय बिन खलफ के साथ होगा। (सही इब्ने हिब्बान, मुसनद अहमद, तबरानी, बैहक़ी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ता है वह अल्लाह तआला की हिफाज़त में आ जाता है (लिहाज़ा उसे न सताओ) और इस बात का खयाल रखो कि अल्लाह तआला अपनी हिफाज़त में लिए हुए शख्स को सताने की वजह से तुम से किसी चीज़ का मुतालिबा न फरमाए, क्यूंकि जिससे अल्लाह तआला अपनी हिफाज़त में लिए हुए शख्स के बारे में मुतालबा फरमाएंगे उसकी पकड़ फरमाएंगे फिर उसे औंधे मुंह जहन्नम की आग में डाल देंगे। (मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक़ मर्द हज़रात को फर्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ ही पढ़नी चाहिए।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मैंने कई मरतबा इरादा किया कि लकड़ियां जमा करने का हुकुम दूं और साथ ही नमाज़ के लिए अज़ान देने का हुकुम दूं फिर किसी आदमी को नमाज़ के लिए लोगों का इमाम बना दूं और खुद उन लोगों के घरों को जाकर आग लगा दूं जो जमाअत में शरीक नहीं होते, यानी बेगैर किसी शरई उज़्र के घर या दुकान में अकेले ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। (बुखारी)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक नाबीना (अंधा) सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो कर कहने लगे या रसूलुल्लाह! मेरे पास कोई आदमी

नहीं जो मुझे मस्जिद में लाए, यह कह कर उन्होंने नमाज़ घर पर पढ़ने की इजाज़त चाही। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त देदी लेकिन जब वह वापस होने लगे तो उन्हें फि बुलाया और पूछा कि क्या तुम अज़ान की आवाज़ सुनते हो? उन्होंने अर्ज़ किया हां या रसूलुल्लाह! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तो मस्जिद में ही आ कर नमाज़ पढ़ा करो। (मुस्लिम)

गौर फरमाएं कि जब उस शख्स को जो नाबीना (अंधा) है, मस्जिद तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है और घर भी मस्जिद से दूर है नीज़ घर से मस्जिद तक का रास्ता भी ठीक नहीं है जैसा कि दूसरी अहादीस में मज़कूर है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में फर्ज़ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे गए। मालूम हुआ कि मर्द हज़रात को फर्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ ही पढ़ना चाहिए।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज़ नमाज़ के साथ वित्र, सुनन व नवाफिल के एहतेमाम की तरगीब दी है और उनके खास खास फज़ाइल बयान फरमाए हैं।

हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना जिस शख्स ने दिन रात में बारह रकतें पढ़ी जो कि फर्ज़ नहीं है उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया गया।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यह दो रिकातें पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब हैं। (मुस्लिम)
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों की वसीयत फरमाई, हर महीने तीन दिन के रोज़े रखना, इशराक़ की दो रिकात नमाज़ अदा करना और सोने से पहले वित्र पढ़ना। (मुस्लिम)
हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों की वसीयत फरमाई चुनांचे जब तक मैं ज़िन्दा रहूंगा इनको नहीं छोड़ूंगा, हर महीने तीन दिन के रोज़े रखना, इशराक़ की नमाज़ अदा करना और सोने से पहले वित्र पढ़ना। (मुस्लिम)
हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक़ की चार रिकात नमाज़ पढ़ते थे और कभी ज़्यादा भी पढ़ते थे।
गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का नमाज़ से शगफ और तअल्लुक़ इतना ज़्यादा था कि सारी कायनात में सबसे अफज़ल व आला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ीमती ज़िन्दगी का अच्छा खासा वक़्त अल्लाह तआला के सामने क़याम, रुकू और सजदा की हालत में गुज़रा। अल्लाह तआला हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नतों पर अमल करने वाला और नबी रहमत की आंखों की ठंडक यानी नमाज़ का एहतेमाम करने वाला बनाए, आमीन।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़

अल्लाह तआला का प्यार भरा खिताब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि आप रात के बड़े हिस्से में नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करें। “**ऐ चादर में लिपटने वाले! रात का थोड़ा हिस्सा छोड़ कर बाक़ी रात में (इबादत के लिए) खड़े हो जाया करो। रात काआधा हिस्सा या आधे से कुछ कम या उससे ज़्यादा और क़ुरान की तिलावत इतमिनान से साफ साफ किया करो।**” (सूरह मुज़्ज़म्मिल 1-4) इसी तरह सूरह मुज़्ज़म्मिल की आखिरी आयत में अल्लाह तआला फरमाता है “**(ऐ पैगम्बर!) तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम दो तिहाई रात के क़रीब और कभी आधी रात और कभी एक तिहाई रात (तहज्जुद नमाज़ के लिए) खड़े होते हो और तुम्हारे साथियों (सहाबा-ए-किराम) में से भी एक जमाअत (ऐसा करती है)।** ” इब्तिदाए इस्लाम में पांच नमाजों की फर्ज़ियत से पहले तक नमाज़े तहज्जुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों पर फर्ज़ थी, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम रात के एक खास हिस्से में नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करते थे। पांच नमाजों की फर्ज़ियत के बाद नमाज़े तहज्जुद की फर्ज़ियत तो खत्म हो गई मगर इसका इस्तिहबाब बाक़ी रहा, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने बार बार उम्मते मुस्लिमा को नमाज़े तहज्जुद पढ़ने की तरगीब दी, चुनांचे क़ुरान करीम में फर्ज़ नमाज़ के बाद नमाज़े तहज्जुद का ही ज़िक्र बहुत मरतबा आया है। उलमा की एक जमाअत की राय है कि पांच नमाजों की फर्ज़ियत के बाद नमाज़े तहज्जुद आम मुसलमानों के लिए तो फर्ज़ न रही लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वक़्त तक फर्ज़

रही। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम फरमाते, यानी नमाज़े तहज्जुद अदा करते यहां तक कि आपके पांव मुबारक में वरम आ जाता। (सही बुखारी) ज़ाती तजरबात से मालूम होता है कि एक दो घंटे नमाज़ पढ़ने से पैरों में वरम नहीं आता है बल्कि रात के एक बड़े हिस्से में अल्लाह तआला के सामने खड़े होने, तवील रुकू और सजदा करने की वजह से वरम आता है, चुनांचे सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान जैसी लम्बी लम्बी सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिकात में पढ़ा करते थे और वह भी बहुत इतमिनान व सुकून के साथ।

सूरह मुज़्ज़म्मिल की इब्तिदाई आयात, आखिरी आयत, मज़कूरा और दूसरे अहादीस से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का दो तिहाई या आधा या एक तिहाई हिस्सा रोज़ाना नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करते थे। नमाज़े तहज्जुद के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांच फर्ज़ नमाजें भी खुशू व खुज़ू के साथ अदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन व नवाफिल, नमाज़े इशराक़, नमाज़े चाशत, तहिय्यतुल वज़ू और तहिय्यतुल मस्जिद का भी एहतेमाम फरमाते और फिर खास मौक़ों पर नमाज़ ही के ज़रिया अल्लाह तआला से रुजू फरमाते। सूरज गरहन या चांद गरहन होता तो मस्जिद तशरीफ ले जा कर नमाज़ में मशगूल हो जाते। कोई परेशानी या तकलीफ पहुंचती तो मस्जिद का रुख़ करते। सफर से वापसी होती तो पहले मस्जिद तशरीफ ले जा कर नमाज़ अदा करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिमान व सुकून के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे।

गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़रीबन 8 घंटे नमाज़ जैसी अजीमुशशान इबादत में गुज़ारते थे। नमाज़ के मुतअल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदे नबवी के मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते "ऐ बिलाल! उठो, नमाज़ का बन्दोबस्त करके हमारे दिल को चैन और आराम पहुचांओ।" यानी नमाज़ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ है। अल्लाह तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तकलीफों को बहुत फिक्र करते थे मगर नमाज़ में सुस्ती व काहिली करने वाले के मुतअल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बहुत सख्त हैं, हत्ताकि इन इरशादात की रौशनी में उलमा की एक जमाअत की राय है कि जानबूझ कर नमाजें छोड़ने वाला काफिर है, अगरचे जमहूर उलमा के मौक़िफ के मुताबिक़ ऐसा शख्स काफिर नहीं बल्कि फासिक़ व गुनाहगार है।

इंतिहाई अफसोस व फिक्र की बात है कि आज हम नबी रहमत का नाम लेने वाले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक यानी नमाज़ पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं जिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी क़ीमती ज़िन्दगी का वाफिर हिस्सा लगाया।

नमाज़ पढ़िए इसके कि आप की नमाज़ पढ़ी जाए। अल्लाह तआला हम सबको नमाज़ का एहतेमाम करने वाला बनाए, आमीन।

खुशू व खुज़ू वाली नमाज़

क़याम, क़ुरान की तिलावत, सजदा और क़ादा वगैरह नमाज़ का जिस्म हैं और उसकी रूह खुशू व खुज़ू है। चूंकि जिस्म बेगैर रूह के बेहैसियत होता है, इस लिए ज़रूरी है कि नमाज़ों को इस तरह अदा करें कि जिस्म के तमाम आज़ा की यकसूई के साथ दिल की भी यकसूई भी हो ताकि हमारी नमाज़ें रूह यानी खुशू व खुज़ू के साथ अदा हों। दिल की यकसूई यह है कि नमाज़ की हालत में जान बूझ कर अपने दिलों को शैतानी वसवसों से महफ़ूज़ रखें और अल्लाह की अज़मत व जलाल का नक़्श अपने दिल पर बैठाने की कोशिश करें। जिस्म के आज़ा की यकसूई यह है कि इधर उधर न देखें, बालों और कपड़ों को संवारने में न लगें बल्कि खौफ व खशीयत और आजिज़ी की ऐसी कैफियत तारी करें जैसे आम तौर पर बादशाह के सामेन होती है।

क़ुरान करीम और अहादीस नबविया में नमाज़ को खुशू व खुज़ू और इतमिनान व सुकून के साथ अदा करने की बार बार तालीम दी गई है क्योंकि असल नमाज़ वही है जो खुशू व खुज़ू और इतमिनान व सुकून के साथ अदा की जाए और ऐसी ही नमाज़ पर अल्लाह तआला इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाते हैं जैसा कि क़ुरान करीम की आयात और अहादीस से मालूम होता है।

“यक़ीनन वह ईमान वाले कामयाब हो गए जिनकी नमाज़ों में खुशू है।” (सूरह मोमेनून 1,2)

"सब्र और नमाज़ के जरिया मदद हासिल करो। बेशक वह नमाज़ बहुत दुशवार है मगर जिनके दिलों में खुशू है उन पर कुछ भी दुशवार नहीं।" (सूरह बकरा 45) "तमाम नमाज़ों की खास तौर पर दरमियान वाली नमाज़ (असर की) पाबन्दी किया करो और अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े रहा करो।" (सूरह बकरा 248)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इक़ामत सुनो तो पूरे वक़ार, इतमिनान और सुकून से चल कर नमाज़ के लिए आओ और जल्दी न करो। जितनी नमाज़ पालो पढ़ लो और जो रह जाए वह बाद में पूरी कर लो। (सही बुखारी)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए एक और साहब भी मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ी फिर (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया जाओ नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। वह गए और जैसे नमाज़ पहले पढ़ी थी वैसे ही नमाज़ पढ़ कर आए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। इस तरह तीन मरतबा हुआ। उन साहब ने अर्ज़ किया उस ज़ात की क़सम जिसने आप को हक के साथ भेजा है मैं इससे अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, आप मुझे नमाज़ सिखाएइ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो

तकबीर कहो, फिर क़ुरान शरीफ में से जो कुछ पढ़ सकते हो पढ़ो। फिर रुकू में जाओ तो इतमिनान से रुकू करो फिर रुकू से खड़े हो तो इतमिनान से खड़े हो फिर सजदा में जाओ तो इतमिनान से सजदा करो फिर सज्दे से उठो तो इतमिनान से बैठो। यह सब काम अपनी पूरी नमाज़ में करो। (सही बुख़ारी)

हज़रत उसमान बिन अफ्फान (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना जो मुसलमान भी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त आने पर उसके लिए अच्छी तरह वज़ू करता है फिर खूब खुशू के साथ नमाज़ पढ़ता है जिसमें रुकू भी अच्छी तरह करता है तो जब तक कोई कबीरा (बड़ा) गुनाह न करे यह नमाज़ उसके लिए पिछले गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है और यह फज़ीलत हमेशा के लिए है। (सही बुख़ारी)

हज़रत उकबा बिन आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करता है फिर दो रिकात इस तरह पढ़ता है कि दिल नमाज़ की तरफ मुतवज्जह रहे और आज़ा में भी सुकून हो तो उसके लिए यक़ीनन जन्नत वाजिब हो जाती है। (अबू दाऊद)

हज़रत अबूज़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला बन्दा की तरफ उस वक़्त तक मुतवज्जह फरमाते हैं जब तक वह नमाज़ में किसी और तरफ मुतवज्जह न हो। जब बन्दा अपनी तवज्जो नमाज़ से हटा लेता है तो अल्लाह तआला भी उससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं। (नसई)

हज़रत अबू कतादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वह है जो नमाज़ में से चोरी करे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! नमाज़ में किस तरह चोरी करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका रुकू और सजदा अच्छी तरह से अदा न करना। (गरज़ ये कि इतमिनान व सुकून के बेगैर नमाज़ अदा करने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन चोरी क़रार दिया है)। (मुसनद अहमद, तबरानी) हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना आदमी नमाज़ से फारिग होता है और उसके लिए सवाब का दसवां हिस्सा लिखा जाता है, इसी तरह बाज़ के लिए नवां हिस्सा बाज़ के लिए आठवां, सातवां, छठा, पांचवां, चैथाई, तिहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है। (अबू दाऊद, नसई, सही इब्ने हिब्बान)
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला ऐसे आदमी की नमाज़ की तरफ देखते ही नहीं जो रुकू और सजदा के दरमियान यानी क़ौमा में अपनी कमर को सीधा न करे। (मुसनद अहमद) हज़रत हुज़ैफा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते हुए देखा जो रुकू और सजदा को पूरी तरह से अदा नहीं कर रहा था। जब वह शख्स नमाज़ से फारिग हो गया तो हज़रत हुज़ैफा ने फरमाया कि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। अगर तू इसी तरह नमाज़ पढ़ते हुए मर गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बेगैर मरेगा। (बुखारी) हज़रत जाबिर बिन समरा (रज़ियल्लाहु

अन्हु) फरमाते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और फरमाने लगे कि मैं तुम लोगों को देखता हूं कि नमाज़ में घोड़े के दुम की तरह अपने हाथ उठाते हो। नमाज़ में सुकून इखतियार करो। (मुस्लिम) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात आज़ा पर सजदा करने का हुकुम दिया और नीज़ इस बात का हुकुम फरमाया कि नमाज़ में कपड़ों और बालों को न समेटें । (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत अब्दुर रहमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कौवे की तरह ठोंगे मारने से (यानी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से) और दरिंदा की खाल बिछा कर नमाज़ पढ़ने से और इससे कि कोई शख्स मस्जिद में नमाज़ की कोई खास जगह मुक़र्रर कर ले जैसे ऊंट (अपने असतबल) में एक खास जगह मुक़र्रर कर लेता है। (मुसनद अहमद, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, सही इब्ने हिब्बान) हज़रत अबू दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि सबसे पहले जिस चीज़ का इल्म लोगों से उठा लिया जाएगा वह खुशू का इल्म है। अंकरीब मस्जिद में बहुत से लोग आएंगे तुम उनमें एक शख्स को भी खुशू वाला न पाओगे। (तिर्मीज़ी)

नमाज़ में खुशू व खुज़ू पैदा करने का तरीका

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब नमाज़ के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान आवाज़ के साथ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अज़ान न सुने फिर जब अज़ान खत्म हो जाती है तो वह वापस आ जाता है। जब इक़ामत

कही जाती है तो वह फिर भाग जाता है और इक़ामत पूरी होने के बाद वापस आ जाता है ताकि नमाज़ी के दिल में वसवसा डाले। चुनांचे नमाज़ी से कहता है यह बात याद कर और यह बात याद कर। ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाज़ी को नमाज़ से पहले याद न थीं यहां तक कि नमाज़ी को यह भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रिकातें हुईं। (मुस्लिम बाब फज़लुल अज़ान)
शैतान की पहली कोशिश मुसलमान को नमाज़ से ही दूर रखना है क्योंकि नमाज़ अल्लाह की इताअत के तमाम कामों में सबसे अफ़ज़ल अमल है। लेकिन जब अल्लाह का बन्दा शैतान की तमाम कोशिश को नाकाम बना कर अल्लाह तआला के सबसे ज़्यादा महबूब अमल नमाज़ को शुरू कर देता है तो फिर वह नमाज़ की रूह यानी खुशू व खुज़ू से महरूम करने की कोशिश करता है, चुनांचे वह नमाज़ में मुख्तलिफ दुनियावी कामों को याद दिला कर नमाज़ की रूह से गाफिल करता है जैसा कि ऊपर की हदीस में लिखा है। लिहाज़ा हर मुसलमान को चाहिए कि वह ऐसे असबाब इखतियार करे कि जिन से नमाज़ें खुशू व खुज़ू के साथ अदा हों।
क़ुरान व हदीस की रोशनी में नमाज़ में खुशू व खुज़ू पैदा करने के चंद असबाब ज़िक्र किए जा रहे हैं अगर इन मज़्कूरा असबाब को इखतियार किया जाए तो इंशा अल्लाह शैतानों से हिफाज़त रहेगी और हमारी नमाज़ें खुशू व खुज़ू के साथ अदा होंगी।

नमाज़ शुरू करने से पहले

1) जब मुअज़्ज़िन की आवाज़ कान में पड़े तो दुनियावी कामों को छोड़ कर अज़ान के कलेमात का जवाब दें और अज़ान के खत्म हौन

पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ कर अज़ान के बाद की दुआ पढ़ें।

2) पेशाब वगैरह की ज़रूरीयात से फारिग हो जाएं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खाने की मौजूदगी में (अगर वाक़ई भूक लगी हो) नमाज़ न पढ़ी जाए और ही इस हालत में जब पेशाब या पाखाना बहुत ज़ोर से लगा हो। (सही मुस्लिम)

3) बिस्मिल्लाह पढ़ कर सुन्नत के मुताबिक़ इस यक़ीन के साथ वज़ू करें कि हर हिस्सा से आखिरी क़तरे के गिरने के साथ इस हिस्से के ज़रिये किए जाने वाले छोटे गुनाह भी माफ हो रहे हैं और वज़ू की वजह से आज़ा क़यामत के दिन रौशन और चमकदार होंगे जिनसे तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के अफराद की शनाख्त फरमाएंगे।

4) साफ सुथरा लिबास पहन लें। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "ऐ आदम की औलाद! हर नमाज़ के वक़्त ऐसा लिबास पहन लिया करो जिसमें जिस्म छुपा रहे और साथ में खूबसूरत भी हो।" (सूरह आराफ 31) नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसन्द करता है। (मुस्लिम)

(वज़ाहत) तंग लिबास हरगिज़ इस्तेमाल न करें, अहादीस में तंग लिबास पहनने से मना फरमाया है। नीज़ मर्द हज़रात पाजामा या कोई दूसरा लिबास टखनों से नीचे न पहने, अहादीस में टखनों से नीचे पाजामा वगैरह पहनने वालों के लिए सख्त वईदें आई हैं।

5) जो चीज़ नमाज़ में अल्लाह की याद से गाफिल करे, उनको नमाज़ से पहले ही दूर कर दें।

6) अपनी वुसअत के मुताबिक सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से बचाओ के सामान रखें।

7) शोर व गुल की जगह नमाज़ पढ़ने से जहां तक मुमकिन हो बचें।

8) मर्द हज़रात फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ मस्जिदों में और औरतें घरों में अदा करें।

9) सिर्फ हलाल रोज़ी पर इकतिफा करें अगरचे बज़ाहिर कम हीक्यों न हो।

10) नमाज़ में ख़ुशू व खुज़ू पैदा हो जाए इस के लिए अल्लाह तआला से दुआएं करते रहें।

नमाज़ शुरू करने के बाद

1) निहायत अदब और इहतिराम के साथ अपनी आजिज़ी और अल्लाह तआला की बड़ाई, अज़मत और आला शान का इक़रार करते हुए दोनों हाथ उठा कर ज़बान से अल्लाहु अकबर कहें, दिल से यक़ीन करें कि अल्लाह तआला ही बड़ा है और वही जी लगाने के लाइक है इसके अलावा सारी दुनिया हक़ीर और छोटी है और दुनिया से बेतअल्लुक हो अपनी तमाम तर तवज्जोह सिर्फ उसी ज़ात की तरफ करें जिसने हमें एक नापाक क़तरे से पैदा फरमा कर खूबसूरत इंसान बना दिया और मरने के बाद उसी के सामने खड़े हो कर अपनी इस दुनियावी ज़िन्दगी का हिसाब देना है। 2) सना, सूरह फातिहा, रुकू व सजदा की तसबीहात, जल्सा व क़ौमा की दुआएं, तहयीयात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और दुआओं वगैरह को समझ कर और गौर व फिक्र करते हुए इतमिनान

के साथ पढ़ें अगर गौर व फिक्र नहीं कर सकते तो कम से कम इतना मालूम हो कि नमाज़ के किस रुक्न में हैं और कया पढ़ रहे हैं। 3) इस यक़ीन के साथ नमाज़ पढ़ें कि नमाज़ में अल्लाह तआला से मुनाजात होती है जैसा कि हज़रत अनस की हदीस में गुज़रा। नीज़ दूसरी हदीस में है कि सूरह फातिहा की तिलावत के दौरान अल्लाह तआला हर आयत के आखिर पर बन्दा से मुखातब होता है। 4) अपनी निगाहों की हिफाज़त करें नीज़ बालों और कपड़ों को संवारने में न लगें। 5) सजदा के वक़्त यह यक़ीन हो कि मैं इस वक़्त अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हूँ जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बन्दा नमाज़ के दौरान सजदा की हालत में अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। (मुस्लिम) 6) नमाज़ के तमाम अरकान व आमाल को इतमिनान और सुकून के साथ अदा करें। 7) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक नमाज़ अदा करें। 8) नमाज़ में खुशू व खुज़ू की कोशिश के बावजूद अगर बिला इरादा ध्यान किसी और तरफ चला जाए तो ख्याल आते ही फौरन नमाज़ की तरफ तवज्जोह करें। इस तरह बिला इरादा किसी तरफ ध्यान चला जाना नमाज़में नुकसानदह नही है। (इंशाअल्लाह) लेकिन जहां तक मुमकिन हो कोशिश करें कि नमाज़ में ध्यान किसी और तरफ न जाए।

(वज़ाहत): नमाज़ में खुशू व खुज़ू पैदा करने के लिए कसरत से अल्लाह के ज़िक्र को भी खास अहमियत हासिल है इसलिए सुबह व शाम पाबन्दी से अल्लाह का ज़िक्र करते रहें क्योंकि ज़िक्र शैतानको भगाता है और उसकी ताक़त को तोड़ता है नीज़ दिल को गुनहों के मैल से साफ करता है।

अहम गुजारिश: नमाज़ में खुशू व खुज़ू पैदा करने और नमाज़ की क़बूलियत के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त इखलास है क्योंकि आमाल की क़बूलियत का इंहिसार नियत और इरादा पर होता है जैसा कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस में “आमाल का दारो मदार नियत पर है हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की” लिहाज़ा नमाज़ की अदाएगी से खाह फ़र्ज़ हो या नफल सिर्फ अल्लाह तआला की रजामंदी मतलूब हो। दूसरों को दिखाने के लिए नमाज़ न पढ़ें क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ने की अहादीस में दज्जाल के फ़ितने से भी बड़ा फ़ितना और शिर्क क़रार दिया है।

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हें कि हम लोग मसीहे दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से ज़्यादा खतरनाक बात से आगाह न कर दूँ? हमनें अर्ज़ किया ज़रूर या रसूलुल्लाह! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क खफी, दज्जाल से भी ज़्यादा खतरनाक है और वह यह है कि एक आदमी नमाज़ के लिए खड़ा हो और नमाज़ को इसलिए लम्बा करे कि कोई आदमी उसे देख रहा है। (इब्ने माजा)

हज़रत शद्दाद बिन औस फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना जिसनें दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया। (मुसनद अहमद जिल्द 4 पेज125)

अल्लाह तआला हम सबको नमाज़ में खुशू व खुज़ू के साथ अदा करने वाला बनाए आमीन।

कुरान व हदीस में
फज्र और असर नमाज़ों की खुसूसी ताकीद

नमाज़ पढ़ने वालों में से हमारे कुछ भाई, फज्र और असर खास कर फज्र नमाज़ में कोताही करते है, हालांकि कुरान व हदीस में इन दोनों नमाज़ों (फज्र और असर) की खास ताकीद व अहमियत मज़कूर है, जैसा कि नीचे की आयात व आहादीस से मालूम होता है।

“नमाज़ों की हिफाज़त करो बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज़ (यानी असर) की, और अल्लाह तआला के सामने अदब से खड़े रहो।” (सूरह अलबक़रा 238)

“नमाज़ क़ायम करो आफताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक और फज्र का कुरान पढ़ना भी। यक़ीनन फज्र का कुरान पढ़ना हाज़िर किया गया।” (यानी उस वक़्त फरिश्ते हाज़िर होते हैं) (सूरह बनी इसराइल 78)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दो ठंडी नमाज़ें (फज्र और असर) पाबन्दी से पढ़ता है वह जन्नतमें दाखिल होगा। (बुखारी) तजरबा है कि फज्र व असर का एहतेमाम करने वाला यक़ीनन दूसरी नमाज़ों का भी एहतेमाम करने वाला होगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह शख्स हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जिसने सूरज के निकलने से पहले यानी फज्र और सूरज के डूबने से पहले यानी असर की नमाज़ें पाबन्दी से पढ़ी होंगी। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास रात और दिन के फरिशते बारी बारी आते रहते हैं और वह फज्र और असर की नमाज़ों में इकट्ठे होते हैं। फिर फरिशते जो तुम्हारे पास होते हैं, आसमान पर चले जाते हैं तो अल्लाह तआला उन से पूछता है हालांकि वह सबसे ज़्यादा जानता है कि तुमने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा। फरिशते कहते हैं कि हम उन्हें नमाज़ की हालत में छोड़ कर रूख्सत हुए और नमाज़ ही की हालत में उनके पास पहुंचे थे। (बुखारी व मुस्लिम)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौदहवीं के चांद को देखा तो फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे ही देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो, तुम्हें ज़रा ज़रा भी शक व शुबहा नह होगा, लिहाज़ा तुम अगर सूरज के निकलने और डुबने से पहले की नमाज़ों (फज्र और असर) का एहतेमाम कर सको तो ज़रूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, तरजुमा "सूरज के निकलने और डुबने से पहले अपने रब की पाकी बयान करो।" (बुखारी व मुस्लिम) इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ों की पाबन्दी खासकर फज्र और असर की नमाज़ों के एहतेमाम से जन्नत में अल्लाह तआला का दीदार होगा जो जन्नत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फज्र की नमाज़ पढ़ता है वह अल्लाह तआला की हिफाज़त में आ जाता है (लिहाज़ा उसे न सताओ) और इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह तआला अपनी हिफाज़त में लिए हुए शख्स को सताने की वजह से तुम किसी चीज़ का मुतालबा न फरमाएं क्योंकि जिससे

अल्लाह तआला अपनी हिफाज़त में लिए हुए शख्स के बारे में मुतालबा फरमाऐंगे उसकी पकड़ फरमाऐंगे फिर उसे फिर उसे उल्टे मुंह जहन्नम की आग में डाल देंगे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स इशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़े गोया कि उसने आधी रात इबादत की और जो फज्र की नमाज़ भी जमाअत के साथ पढ़ले गोया कि उसने पूरी रात इबादत की। (मुस्लिम)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स की असर की नमाज़ छूट गई वह ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल व दौलत सब छीन लिया गया हो। (बुखारी व मुस्लिम)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने असर की नमाज़ छोड़ दी उसके सारे आमाल बरबाद हो गए। (बुखारी)
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है (फज्र की नमाज़ नहीं पढ़ता है) तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब कर देता है। (बुखारी व मुस्लिम)

नमाज़े फज्र की बाजमाअत अदाएगी में मुआविन चंद उमूर

अगर नीचे में लिखे हुए चंद बातों का खास एहतेमाम रखा जाए तो इंशाअल्लाह फज्र की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना आसान होगा।

1) फज्र की नमाज़ जमाअत से अदा करने के फज़ाएल हमारे सामने हों।

2) फज्र की नमाज़ जमाअत से अदा न करने की वईदें हमें मालूम हों।

3) रात को जितना जल्दी हो सके सोने की कोशिश करें।

4) सोते वक़्त फज्र की नमाज़ जमाअत से अदा करने का पक्का इरादा करें और इरादा करने में इखलास भी हो।

5) ऐसे असबाब इखतियार करें जिनसे फज्र की नमाज़ के लिए उठना आसान हो। मसलन अलारम वाली घड़ी में मुनासिब वक़्त पर अलारम सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें या किसी ऐसे शख्स से जो फज्र की नमाज़ के लिए पाबन्दी से उठता है घंटी बजाने या दरवाजे खटखटाने की ताकीद कर दें वगैरह।

6) वज़ू करके और अल्लाह के ज़िक्र के साथ सोएं क्योंकि अल्लाह का नाम लेकर सोने की वजह से शैतान के हमले से हिफाज़त रहेगी।

7) अगर मुमकिन हो तो दोपहर का खाना खा कर थोड़ी देर आराम कर लिया करें।

8) मगरिब से पहले और मगरिब और इशा के दरमियान न सोएं।

9) दूसरी चार नमाज़ों की पाबन्दी करें, उसकी बदौलत पांचवीं की तौफीक होगी। (इंशा अल्लाह)

अगर इन बातों की रिआयत करके सोएंगे तो इंशा अल्लाह फज्र की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना आसान होगा, फिर भी अगर किसी दिन इत्तिफाक से बेदार होने में ताखीर हो जाए तो जिस वक़्त भी आंख खुले सबसे पहले नमाज़ अदा करलें। इंशा अल्लाह ताखीर का कोई गुनाह नहीं होगा।

नमाज़ से मुतअल्लिक़
हमारी बाज़ कोताहियां और उनका इलाज

अल्लाह तआला और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम फ़रीज़ा नमाज़ है जो अल्लाह तआला की तरफ से हर मुसलमान पर आयद किया गया है, चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या नौजवान, मुसाफिर हो या मुक़ीम, बादशाह हो या गुलाम, हालते अमन हो या हालते खौफ, खुशी हो या गम, गर्मी हो या सर्दी यहां तक कि जिहाद व क़िताल के ऐन मौका पर मैदाने जंग मेंभी यह फ़र्ज़ माफ नहीं होता है। क़ुरान व हदीस में इस अहम और बुनियादी फ़रीज़ा को कसरत से बयान किया गया है मगर बड़े अफसोस और फिक्र की बात है कि नमाज़ से मुतअल्लिक़ बहुत सी कोताहियां हमारे अंदर मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।

1) नमाज़ की अदाएगी में कोताही

बाज़ हज़रात जो नमाज़ नहीं पढ़ते, समझाने पर कहते हैं कि जुमा या रमज़ान से या साल की इब्तिदा से नमाज़ का एहतेमाम करेंगे। हालांकि किसी को नहीं मालूम कि किस वक़्त इस दारे फानी (दुनिया) को अलविदा कहना पड़े। अगर ऐसे वक़्त में मलकुल मौत (मौत का फरिशता) हमारी रूह निकालने आया कि हमारा मौला हमसे नमाज़ों का एहतेमाम न करने की वजह से नाराज़ है तो फिर हमारे लिए इंतिहाई नुकसान है। और मौत कब आ जाए सिवाए अल्लाह के

कोई नहीं जानता। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "**कोई (भी) नही जानता कि कल कया (कुछ) करेगा, न किसी को यह मालूम कि किस ज़मीन में मरेगा"** (सूरह लुक़मान आयत 34) "**और वह हर गिरोह के लिए एक मीआद मुअय्यन है सो जिस वक़्त उनकी मीआद मुअय्यन आ जाएगी उस वक़्त एक घड़ी न पीछे हट सकें गे और न आगे बढ़ सकें गे"**(सूरह आराफ आयत 34)

लिहाज़ा इन हज़रात को चाहिए कि किसी दिन या किसी वक़्त पर अपने इरादा को हरगिज़ मुअल्लक़ न करें बल्कि सच्चे दिल से तौबा करके आज से बल्कि अभी से नमाज़ों का खास एहतेमाम करें क्योंकि नमाज़ दीने इस्लाम का अज़ीम रुक्न है और क़यामत के दिन सबसे पहले इसी नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा।

याद रखें कि जो शख्स नमाज़ में कोताही करता है, वह यक़ीनन दीन के दूसरे कामों में भी सुस्ती करने वाला होगा। और जिसने वक़्त पर ख़ुशू व ख़ुज़ू के साथ नमाज़ का एहतेमाम किया वह यक़ीनन पूरे दीन की हिफाज़त करने वाला होगा जैसा कि हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने गवर्नरों को हुकुम जारी फरमाया था कि मेरे नज़दीक तुम्हारे मामले में सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज़ की है जिसने नमाज़ की पाबन्दी करके उसकी हिफाज़त की उसने पूरे दीन की हिफाज़त की और जिसने नमाज़ को अदा नहीं किया वह नमाज़ के अलावा दीन के दूसरे अरकान को बरबाद करने वाला होगा।

2) नमाज़ पर दुनियावी ज़रूरतों को तरजीह देना

बाज़ हज़रात से जब नमाज़ के एहतेमाम करने के लिए कहा जाता है तो वह कहते हैं कि वालिदैन की खिदमत, बच्चों की तरबियत और

उनकी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करना भी तो ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि यह काम भी ज़रूरी है मगरइन आमाल के लिए नमाज़ को छोड़ना या नमाज़ की अहमियत को कम समझना कौन सी अकलमंदी है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम न सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ की पाबन्दी फरमाते बल्कि सुन्नत और नफल का भी खास एहतेमाम फरमाते और अपने घर वालों के हुक़ूक़ पूरी तरह अदा करते। इन्हीं हज़रात की ज़िन्दगी हमारे लिए नमूना है। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम से बातें करते थे और हम हुज़ूर से बातें करते थे लेकिन जब नमाज़ का वक़्त आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो जाते गोया कि हमको पहचानते ही नहीं और पूरी तरह अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाते।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ को उसके वक़्त पर अदा करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने कहा कि उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां बाप की खिदमत करना। (बुखारी व मुस्लिम)

याद रखें कि नमाज़ में कोताही करके घर वालों की दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करना दीन नहीं है बल्कि दीने इस्लाम के मुनाफी है। अल्लाह तआला फरमाता है "ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल और

तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से बेखबर न कर दें” (सूरह अल मुनाफेक़ून 9) लिहाज़ा ज़रूरतों को नमाज़ पर फौक़ियत न दें बल्कि नमाज़ों को उनके औक़ात पर अदा करें।

3) **बीमारी के वक़्त नमाज़ों की अदाएगी में कोताही**

बाज़ हज़रात बीमारी में नमाज़ को छोड़ देते हैं यहां तक कि नमाज़ पढ़ने वाले लोग भी नमाज़ का एहतेमाम नहीं करते हालांकि सेहतमंद व तन्दरूस्ती की तरह बीमारी की हालत में भी नमाज़ को उनके औक़ात में पढ़ना ज़रूरी है अलबत्ता शरीअते इस्लामिया ने इतनी इजाज़त दी है कि बहुत सख्त बीमारी की वजह से मस्जिद जाना मुशिकल है तो घर में ही नमाज़ अदा करलें, खड़े हो कर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर नमाज़ पढ़ें। बैठ कर भी नमाज़ पढ़ना मुशिकल है तो लेट कर यहां तक कि इशारा से भी नमाज़ पढ़ सकते हैं तो इसको ज़रूर अदा करें। हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैं बवासीर का मरीज़ था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ पढ़ने का मसअला पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खड़े हो कर नमाज़ पढ़ सको तो खड़े हो कर पढ़ो, बैठ कर पढ़ सको तो बैठ कर पढ़ो, लेट कर पढ़ सको तो लेट कर पढ़ो। (सही बुखारी)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम सख्त बीमारी की हालत में भी जमाअत से नमाज़ अदा करने का एहतेमाम फरमाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) इरशाद फरमाते हैं कि हम अपना हाल यह देखते थे कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला मुनाफिक़ होता वह तो जमाअत से रह जाता या कोई बीमार,

वरना जो शख्स दो आदमियों के सहारे से घसीटता हुआ मस्जिद जा सकता था वह भी सफ में खड़ा कर दिया जाता था। लिहाज़ा सेहत हो या बीमारी, खुशी हो या गम, तकलीफ हो या राहत, सर्दी हो या गर्मी सब बरदाशत करके नमाज़ों का एहतेमाम करें।

4) **सफर में नमाज़ की अदाएगी में कोताही**

सफर में भी नमाज़ का एहतेमाम करना ज़रूरी है मगर शर्म या लापरवाही की वजह से नमाज़ पढ़ने वाले सफर में नमाज़ का एहतेमाम नहीं करते हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम सफर में यहां तक कि दुशमनों से जंग के ऐन मौका पर भी जमाअत के साथ नमाज़ अदा फरमाते। लिहाज़ा सफर में भी नमाज़ की पाबन्दी करें, पानी नहीं मिल रहा हो तो तयम्मुम करके नमाज़ अदा करें, क़िबला का रूख मालूम नहीं और कोई शख्स बताने वाला भी नहीं तो गौर व फिक्र के बाद क़िबला का ताईन करके उसी तरफ नमाज़ पढ़ें, खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश न हो तो बैठ कर ही अदा करें।

(वज़ाहत) अगर आपका सफर 48 मील से ज़्यादा का है तो शहर की हुदूद से बाहर जाते ही आप शरई मुसाफिर हो जाएंगे और ज़ुहर, असर और इशा के वक़्त चार रिकात के बजाए दो रिकात फ़र्ज़ पढ़ें अलबत्ता अगर किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ बाजमाअत अदा करें तो पूरी नमाज़ ही पढ़ें। हां अगर इमाम भी मुसाफिर हो तो चार रिकात के बजाए दो ही रिकात अदा करें। सुन्नतों और नफलों का हुकुम यह है कि अगर इतमिनान का वक़्त है तो पूरी पूरी पढ़ें और

अगर जल्दी हो या थकन है या कोई और दुशवारी है तो बिल्कुल न पढ़ें कोई गुनाह नहीं अलबत्ता वित्र और फज़्र की सुन्नतें न छोड़ें।

5) **मालूमी उज़्र की वजह से जमाअत की नमाज़ को छोड़ना**

बाज़ हज़रात यह समझ कर कि फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना सिर्फ सुन्नते मुअक्कदा है, मामूली उज़्र की वजह से फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में जा कर जमाअत के साथ अदा नहीं करते बल्कि दुकान या घर में अकेले ही पढ़ लेते हैं हालांकि उलमा ने फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ अदा करने को जो सुन्नते मुअक्कदा कहा है उसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि यह मामूली उज़्र की वजह से फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ अदा करने में कोताही की जाए क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ की मशरूईयत तो जमाअत ही के साथ अदा करना है सिर्फ शरई उज़्र की वजह से जमाअत की नमाज़ का छोड़ना जाएज़ है।

6) **खेलकूद की वजह से नमाज़ में कोताही**

खेलना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है जिसकी शरीयत ने भी इजाज़त दी है मगर खेलने वालों के लिए ज़रूरी है कि वह अज़ान के वक़्त या उससे कुछ पहले खेल बन्द कर दें ताकि वज़ू वगैरह से फारिग हो कर नमाज़ जमाअत के साथ अदा कर सकें । शरीअते इस्लामिया ने ऐसे खेल की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जो नमाज़ को छोड़ने का सबब बने।

7) **औरतों का वक़्त पर और इतमिनान से नमाज़ अदा न करना**

बाज़ औरतें घर के कामों की वजह से नमाज़ को मुस्तहब वक़्त पर अदा करने में कोताही करती हैं। हालांकि अगर थोड़ी सी भीफक्रि करलें तो नमाज़ को मुस्तहब वक़्त पर अदा करना आसान होगा। अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल नमाज़ को वक़्त पर अदा करना है। नीज़ नमाज़ को शरई उज़्र के बेगैर वक़्त पर अदा न करना नमाज़ को छोड़ना है। लिहाज़ा मामूली उज़्र की वजह से नमाज़ को अदा करने में ताखीर न करें बलिक अज़ान के बाद फौरन ही घर में नमाज़ पढ़लें। दूसरी कोताही जो औरतों में आम तौर पर पाई जाती हैं वह नमाज़ों को इतमिनान, सुकून और ख़ुशू व ख़ुज़ू के साथ अदा न करना है हालांकि असल नमाज़ ख़ुशू व ख़ुज़ू वाली नमाज़ है। लिहाज़ा नमाज़ को वक़्त पर इतमिनान व सुकून और ख़ुज़ू व ख़ुज़ू के साथ अदा करें।

8) **मुलाज़िमीन को नमाज़ की अदाएगी का वक़्त न मिलना**

जिन हज़रात के मातहत लोग काम करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी हैकि वह अपनी खुद भी नमाज़ का एहतेमाम करें और अपने मुलाज़िमीन की भी नमाज़ की फिक्र करें जैसा कि हदीस में है कि हर शख्स से उसके मातहत लोगों के बारे में सवाल होगा। सरमाया कार, नमाज़ का इहतिमान करने वाले मुलाज़िमीन के साथ अच्छा बरताओ करें और उन्हें नमाज़ पढ़ने की सहूलत दें और नमाज़ में कोताही करने वालों को समझाते रहें ताकि वह भी नमाज़ों की पाबन्दी करकेदोनों जहां की कामयाबी हासिल करने वाले बन जाएं।

9) **औलाद की नमाज़ों की निगरानी न करना**

हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी ज़ात से नमाज़ों का एहतेमाम करके अपनी औलाद की भी नमाज़ों की निगरानी करे। जिस तरह औलाद की दुनियावी तालीम और उनकी दूसरे ज़रूरतों को पूरा करने की दिन रात फिक्र की जाती है इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा उनकी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए कि वह किस तरह जहन्नम की आग से बच कर हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल होने वाले बन जाएं। अल्लाह तआला फरमाता है “ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका इंधन इंसान और पत्थर हैं जिस पर सख्त दिल मज़बूत फरिशते मौजूद हैं जिन्हें जो हुकुम अल्लल्लाह तआला देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुकुम दिया जाए बजा लाते हैं” (सूरह तहरीम 6)

इसी तरह फरमाने इलाही है “ऐ मोहम्मद! अपने घर के लोगों पर नमाज़ की ताकीद रख और खुद भी इस पर जमा रह” (सूरह ताहा 132) इस खिताब में सारी उम्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे है यानी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह खुद भी नमाज़ की पाबन्दी करे और अपने घर वालों को भी नमाज़ की ताकीद करता रहे।

हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ “ऐ मेरे पालने वाले! मुझे नमाज़ का पाबन्द रख और मेरी औलाद में से भी (मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ का पाबन्द बना दें)” (सूरह इब्राहिम 40) हज़रत इब्राहिम ने अपने साथ अपनी औलाद के लिए भी नमाज़ की पाबन्दी करने की दुआ मांगी जिससे मालूम हुआ कि हर शख्स को अपने

साथ अपने घर वालों की भी नमाज़ की फिक्र करनी चाहिए। हकीम लुक़मान की अपने बेटे को नसीहत “ऐ मेरे प्यारे बेटे! तू नमाज़ क़ायम रखना” (सूरह लुक़मान 17) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना तुम सब ज़िम्मेदार हो और तुम सब से तुम्हारे मातहत लोगों के बारे में पूछ होगी। मर्द अपने घर वालों का ज़िम्मेदार है। इससे उसके मातहत लोगों के बारे में पूछा जाएगा। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अलआस (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों को सात साल की उम्र में नमाज़ का हुकुम करो दस साल की उम्र में नमाज़ न पढ़ने पर उन्हें मरो। (अबू दाऊद)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैं एक रात अपनी खाला हज़रत मैमूना (रज़ियल्लाहु अन्हा) के घर था। शाम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या लड़के ने नमाज़ पढ़ली तो लोगों ने कहा हाँ। (अबू दाऊद) गरज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की भी नमाज़ की निगरानी फरमाया करते थे।।

अल्लाह तआला हमें नमाज़ों का एहतेमाम करने वाला बनाए आमीन।

बेनमाज़ी और नमाज़ में सुस्ती करने वाले का शरई हुकुम

तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफाक़ है कि फ़र्ज़ नमाज़ जानबूझ कर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीअते इस्लामिया में ज़िना करने, चोरी करने और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज़ का छोड़ना है। नमाज़ बिल्कुल न पढ़ने वालों या सिर्फ जुमा और ईदैन या कभी कभी पढ़ने वालों का क़ुरान व हदीस की रौशनी में शरई हुकुम किया है। इस सिलसिला में फजीलतुश्शैख मोहम्मद बिन सालेह ने अपनी किताब (रिसालतुन फी हुकमे तारिकिस्सलात) में उलमा की मुख्तलिफ रायें लिखी हैं जो नीचे दिए गए हैं।

1) हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल फरमाते हैं कि ऐसा शख्स काफिर है और मिल्लते इस्लामिया से निकल जाता है। उसकी सज़ा यह है कि अगर तौबा करके नमाज़ की पाबन्दी न करे तो उसको क़त्ल कर दिया जाए।

2) हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम शाफई कहते हैं कि नमाज़ों को छोड़ने वाला काफिर तो नहीं अलबत्ता उसको क़त्ल किया जाएगा।

3) हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि उसको क़त्ल नहीं किया जाएगा अलबत्ता हाकिमे वक़्त उसको जेल में डाल देगा और वह जेल ही में रहेगा यहां तक कि तौबा करके नमाज़ शुरू कर दे या फिर वहीं मर जाए।

नमाज़ को छोड़ने या उसमें सुस्ती करने पर क़ुरान करीम और अहादीस में सख्त वईदें आई हैं जिनमें से बाज़ को ज़िक्र किया जा रहा है।

आयाते क़ुरानिया

““**फिर उनके बाद ऐसे नासमझ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज़ को बरबाद कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए वह जहन्नम में डाले जाएगे**”” (सूरह मरयम 59)

“**तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला? वह जवाब देंगे कि हम नमाज़ी न थे, न मिसकिनों को खाना खिलाते थे**” (सूरह मुदस्सिर 42-44) अहले जन्नत, जन्नत के बाला खानों में बैठे जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि किस वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला गया? तो वह जवाब देंगे कि हम दुनिया में न नमाज़ पढ़ते थे और भूखों को खाना खिलाते थे। गौर फरमाएं कि जहन्नमी लोग जहन्नम में डाले जाने की सबसे पहली वजह नमाज़ न पढ़ना बतलाया क्योंकि नमाज़ ईमान के बाद इस्लाम का अहम और बुनियादी रुक्न है जो हर मुसलमान के ज़िम्मे है।

“**इन नमाजियों के लिए खराबी (और वैल नामी जहन्नम की जगह) है जो नमाज़ से गाफिल हैं**”” (सूरह माऊन 4-5) इस से वह लोग मुराद हैं जो नमाज़ या तो पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते रहेहैं फिर सुस्त हो गए या जब जी चाहता पढ़ लेते या ताखीर से पढ़ने को मामूल बना लेते हैं यह सारे मफहूम इसमें आ जाते हैं इस लिए नमाज़ की मज़कूरा सारी कोताहियों से बचना चाहिए।

“वह (मुनाफिक़) काहिली से ही नमाज़ को आते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं”” (सूरह तौबा 54) मालूम हुआ कि नमाज़ को काहिली या सुस्ती से अदा करना मुनफिक की अलामतों में एक अलामत है।

अहादीस शरीफ

1) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारे (अहले ईमान) और उनके (अहले कुफ्र) दरमियान फ़र्क़ करने वाली चीज़ नमाज़ है, लिहाज़ा जिसने नमाज़ छोड़ दी उसके कुफ्र किया। (मुसनद अहमद, नसई, अबू दाऊद, तिर्मीज़ी, इब्ने माजा)

2) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ को छोड़ना मुसलमान को कुफ्र व शिर्क तक पहुचाने वाला है। (सही मुस्लिम)

3) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जान बूझ कर नमाज़ न छोड़ो जो जान बूझ कर नमाज़ छोड़ दे वह मज़हब से निकल जाता है। (तबरानी)

4) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम में उस शख्स का कोई हिस्सा नहीं जो नमाज़ नहीं पढ़ता। (बज़्ज़ार)

5) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स क़ुरान पाक याद करके भुला देता है और जो फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ कर सोता रहता है उसका सर (क़यामत के दिन) पत्थर से कुचला जाएगा। (बुखारी)

6) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं चाहता हूं कि किसी को नमाज़ पढ़ाने का हुकुम दूं फिर जुमा न पढ़ने वालों को उनके घरों समेत जला डालूं। (मुस्लिम)

7) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने तीन जुमा गफलत की वजह से छोड़ दिए अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा देते हैं। (नसई, तिर्मीज़ी)

8) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नमाज़ का एहतेमाम करता है तो नमाज़ उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी, उस (के पूरे ईमानदार होने) की दलील होगी और क़यामत के दिन अज़ाब से बचने का ज़रिया होगी। और जो शख्स नमाज़ का एहतेमाम नहीं करता उसके लिए क़यामत के दिन न नूर होगा, न (उसके पूरे ईमानदार होने की) दलील होगी, न अज़ाब से बचने का कोई ज़रिया होगा। और वह क़यामत के दिन फिरऔन, क़ारून, हामान और अबोय बिन खलफ के साथ होगा। (सही इब्ने हिब्बान)

नमाज़ पढ़िए इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। अल्लाह तआला हस सबको नमाज़ का एहतेमाम करने वाला बनाए आमीन।

फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ

मर्द हज़रात जहाँ तक हो सके फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ अदा करें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ की मशरूइयत जमाअत के साथ वाबस्ता है जैसा कि क़ुरान करीम की आयात, अहादीस शरीफा और सहाबा-किराम के अक़वाल में मज़कूर है। फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के बेगैर अदा करने पर फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा मगर मामूली मामूली उज़्र की बिना पर जमाअत का छोड़ना यक़ीनन गुनाह है।

आयाते क़ुरानिया का तरजुमा

"जिस दिन पिन्डली खोल दी जाएगी और सजदा के लिए बुलाए जाएगे तो सजदा न कर सकें गे। निगाहें नीचे होंगी और उन पर ज़िल्लत व ख्वारी तारी होगी हालाकि यह सजदा के लिए (उस वक़्त भी) बुलाए जाते थे जबकि सही सालिम यानी सेहतमद थे" (सूरह अलक़लम 42)

हदीस में आता है कि अल्लाह तआला मैदाने क़यामत में अपनी साक (पिन्डली) ज़ाहिर फरमाएगा जिसको देख कर मोमिनीन सजदा में गिर पड़ेंगे, मगर कुछ लोग सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी कमर नही मुड़ेगी बल्कि तख्ता (की तरह सख्त) हो कर रह जाएगी। यह कौन लोग हैं? तो हज़रत काब अहबार (सहाबी रसूल) क़सम खा कर फरमाते हैं कि यह आयत सिर्फ   उन लोगों के लिए नाज़िलुईहहै जो जमाअत के साथ नमाज़ अदा नहीं करते हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब (एक बहुत बड़े ताबई) फरमाते हैं कि "हैया अलस्सलाह

और हैया अललफलाह” को सुनते थे मगर सही सालिम, तन्दरूस्त होने के बावजूद मस्जिद में जा कर नमाज़ अदा नहीं करते थे।
गौर फरमाएं कि नमाज़ न पढ़ने वालों या जमाअत से अदा न करने वालों को क़यामत के दिन कितनी सख्त रुसवाई और ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा कि सारी इंसानियत अल्लाह तआला के सामने सजदा में होगी, मगर बेनमाज़ियों की कमरें तख्ते की तरह कर दी जाएंगीं और वह सजदा नहीं कर सकें गे। अल्लाह तआला हम सबकी इस अंजामे बद से हिफाज़त फरमाए आमीन।

“**और नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो**” (सूरह अलबक़रा) कुरान करीम में जगह जगह नमाज़ को क़ायम करने का हुकुम दिया गया है। मुफस्सेरीन ने लिखा है कि नमाज़ क़ायम करने से मुराद फ़र्ज़ नमाज़ें जमाअत के साथ अदा करना है।
“**जब तू उन में हो और उनके लिए नमाज़ खड़ी करो, तो चाहिये कि उनमें से एक जमाअत तुम्हारे साथ खड़ी हो (जमाअत से नमाज़ पढ़ने के लिए**” (सूरह अन निसा 102)

जब मुसलमान और काफिरों की फौजें एक दूसरे के मुक़ाबिल जंग के लिए तैयार खड़ी हों और एक लम्हा की भी गफलत मुसलमानों के लिए सख्त खतरनाक साबित हो सकता हो तो एसी सूरत में भी जमाअत के साथ नमाज़ अदा की जाएगी जैसा कि इस आयत में और अहादीसे शरीफा में वज़ाहत से बयान किया गया है। जब खौफ़ की हालत में नमाज़ जमाअत से अदा करने का हुकुम है तो अमन

की हालत में बदरजए अवला फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत के साथ ही अदा की जाएगी, मगर यह कि कोई शरई उज़्र हो।

अहादीसे नबविया का तरजुमा

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है मैंने कई मरतबा इरादा किया कि लकडियां एकटठी करने का हुकुम दूं और साथ ही नमाज़ के लिए अज़ान कहने का हुकुम दूं फिर किसी आदमी को नमाज़ के लिए लोगों का इमाम बना दूं और खुद उन लोगों के घरों को जा कर आग लगा दूं जो जमाअत में शरीक नहीं होते। (यानी घर या दुकान में अकेले ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। (बुखारी)

जो हज़रात शरई उज़्र के बेगैर फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में जाकर जमाअत के साथ अदा करने में कोताही करते हैं, उनके घरों क सिलसिले में उस ज़ात की जिसकी इत्तिबा के हम दावेदार हैं औ जिसको हमारी हर तकलीफ निहायत गिरां गुज़रती हो, जो हमेशा हमारे फायदे की ख्वाहिश रखता हो और हम पर निहायत शफीक और मेहरबान हो यह ख्वाहिश है कि उनको आग लगा दी जाए।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुने और बिला किसी उज़्र के मस्जिद को न जाए (बल्कि वहीं पढ़ ले) तो वह नमाज़ क़बूल नहीं होती। सहाबा ने अर्ज़ किया कि उज़्र से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर्ज़ या खौफ। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि एक नाबीना सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह! मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे मस्जिद में लाए। यह कह कर उन्होंने नमाज़ घर पर पढ़ने की रूखसत चाही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रूखसत दे दी, लेकिन जब वह वापस होने लगे तो उन्हें फिर बुलाया और पूछा क्या तुम अज़ान सुनते हो? उन्होंने अर्ज़ किया हाँ या रसूलुल्लाह! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तो मस्जिद में ही आ कर नमाज़ पढ़ा करो। (मुस्लिम)

गौर फरमाएं कि जब इस शख्स को जो नाबीना है मस्जिद पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है और घर भी मस्जिद से दूर, है नीज़ घर से मस्जिद तक का रास्ता भी ठीक नहीं है (जैसा कि दूसरी अहादीस में मज़कूर है) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी तो देखने वाला और तन्दरूस्त को बेगैर शरई उज़्र के क्यों कर घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस गांव या जंगल में तीन आदमी हों और वहां बाजमाअत नमाज़ न होती है उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। इस लिए जमाअत को ज़रूरी समझो। भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमियों का भेड़िया शैतान है। (अबू दाऊद, नसई, मुसनद अहमद)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जमाअत की नमाज़ अकेले की नमाज़ से अज्र व सवाब में 27 गुना दर्जा ज़्यादा हैं। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स इशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़े गोया कि उसने आधी रात इबादत की और जो फज्र की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़ले गोया उसने पूरी रात इबादत की। (मुस्लिम)

साहाबा के इरशादात का तरजुमा

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि जो शख्स यह चाहे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तआला की बारगाह में मुसलमान बन कर हाज़िर हो वह नमाज़ों को ऐसी जगह अदा करने का एहतेमाम करे जहां अज़ान होती है (यानी मस्जिद में) इस लिए कि हक ताअला ने तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी सुन्न्तें जारी फरमाई हैं जो सरासर हिदायत हैं, उन्ही में से यह जमाअत की नमाज़ें भी हैं। अगर तुम लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ने लगोगे जैसा कि फलां शख्स पढ़ता है तो तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने वाले होगे और यह समझ लो कि अगर तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। हम तो अपना हाल यह देखते थे कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता वह तो जमाअत से रह जाता (वरना हुज़ूर के ज़माने में आम मुनाफिकों को भी जमाअत छोड़ने की हिम्मत न होती थी)

या कोई सख्त बीमार, वरना जो शख्स दो आदमियों के सहारे से घिसटता हुआ जा सकता था वह भी सफ में खड़ा कर दिया जाता था। (मुस्लिम)

हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मस्जिद के पड़ोसी की नमाज़ मस्जिद के अलावा नहीं होती। पूछा गया कि मस्जिद का कौन पड़ोसी है? तो हज़रत अली ने फरमाया जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुने वह मस्जिद का पड़ोसी है। (मुसनद अहमद)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुने और जमाअत में हाज़िर न हो तो यह बेहतर है कि उसके कान पिघले हुए शीशे से भरे दिए जाएं। (मुसनद अहमद)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफलें पढ़ता है मगर जुमा और जमाअत में शरीक नहीं होता (उसके मुताअल्लिक क्या हुकुम है?) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया यह शख्स जहन्नमी है (गो कि मुसलमान होने की वजह से सज़ा भुगत कर जहन्नम से निकल जाए)। (तिर्मीज़ी)

अल्लाह तआला हम सबको पाचों फ़र्ज़ नमाज़ें जमाअत के साथ अदा करने वाला बनाए आमीन।

मस्जिद में जमाअते सानिया (दूसरी जमाअत) का हुकुम

मस्जिद में दूसरी या तीसरी जमाअत करने में फ़ुक़हा व उलमा के दरमियान क़दीम ज़माने से इखतिलाफ चला आ रहा है लेकिन इसमें बाज़ शकलें मुत्तफक़ अलैह भी हैं मसलन :
इस बात पर तमाम लोगों का इत्तिफाक़ है कि मस्जिद में दूसरी जमाअत का मुस्तक़िल एहतेमाम गलत है।
जिन मसाजिद में इमाम व मुअज़्ज़िन मौजूद नहीं है (पांचों नमाज़ें जमाअत के साथ एहतेमाम से अदा नहीं होतीं) या मार्केट या रेलवे स्टेशन की मसाजिद में (जहां लोग आते जाते रहते हैं) या एक शहर या देहात से दूसरे शहर या दूसरे देहात जाने वाली शाहरा पर वाके मसाजिद में दूसरी, तीसरी या चौथी जमाअत करने में तमाम हज़रात का इत्तिफाक है।
लेकिन मुहल्ला की मसाजिद में (जहां इमाम और मुअज़्ज़िन मौजूद हैं और नमाज़ें जमाअत के साथ एहतेमाम से अदा की जाती हैं) दूसरी जमाअत करने के मुतअल्लिक इखतिलाफ है। इमाम अहमद बिन हमबल (रहमतुल्लाह अलैह) की एक रिवायत (जो उनके मुत्तबेईन में ज़्यादा मशहूर है) यह है कि अगर पहले से इत्तिफाक किए बेगैर दो या ज़्यादा हज़रात किसी मस्जिद में जमाअत खत्म होने के बाद पहुंचे तो उनके लिए मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना अकेले पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है अगरचे अकेले नमाज़ पढ़ने पर भी नमाज़ अदा हो जाएगी जिसके दलाइल नीचे लिखे गए हैं।

1) हज़रत ओबय बिन काब (रजी अल्लाह अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ जमाअत से नमाज़ अदा करना अकेले अदा करने से बेहतर है और एक शख्स का दो शख्सों के साथ जमाअत के नमाज़ अदा करना दो आदमियों की जमाअत से बेहतर है। (नसई, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

2) हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी जमाअत खत्म होने के बाद दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "कौन शख्स इस शख्स पर सदका करेगा कि वह उसके साथ नमाज़ अदा करे?" तो एक सहाबी उठे और उन्होंने इस शख्स के साथ नमाज़ अदा फरमाई। (तिर्मीज़ी 220)

3) हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) एक मरतबा किसी मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग नमाज़ से फारिग हो चुके थे। आप ने अज़ान दी और इक़ामत कह कर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी। (बैहक़ी, इमाम बुख़ारी ने भी मौकूफन अपनी तालीकात में ज़िक्र की है)।

(नोट) इन तीनों दलाइल के जवाबात मज़मून के आखिर में मुलाहिज़ा फरमाएं।

फ़ुक़हा व उलमा की एक बड़ी जमाअत (हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हसन बसरी, शैख नाफे मौला बिन उमर, शैख सालिम बिन अब्दुल्लाह, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल की दूसरी गैर मशहूर रिवायत) की राय है कि मुहल्ला की मस्जिद में जहां इमाम और मुअज़्ज़िन दोनों

मुस्तकिल रहते हैं दूसरी जमाअत का एहतेमाम करना मकरूह है बल्कि मस्जिद के बाहर किसी जगह दूसरी जमाअत क़ायम की जाए या फिर मस्जिद में अकेले नमाज़ पढ़ी जाए, जिसके बाज़ दलाइल नीचे लिखे हैं।

1) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप खुद ही सहाबा को नमाज़ पढ़ाया करते थे और अगर किसी सहाबी की जमाअत की नमाज़ छूट जाती तो वह अपनी नमाज़ अकेले पढ़ते थे, दाएं या बाएं किसी शख्स को तलाश नहीं करते थे कि उसके मस्जिद में ही दूसरी जमाअत का एहतेमाम करें। इस बात को तक़रीबन सारी उम्मते मुस्लिमा ने तसलीम किया है चुनांचे क़ुरान, हदीस, सीरत, तफसीर और तारीख की किताबों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िन्दगी में मस्जिद में दूसरी जमाअत का सुबूत सिर्फ एक बार मिलता है जिसका वाक़या हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत में ऊपर गुज़र चुका है। गरज़ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में सिर्फ एक बार दूसरी जमाअत का सुबूत मिलता है जिसमें इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा है और मुक़्तदी इस पर सदका करते हुए नफल अदा कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िन्दगी में एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें दो या ज़्यादा लोगों ने फ़र्ज़ नमाज़ की अदाएगी मस्जिद में दूसरी जमाअत की शकल में की हो।

हज़रत इमाम शाफई (रहमतुल्लाह अलैह) अपनी मशहूर व मारूफ किताब “अलउम” में लिखा है कि मैंने इस मसअला में तमाम अइम्मा से यही कहते हुए सुना है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में जमाअत खत्म होने के बाद पहुंचे तो वह अकेले नमाज़ पढ़े। हां

अगर रास्ता की मस्जिद है जहां इमाम और मुअज़्ज़िन नहीं रहते हैं तो इस मस्जिद में दूसरी जमाअत करने में कोई हर्ज नहीं। हमारे अस्लाफ ने सहाबा-ए-किराम की एक बड़ी जमाअत से यही नक़ल किया है कि अगर वह मस्जिद में बाजमाअत नमाज़ खत्म होने के बाद पहुंचते तो अकेले ही नमाज़ पढ़ते थे। सहाबा-ए-किराम एक मस्जिद में दो मरतबा जमाअत से नमाज़ पढ़ने को मकरूह समझते थे।

मुहद्दिसे कबीर हाफिज अबू बकर बिन अबी शैबा ने अपनी किताब "अलमुसन्नफ" (जो अलमुसन्नफ बिन अबी शैबा के नाम से मशहुर है) में सही सनद के साथ हज़रत हसन बसरी का क़ौल नक़ल किया है कि सहाबा-ए-किराम जमाअत छूट जाने की सूरत में अकेले नमाज़ पढ़ा करते थे।

2) हज़रत अबी बकरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के देहात के इलाका से लौट रहे थे और नमाज़ की अदाएगी का इरादा किया तो देखा कि लोग नमाज़ से फारिग हो गए हैं लिहाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए और घर के अफराद को जमा किया और उनके साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ी। (माजमुल कबीर लित्तिबरानी, मजमउज़्ज़वाएद जिल्द 2 पेज 45) मुहद्दिस हैसमी ने कहा कि इस हदीस के तमाम रावी मज़बूत हैं। शैख नासिरूद्दीन अलबानी ने इस हदीस को हसन क़रार दिया है (तमामुल मिन्नह पेज 155) शैख मशहूर हसन सलमानी ने भी इस हदीस के सही होने का इक़रार किया है। (आलामुल आबिद फी हुकमे तकरारूल जमाअत फ़िल मस्जिदिल वाहिद पेज 34)

मज़कूरा हदीस से मालूम हुआ कि जमाअत ऊला छूट जाने पर हमारे और सारी इंसानियत के क़ायद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दूसरी जमाअत का एहतेमाम नहीं किया बल्कि घरों में जा कर दूसरी जमाअत की।

3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) एक मरतबा अपने दोस्तों के साथ मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए निकले तो देखा कि लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और जमाअत खत्महो गई। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अपने दोस्तों के साथ वापस घर आए और जमाअत के साथ नमाज़ अदा फरमाई। (इस रिवायत को इमाम तबरानी ने "अलमोजम अल कबीर 9380" में सही सनद के साथ ज़िक्र फरमाई है नीज़ इब्ने अब्दुर रज्जाक ने "मुसन्नफ जिल्द 2 पेज 409, 3883" में ज़िक्र फरमाई है।)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) का शुमार इन फ़ुक़हा सहाबा में होता है कि जिन से बड़े बड़े सहाबा भी मसाइल पूछा करते थे। गौर फरमाएं कि किस चीज़ ने इस फकीह सहाबी को मस्जिद में दूसरी जमाअत करने से रोका। यक़ीनन उन्हों मालूम था कि मस्जिद में तनहा नमाज़ पढ़नी होगी जबकि मस्जिद के बाहर किसी दूसरी जगह में दूसरी जमाअत की जा सकती है चुनांचे उन्होंने मस्जिद के बाहर दूसरी जमाअत का एहतेमाम फरमाया ताकि जमाअत की नमाज़ की फज़ीलत किसी हदतक हासिल हो जाए।

4) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा दिल चाहता है कि एक शख्स को हुकुम दुं कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए और मैं फिर जवानों से कहुं कि बहुत सा इंधन एकटठा करके लाएं फिर

मैं उन लोगों के पास जाऊं जो बिला किसी उज़्र घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं और जा कर उनके घरों को जला दूं। (बुखारी व मुस्लिम) इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जो मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ नहीं पढ़ते अपनी ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि मैं उनके घरों में आग लगा ूंद सारी उम्मत मुत्तफिक हैं कि यहां पहली जमाअत मुराद है। अगर आम मसाजिद में दूसरी, तीसरी या चौथी जमाअत करने की पूरे तौर पर इजाज़त दे दी जाए तो पहली जमाअत में न आने वालों के घरों को आग लगाने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्जत पूरी नहीं हो सकती क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाअत में शरीक न होने वालों के घरों को आग लगाने जाते तो वह कह सकते थे कि हम दूसरी, तीसरी या चैथी जमाअत में शरीक हो जाएंगे।

5) बहुत सी अहादीसे सहीहा से मालूम होता है कि शरीअत चाहती है कि जमाअत में ज़्यादा से ज़्यादा हज़रात शरीक हों क्योंकि ज़्यादा हज़रात की शिर्कत ज़्यादा सवाब का बाइस बनेगी आम मसाजिद में दूसरी, तीसरी या चैथी जमाअत की तर्गीब देने की सूरत में पहली जमाअत में लोगों की शिर्कत यक़ीनन कम रहेगी जो शरीअत की ख्वाहिश के खिलाफ है।

6) जैसा कि तजुर्बा से मालूम हुआ कि जिन उलमा ने सहूलत के पेशे नज़र मुहल्ला की मसाजिद में भी दूसरी जमाअत करने की इजाज़त दे दी है तो वहां तकरीबन हर नमाज़ के बाद दूसरी, तीसरी या चैथी बल्कि कभी कभी बहुत जमाअतें अदा की जाती हैं। जिससे जमाअत की नमाज़ का मकसद ही फौत हो जाता है।

7) आम मसाजिद में दूसरी, तीसरी या चैथी जमाअत की इजाज़त देने से उम्मत में फिरका बन्दी बढ़ेगी मसलन चंद हज़रात मसलकी इखतिलाफात की वजह से किसी इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते तो वह दूसरी, तीसरी या चैथी जमाअत का एहतेमाम करेंगे। यही वजह है कि सउदी हूकूमत मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में दूसरी जमाअत करने से रोकती है।

8) मस्जिद में दूसरी जमाअत अदा करने से दूसरे नमाजियों की नमाज़ में दुशवारी होती है खास कर जो अपनी फौतशुदा रिकात पढ़ रहे हों, हालांकि नमाज़ को खुशू व खुज़ू के साथ अदा करने का हुकुम दिया गया है जो नमाज़ में सबसे ज़्यादा मतलूब है।

(नोट) शैख मोहम्मद नासिरूद्दीन अलबानी (रहमतुल्लाह अलैह) (जिनकी हदीस की खिदमात को खलीजी मुल्कों में बड़ी क़दर की निगाह से देखा जाता है) की राय भी यही है कि आम मसाजिद में दूसरी जमाअत करना मकरूह है।

दूसरी जमाअत के काएलीन के दलाइल का जवाबात

1) हज़रत अबी बिन काब (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रिवायत से सिर्फ यह मालूम हुआ कि जमाअत में जितने ज़्यादा हज़रात शरीक होंगे उतना ही सवाब ज़्यादा मिलेगा। इस हदीस से आम मसाजिद में दूसरी, तीसरी या चैथी जमाअत करने का दूर दूर तक कोई सुबूत नहीं मिलता।

2) हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में मालूम हुआ कि एक शख्स जिसने फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से अदा कर ली है दूसरे ऐसे शख्स पर

सदका कर रहा है जिसने अभी फ़र्ज़ नमाज़ अदा नहीं की है। अगर दोनों फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर रहे हों तो कौन किस पर सदका करने वाला होगा? यहां हक़ीक़तन दूसरी जमाअत हुई ही नहीं बल्कि एक शख्स ने नफल की नियत करके उस पर सदका किया। दो शख्स ने फ़र्ज़ की नियत करके मस्जिद में दूसरी जमाअत अदा की हो ऐसा कोई वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में नहीं हुआ।

3) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम के अमल की रोशनी में यही कहा जा सकता है कि हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) का अमल रास्ते की किसी मस्जिद का रहा होगा इसी लिए उन्होंने अज़ान और इक़ामत के बाद नमाज़ पढ़ी वरना मुहल्ला की मस्जिद में दोबारा अज़ान का क्या मतलब?

(तम्बीह) बाज़ हज़रात इस गुमान की वजह से कि इमाम क़ादा अखिरा में है जमाअत में शरीक नहीं होते बल्कि दूसरी जमाअत की तैयारी शुरू कर देते हैं जैसे ही इमाम सलाम फेरता है फौरन ही दूसरी जमाअत शुरू कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम ताबेईन और तबेताबेईन बल्कि इस्लाम की पूरी तारीख में ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। लिहाज़ा हमें इमाम के साथ ही जमाअत में शरीक होना चाहिए चाहे इमाम के क़ादा अखिरा में होने का यक़ीन ही क्यों न हो।

दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ना

नमाज़ की वक़्त पर अदाएगी से मुतअल्लिक़ आयाते क़ुरानिया और मुतवातिर अहादीस की रौशनी में मुफस्सेरीन, फुक़हा व उल्मा का इत्तिाफाक है कि फ़र्ज़ नमाज़ को उसके मुअैय्यन वक़्त पर अदा करना फ़र्ज़ है और बिला उज़्र शरई वक़्त से पहले या बाद में अदा करना गुनाहे कबीरा है।

नमाज़ को वक़्त पर पढ़ने से मुतअल्लिक़ चन्द आयात

""बेशक नमाज़ अहले ईमान पर फ़र्ज़ है जिसका वक़्त मुक़र्रर है"" (सूरह निसा 103)

"नमाज़ों की हिफाज़त करो" (सूरह बक़रा 238) मुफस्सीरे क़ुरान अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह तआला वक़्त पर नमाज़ों को अदा करने की हिफाज़त का हुकुम फरमाते हैं।

"और वह लोग अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करते हैं"। (सूरह मआरिज 34) मुफस्सीरे क़ुरान इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि वह लोग नमाज़ के औक़ात, अरकान, वाजिबात और मुस्तहब्बात की हिफाज़त करते हैं।

"सो उन नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है जो अपनी नमाज़ में सुस्ती करते हैं" (सूरह माऊन 4 व 5) मुफस्सेरीन ने लिखा है कि वक़्त पर नमाज़ की अदाएगी न करना इस आयत की वईद में दाखिल है।

क़ुरान करीम (सूरह निसा 102) में नमाज़े खौफ की कैफियत और उसके असूल व आदाब बयान किये गए हैं। बहुत सी अहादीस में

नमाज़े खौफ की कैफियत बयान की गई है जिन से वाज़ेह होता है कि मैदाने जंग में और ऐने जंग के वक़्त सिर्फ नमाज़ की कैफियत में तखफीफ की गुनजाइश है लेकिन वक़्त को नजर अंदाज करने की इजाज़त नहीं है बल्कि इमकानी हद तक वक़्त की पाबन्दी ज़रूरी है। मालूम हुआ कि अगर कुफ्फार से जंग हो रही हो और उस वक़्त ज़ररा सी सुस्तीभी हार का सबब बन सकती है तो इस मौका पर भी दो नमाज़ों को जमा करके यानी एक का वक़्त खत्म होने के बाद दूसरे का वक़्त दाखिल होने से पहले पढ़ना जाएज़ नहीं है बल्कि नमाज़ को वक़्त पर अदा किया जाएगा वरना वक़्त के निकलने के बाद उसकी क़ज़ा करनी होगी जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे अहज़ाब के मौका पर वक़्त पर अदाएगी न करने पर नमाज़ की क़ज़ा की थी।

नमाज़ को वक़्त पर पढ़ने से मुतअल्लिक़ चंद अहादीस नबवी

नमाज़ के औक़ात से मुतअल्लिक़ बहुत सी अहादीस हदीस की किताबों में मौजूद हैं जिनमें से एक यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज़ के वक़्त में नमाज़ पढ़ना। उन्होंने अर्ज़ किया उसके बाद कौन सा अमल ज़्यादा महबूब हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां बाप की खिदमत करना। उन्होंने फिर अर्ज़ किया उसके बाद कौन सा अमल? आप सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करना। (सही बुखारी व सही मुस्लिम)

इसी तरह हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम की इमामत वाली हदीस बहुत से सहाबा से मरवी है जिसमें लिखा है कि 2 रोज़ हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमा कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाई। पहले दिन हर नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़ाई और दूसरे दिन आखिर वक़्त में पढ़ाई फिर फरमाया कि हर नमाज़ का वक़्त इन दोनों वक्तों के दरमियान है। (अबू दाऊद, तिर्मीज़ी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज़ को वक़्त पर अदा फरमाते थे। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि जंगे अहज़ाब में एक रोज़ जंग की शिद्दत की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज़ फौत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के डूबने के बाद उसकी क़ज़ा पढ़ी और कुफ्फार के खिलाफ सख्त अल्फ़ाज़ में बददुआ फरमाई कि इन लोगों ने हमें नमाज़े असर से मशगूल रखा, अल्लाह तआला इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे। (सही बुखारी व सही मुस्लिम)

गौर फरमाएं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताईफ के सफर में जब कि आप को लहूलुहान कर दिया गया था फरिशते ने आपके सामाने हाज़िर हो कर उनको कुचलने की पेशकश भी की

मगर रहमतुल लिलआलमीन ने उनके लिए हिदायत की ही दुआ फरमाई मगर जंगे अहज़ाब में कुफ्फार की मुज़ाहमत की वजह से नमाज़ के क़ज़ा हो जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस क़दर सदमा पहुंचा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त अल्फ़ाज़ में बददुआ फरमाई।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने बेगैर किसी उज़्र के दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ा उसने गुनाहे कबीरा का इरतिकाब किया। (तिर्मीज़ी)

इस हदीस के एक रावी को इमाम तिर्मीज़ी ने ज़ईफ कहा है फिर भी क़ुरान व हदीस के दूसरे नुसूस से इस हदीस के मज़मून की ताईद होती है, इमाम हाकिम ने इनको हसन व क़वी तसलीम किया है
हज़रत क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज़ मे कोताही यह है कि एक नमाज़ को दूसरी नमाज़ के वक़्त तक मुअख्खर कर दिया जाए। (सही मुस्लिम)

दो नमाज़ों को एक साथ जमा करना

क़ुरान व हदीस की रौशनी मे उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि हर नमाज़ को उसके वक़्त पर ही अदा करना चाहिए, यही शरीअते इस्लामिया मे मतलूब है, पूरी ज़िन्दगी इसी पर अमल करना चाहिए और इसी की दावत दूसरों को देनी चाहिए लेकिन अगर कोई शख्स सफर या किसी शरई उज़्र की वजह से दो नमाज़ों को एक साथ

पढ़ना चाहे तो इस सिलसिला में फुक़हा व उलमा का इखतिलाफ है। बाज़ फुक़हा व उलमा की एक जमाअत ने सफर या तेज बारिश की वजह से ज़ुहर व असर मे दोनों को एक साथ इसी तरह मग़रिब और इशा मे दोनों को एक साथ पढ़ने की इजाज़त दी है। लेकिन फुक़हा व उलमा की दूसरी जमाअत ने अहादीस की रौशनी में दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। हज़रत इमाम अबू हनीफा की भी यही राय है, हिन्द व पाक के उलमा का भी यही मौक़िफ़ है। फुक़हा व उलमा की यह जमाअत उन अहादीस को जिन में दोनों नमाजें एक साथ पढ़ने का ज़िक्र आया है ज़ाहिरी जमा पर महमूल करती है, जिसका मतलब यह है कि ज़ुहर की नमाज़ आखिर वक़्त में और असर की नमाज़ अव्वल वक़्त में अदा की जा सकती है, मसलन ज़ुहर का वक़्त एक बजे से चार बजे तक है और असर का वक़्त चार बजे से आफताब डूबने तक तो ज़ुहर को चार बजे से कुछ पहले और असर को चार बजे पढ़ा जाए। इस सूरत में हर नमाज़ अपने अपने वक़्त के अंदर अदा होगी। लेकिन सूरत व अमल के लिहाज से दोनों नमाजें एक साथ अदा होंगी, इसी तरह मग़रिबकी नमाज़ आखिर वक़्त में और इशा की नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़ी जाए, इसको जमा ज़ाहिरी या जमा सूरी या जमा अमली कहा जाता है। इस तरह तमाम अहादीस पर अमल भी हो जाएगा और क़ुरान व हदीस का असल मतलब व मक़सद (यानी नमाज़ की वक़्त पर अदाएगी) भी हो जाएगी।

आखिरी क़ौल चंद असबाब की वजह से ज़्यादा राजेह है

1) नमाज़ के औक़ात की तहदीद क़तई फ़र्ज़ है जो क़ुरान करीम की बाज़ आयात व मुतवातिर अहादीस से साबित है और पूरी उम्मत का इस पर इजमा है। दो नमाजें एक साथ पढ़ने से मुतअल्लिक़ अहादीस अखबारे आहाद हैं। कुरानी आयात और मुतवातिर अहादीस का अगर बज़ाहिर तआरूज़ खबरे वाहिद से हो जाए तो खबरे वाहिद खबरे वाहिद में तावील करनी चाहिए, लिहाज़ा इन अखबारे आहाद कोजमा ज़ाहिरी (यानी नमाज़े ज़ुहर को आखिर वक़्त में और नमाज़े असर को पहले वक़्त मे अदा किया जाए) पर महमूल किया जाना चाहिए ताकि किसी तरह का तआरूज भी न रहे और तमाम अहादीस पर भी अमल हो जाए।

2) बाज़ अहादीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िन्दगी में सिर्फ दो बार हज के मौक़े पर हकीकत में दो नमाज़ों को एक साथ जमा किया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे वक़्त नमाज़ पढ़ते नहीं देखा (आप हमेशा वक़्त पर नमाज़ पढ़ते थे) मगर हज्जतुल विदा में मग़रिब और इशा को मुज़दलफा में एक साथ पढ़ा (इशा के वक़्त में मग़रिब और इशा एक साथ पढ़ी)। (सही बुखारी व सही मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज़ वक़्त पर पढ़ते थे लेकिन (हज्जतुल विदा में) आप ने अरफात में ज़ुहर और असर

को ज़ुहर के वक़्त में जमा करके पढ़ा और मुज़दलफा मे मग़रिब और इशा के वक़्त में जमा करके पढ़ा। (नसई)
हुज्जाजे किराम के लिए अरफात (मस्जिद नमरा) में ज़ुहर व असर की हक़ीक़ी जमा और मुज़दलफा में मग़रिब और इशा की हक़ीक़ी जमा मुतावित्र अहादीस से साबित है और पूरी उम्मत का इस पर इजमा है लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात और मुज़दलफा के अलावा कभी भी हक़ीक़ी जमा की सूरत में दो नमाज़ों को एक साथ नहीं पढ़ा जैसा कि अहादीसे बाला में ज़िक्र है।

3) बाज़ अहादीस के अल्फ़ाज़ से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ने से मुतअल्लिक़ जमा का ज़हिरी से है, मसलन-
हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में ज़ुहर को बाद में और असर को पहले पढ़ा करते थे। मग़रिब को पहले और इशा को बाद में अदा करते थे। (मुसनद अहमद)
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) (एक सफर में) शफ़क़ के खतम होने से पहले सवारी से उतरे, मग़रिब की नमाज़ पढ़ी फिर इंतिज़ार किया, शफ़क़ के खतम होने के बाद इशा की नमाज़ अदा की फिर फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब (सफर में) जल्दी होती तो आप इसी तरह अमल फरमाते जैसे मैंने किया है। (अबू दाऊद, दारे क़ुतनी)

हज़रत मआज़ बिन जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे तबूक के सफर में निकले तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर व असर को इस तरह जमा करते कि ज़ुहर को आखिरी वक़्त में और असर को शुरू वक़्त में पढ़ते। (तबरानी अवसत)
हज़रत अबू उसमान नहदी फरमाते हैं कि वह और हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कूफा से मक्का सफर पर जा रहे थे, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास ज़ुहर और असर को इस तरह जमा करते कि ज़ुहर को आखिर वक़्त में और असर को पहले वक़्त में दोनों को एक साथ अदा करते, मग़रिब को आखिर वक़्त में और इशा को पहले वक़्त में दोनों को एक साथ जमा करते। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़ुहर और असर को मिला कर पढ़ा हालांकि यह किसी खतरे या सफर की हालत न थी। हज़रत अबू ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत साद से पूछा कि आप ने ऐसा क्यों क्या? हज़रत साद ने जवाब दिया कि मैंने भी यह बात हज़रत इब्ने अब्बास से पूछी थी तो उन्होंने बताया कि आप का मक़सद था कि लोग तंगी में मुबतला न हों। (सही मुस्लिम)
इस हदीस में दो नमाज़ों को एक साथ अदा करने से मुराद ज़ाहिरी जमा है यानी ज़ुहर को उसके आखिर वक़्त में और असर को उके

शुरू वक़्त में पढ़ा जाए। मुहद्दिसीन यहां तक कि अल्लामा शौकानी ने भी इस हदीस से ज़ाहिरी जमा ही मुराद लिया है।
इन तमाम अहादीस से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि ज़ाहिरी जमा जाएज़ है लेकिन हक़ीक़ी जमा सिर्फ दो जगहों पर है।
4) हदीस के पूरे ज़ख़ीरे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से सिर्फ उन्हीं दो नमाज़ों के जमा करने का सबूत मिलता है जिनके औक़ात आपस में मिलते हैं और दरमियान में मकरूह वक़्त भी नहीं है जिनकी वजह से ज़ाहिरी जमा पर अमल हो सकता है और सिर्फ ज़ुहर व असर या मग़रिब व इशा की नमाजें हैं। बाकी जिन नमाज़ों के औक़ात बाहम मिलते नहीं जैसे फज़्र व ज़ुहर या औक़ात तो मिलते हैं लेकिन दरमियान में मकरूह वक़्त है जैसे असर व मगरिब या इशा व फज़्र कि आधी रात के बाद इशा का वक़्त मकरूह हो जाता है। अगर हक़ीक़ी जमा जाएज़ होती तो फिर ज़ुहर व असर या मग़रिब व इशा के साथ ही खास न होती बल्कि इशा व फज़्र या फज़्र व ज़ुहर में हक़ीक़ी जमा जाएज़ होती और इसका कोई भी क़ायल नहीं है, मालूम हुआ कि जिन अहादीस में सफर वगैरह की वजह से दो नमाज़ों को एक साथ अदा करने का ज़िक्र है उससे मुराद एक नमाज़ को उसके आखिर वक़्त में और दूसरे नमाज़ को उसके शुरू वक़्त में अदा करना है।
5) बाज़ अहादीस में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मरतबा सफर या खौफ या बारिश के उज़्र के बेगैर भी दो नमाज़ों को एक साथ अदा किया। अगर दो नमाज़ों की हक़ीक़ी जमा जाएज़ होती तो इन अहादीस की वजह से बेगैर किसी उज़्र के भी दो नमाज़ों को हक़ीक़ी जमा करके पढ़ना जाएज़ होता

हालांकि अहले सुन्नत वलजमाअत में कोई भी इसका क़ायल नहीं हैं। मालूम हुआ कि इस तरह की अहादीस से मुराद एक नमाज़ को उसके आखिरी वक़्त में और दूसरी नमाज़ को उसके शुरू वक़्त में अदा करना है। जंगे तबूक के लम्बे सफर में यही सूरते अमल थी कि सफर बहुत लम्बा था मौसम सख्त गर्म था पाकी और वज़ू के लिए पानी की कमी थी, इस्लामी फौज की तादाद तक़रीबन तीस हज़ार थी इतने बड़े लशकर का इन मज़कूरा हालात में बारबार उतरना और सवार होना मुशिकल था इसलिए ज़ाहिरी जमा पर अमल किया गया यानी एक नमाज़ को उसके आखिरी वक़्त में और दूसरी नमाज़ को उसके शुरू वक़्त में अदा किया गया।

गरज़ ये कि नमाज़ को वक़्त पर ही अदा करना चाहिए सिवाए 9 जिलहिज्जा को मस्जिदे नमरा (अरफात) में ज़ुहर व असर के वक़्त में और मुज़दलफा में मग़रिब व इशा की अदाएगी इशा के वक़्त में लेकिन अगर कोई उज़्रे शरई है मसलन सफर में हैं और बार बार रूकना दुशवारी का सबब है तो दो नमाजें ज़ाहिरी जमा करके अदा करली जाएं यानी एक नमाज़ को उसके आखिर वक़्त में और दूसरी नमाज़ को उसके शुरू वक़्त में अदा कर लिया जाए।

अल्लाह तआला हम सबको वक़्त पर नमाज़ का एहतेमाम करने वाला बनाए और नमाज़ में कोताही की तमाम शकलों से महफ़ूज़ फरमाए, आमीन।

शरीअते इस्लामिया मे नमाज़ की क़ज़ा का हुकुम

उलमाए-ए-उम्मत का इत्तिफाक़ है कि फ़र्ज़ नमाज़ जान बूझ कर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, शरीअते इस्लामिया मे ज़िना करने, चोरी करने और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज़ का छोड़ना है, लिहाज़ा हर मुसलमान को चाहिए कि वह हर नमाज़ वक़्त पर अदा करने का एहतेमाम करें और अगर कभी कोई नमाज़ वक़्त पर अदा न कर सके तो उसे पहली फुरसत मे पढ़नी चाहिए, हमारी और हमारे उलमा की यह ज़िम्मेदारी है कि हम इस बात की कोशिश व फिक्र करें कि उम्मते मुस्लिमा का हर हर फर्द वक़्त पर नमाज़ की अदाएगी करने वाला बन जाए और हमारी नमाज़े ख़ुशू व ख़ुज़ू के साथ अदा हो, क्यूंकि इसी में तमाम इंसानों की उखरवी कामयाबी छुपी है जैसा कि खालिक़े कायनात ने सूरह मोमेनून आयात (1-11) मे बयान फरमाया है

नमाज़ बिल्कुल न पढ़ने वालो या सिर्फ जुमा और ईदैन या कभी कभी पढ़ने वालों का क़ुरान व हदीस की रौशनी में शरई हुकुम किया है, सउदी अरब के मशहूर आलिमे दीन शैख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन अपनी किताब (हुकमु तारिकिस्सलात) में फुक़हा व उलमा की मुख्तलिफ रायें लिखीं हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल फरमते हैं कि ऐसा शख्स काफिर है और मिल्लते इस्लामिया से निकल जाता है। उसकी सज़ा यह है कि अगर तौबा करके नमाज़ की पाबन्दी न करे तो उसको क़त्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम शाफई कहते हैं कि नमाज़ को छोड़े वाला

काफिर तो नहीं अलबत्ता उसको क़त्ल किया जाएगा। हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि उसको क़त्ल नहीं किया जाएगा अलबत्ता हाकिमे वक़्त उसको जेल में डाल देगा और वह जेल ही में रहेगा यहां तक कि तौबा करके नमाज़ शुरू कर दे या फिर वहीं मर जाए।

क़ुरान व हदीस में लिखा है कि नमाज़ की वक़्त पर अदाएगी की खुसूसी ताकीद के बावज़ूद बाज़ मरतबा नमाज़ छूट जाती है, कभी भूल से कभी कोई उज़्र हो जाने पर और कभी महज लापरवाही और गफलत की वजह से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में जमहूर फुक़हा व उलमा और मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन का इत्तिफाक़ है कि तमाम छूटी हुई नमाज़ की क़ज़ा करनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दफा इरशाद फरमाया कि अगर नमाज़ वक़्त पर अदा न कर सकें तो बाद में उसको पढ़ें, इख्तिसार के मद्दे नज़र सही बुखारी व सही मुस्लिम की एक हदीस लिख रहा हूं। हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नमाज़ को भूल जाए तो जब उसको याद आए फौरन पढ़ले, इसके सिवाए उसका कोई कफ्फारा नहीं। अल्लाह का इरशाद है नमाज़ क़ायम करो मेरी याद के वास्ते। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) बाज़ रिवायात में है कि इस हदीस के अल्फ़ाज़ इस तरह आए हैं जो शख्स नमाज़ को भूल जाए या उसको छोड़ कर सो जाए तो उसका कफ्फारा यह है कि जब याद आए उसे पढ़े। हदीस की मशहूर किताब तिर्मीज़ी में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से जो भी नमाज़ को भूल जाए या उससे सो जाए तो वह जब भी याद आए उसको पढ़ले।

(नोट) ताखीर से सोने की आदत बना कर फज्र की नमाज़ के वक़्त सोते रहना गुनाहे कबीरा है। दूसरे अहादीस की रौशनी में इस हदीस में सोते रहने से मुराद यह है कि नमाज़ वक़्त पर अदा करने के असबाब इख्तियार करें मगर किसी दिन इत्तिफाक़ से आंख न खुल सकी।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम ने बाज़ नमाजें वक़्त के निकलने के बाद अदा फरमाइ हैं। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जंगे खैबर से वापस हो रहे थे रात में चलते चलते जब नींद का गलबा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आखिरी हिस्से में एक जगह क़याम फरमाया और हज़रत बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) को निगरानी का हुकुम फरमाकर लेट गये और साहबा भी सो गये। जब सुबह क़रीब हुई तो हज़रत बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) (थकान की वजह से) अपनी सवारी से टेक लगा कर बैठ गए तो आप पर नींद गालिब हुई और वह भी सो गए और सब हज़रात ऐसे सोए कि सूरज निकलने तक न अल्लाह के रसूल की आंख खुली, न हज़रत बिलाल (रज़ियल्लाहु अन्हु) की और न किसी और सहाबी की। जब सूरज निकल गया और उसकी रौशनी उन हज़रात पर पड़ी तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और घबरा कर हज़रत बिलाल को उठाया। फिर

सहाबा-किराम को आगे चलने का हुकुम दिया, सहाबा अपनी सवारियां ले कर आगे पढ़े और एक जगह हुज़ूर ने वज़ू किया और हज़रत बिलाल को इक़ामत कहने का हुकुम दिया। हज़रत बिलाल ने इक़ामत कही और और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फारिग हुए तो फरमाया जो नमाज़ को भूल जाए उसको चाहिए कि वह याद आने पर उसको पढ़ ले। (सही मुस्लिम)

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते है कि हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) जंगे खन्दक के दिन आए और कुफ्फारे कुरैश को बूरा भला कहने लगे और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मै अब तक असर न पढ़ सका यहा तक कि सूरज डूबने को है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैने भी असर नही पढ़ी है, अल्लाह के रसूल ने वज़ू फरमाया हमने भी वज़ू किया और फिर आफताब डूबने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले असर पढ़ी फिर उसके बाद मग़रिब अदा फरमाइ, (सही बुखारी) बाज़ अहादीस मे लिखा है कि इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़्यादा नमाज़ें छूट गइ थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हे वक़्त निकलने के बाद पढ़ा।

मज़कूरा बाला अहादीस से वाज़ेह हआ कि अगर एक या एक से ज़्यादा नमाज़ फौत हो जाए तो छूटी नमाज़ों का पढ़ना लाज़िम व ज़रूरी है, लफसीलात के लिए इमाम नववी की सही मुस्लिम की सबसे मशहूर शरह (शरह मुस्लिम जिल्द 1 पेज 277) और इब्ने

हजर असकलानी की सही बुखारी की सबसे मशहूर शरह (फतहुल बारी जिल्द 2 पेज 69-70) को देखें, हाँ इस भूल या उज़्र की वजह से वक़्त पर अदा न की गइ नमाज़ को अदा या क़ज़ा का टाइटल देने मे उलमा की राय मख्तलिफ है, भूल या उज़्र की वजह से वक़्त पर नमाज़ अदा न करने पर कोइ गुनाह नही होगा इन्शाअल्लाह, लेकिन अगर कोइ शख्स जानबूझ कर नमाज़ को छोड़ दे तो यह बड़ा गुनाह है इसके लिए तौबा ज़रूरी है, तौबा के साथ जमहूर उलमा की राय है कि उसको नमाज़ की क़ज़ा करनी होगी, हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफई और हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल (रहमतल्लाह अलैहिम) के अक़वाल व अफआल की रौशनी मे यही राय है कि जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने पर भी नमाज़ की क़ज़ा करनी होगी, शैख अबू अबू बकल अजरइ (691-751 हिजरी) ने अपनी किताब (अस्सलात व हुकुम तारीकूहा) मे लिखा है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल ने कहा हैकि उस शख्स पर भी नमाज़ की क़ज़ा वाजिब है, जो जान बूझ कर नमाज़ को छोड़ दे मगर क़ज़ा से नमाज़ छोड़ने का गुनाह खत्म नह होगा उसे नमाज़ की क़ज़ा के साथ अल्लाह तआला से माफी भी मागनी होगी, अल्लामा कूतीबी ने अपनी मशहूर व मारूफ तफसीर (अलजामेउल अहमामिल क़ुरान जिल्द 1 पेज 178) मे लिखा है कि जमहूर उलमा उस पर मूत्तफिक है कि जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाले शख्स पर क़ज़ा वाजिब है अगरचे वह गुनहगार भी है, अल्लामा इब्ने तैमिया ने भी इस बात का इतिराफ किया है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल के नज़दीक

जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाले पर क़ज़ा वाजिब है, गरज़ ये कि अगर किसी शख्स की एक या बहुत सी नमाज़े जानबूझ कर छूट जाऐ तो अल्लाह तआला से माफी के साथ छूटी हुइ नमाज़ों की क़ज़ा करनी ज़रूरी है, क्यूंकि जमहूर उलमा यहा तक कि चारो अइममा के अक़वाल व अफआल की रौशनी मे यही कहा है सिफ ज़माना कदीम मे जब दाऊद ज़ाहिरी और मौजूदा ज़माना मे अहले हदीस हज़रात ने इख्तिलाफ किया है, और बाज़ उलमा ने नमाज़ के जान बूझ कर छूड़ने पर नमाज़ की क़ज़ा वाजिब न होने को जो फैसला दिया है वह असल मे इस बुनियाद पर है कि उनके नुक़्तए नज़र मे जान बूझ कर नमाज़ छोड़ने वाला शख्स काफिर हो जाता है, अब जब काफिर हो गया तो नमाज़ की क़ज़ा का मामला ही न रहा लेकिन जमहूर उलमा की राय है कि जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाला शख्स काफिर नही बल्कि फासिक यानी गुनहगार गुनहगार है और यही क़ौल ज़्यादा सही है वरना असरे हाज़िर मे उम्मते मस्लिमा की एक बड़ी जमाअत दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगी।

सही मुस्लिम की सबसे मशहूर शरह लिखने वाले और रियाजूस्सालेहीन के मुसन्निफ इमाम नववी ने शरह मुस्लिम मे लिखा है कि उलमा का इस बात पर इजमा है कि जो शख्स नमाज़ को जानबूझ कर छोड़ दे उस पर क़ज़ा वाजिब है, बाज़ उलमा ने इख्तिलाफ किया है मगर बाज़ उलमा की यह राय है कि इजमा के खिलाफ होने के साथ दलील के लिहाज से भी बातिल है, नीज़ उन्होने लिखा है कि बाज़ अहले ज़ाहिर सबसे अलग हो गए और कहा कि बिला किसी मजबूरी के छूटी हुई नमाज़ की क़ज़ा वाजिब

नही और उन्होने यह ख्याल व गुमान किया कि नमाज़ का छोड़ना उससे बड़ा गुनाह है कि क़ज़ा करने की वजह से उसके वबाल से निकल जाए मगर यह क़ौल के काइल की गलती व जिहालत है। (शरह मुस्लिम जिल्द 1 पेज 238)

अल्लामा अब्दुल हैय हनफी लखनवी (जिन्होने सिर्फ 40 साल की उम्र पाई और तक़रीबन 80 किताबें लिखी है जिनकी इल्मी सलाहियतों को तमाम मकतिबे फिक्र ने तसलीम किया है) लिखते है कि बाज़ अले ज़ाहिर सबसे अलग हो गए और कहा कि अपने वक़्त मे नमाज़ जान बूझ कर छोड़ने वाले पर ज़रूरी नही है कि दूसरे वक़्त मे उसको अदा करे।

गौर फरमाएं कि जब हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूलने वाले या सोने वाले पर भी छूटी हुई नमाज़ की क़ज़ा को वाजिब किया है, हालांकि यह दोनों गुनहगार नही है तो जानबूझ कर क़ज़ा करने वाले पर बदरजा औला नमाज़ की क़ज़ा होनी चाहिए, यह ऐसा ही है कि जैसे क़ुरान करीम मे फरमाया गया है कि (अपने वालिदैन को उफ न कहो) तो उससे यह भी मालूम हूआ कि जब वालिदैन को (उफ) कहना भी जाएज़ नही तो उनको मारना, पीटना या गाली देना और भी सख्त बड़ा गुनाह होगा, इसी तरह जब भूलने वाले और सो जाने वाले पर क़ज़ा वाजिब की गई तो जानबूझ कर नमाज़ को छोड़ने वाले पर और भी क़ज़ा ज़्यादा ज़रूरी है।

सही मुस्लिम मे है कि एक शख्स ने या एक औरत ने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया मेरी माँ का इंतिक़ाल हो गया और उस पर एक माह के रोज़े रह गए है तो क्या मै उनकी तरफ से क़ज़ा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरी माँ पर क़र्ज़ होता तो क्या तू उसको अदा करता? उसने कहा, हाँ मै अदा करता, हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का क़र्ज़ ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसकी अदाएगी की जाए, हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद रोज़ों की क़ज़ा के बारे मे है और ज़ाहिर है कि रोज़ा और नमाज़ मे फ़र्ज़ होने के लिहाज़ से कोई फ़र्क़ नही बल्कि क़ुरान व हदीस मे नमाज़ पढ़ने की ताकीद सबसे ज़्यादा है लिहाज़ा जब रोज़े की क़ज़ा है तो नमाज़ की भी क़ज़ा होनी चाहिए।

नीज़ पूरी उम्मते मस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि अगर कोइ शख्स जानबूझ कर रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है, इसी तरह अगर किसी शख्स ने इस्तिताअत के बवाजूद हज नही किया तो उसके मरने पर उसके वारेसीन पर ज़रूरी है कि विरासत के तक़सीम से पहले उसके तरका मे से हज्जे बदल का इंतिज़ाम किया जाए, इसी तरह अगर किसी शख्स ने जान बूझ कर सालों से ज़कात अदा नही किया और अब अल्लाह तआला ने हिदायत दी है तो उसे गुज़रे हए सालों की ज़कात अदा करनी होगी।

खुलासा कलाम यह है कि 1400 साल से जमहूर फूकहा व उलमा व मुहद्दिसीन और मुफस्सेरीन की यही राय है कि नमाज़ के छोड़ने पर

उसकी क़ज़ा करनी ज़रूरी है चाहे भूल जाने या सो जाने की वजह से नमाज़ छूटी हो या जानबूझ कर नमाज़ छोड़ी गई हो, एक नमाज़ छूटी हो या एक से ज़्यादा, मशहूर व मारूफ चारों अइम्मा की भी हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी मे यही राय है कि भूल जाने या सो जाने की सूरत मे गुनहगार नही होगा मगर क़ज़ा करनी होगी और जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने पर नमाज़ की क़ज़ा के साथ अल्लाह तआला से माफी भी मांगनी होगी।

जिन उलमा ने फरमाया है कि जानबूझ कर छोड़ने वाला काफिर हो जाता है जैसा कि सउदी अरब के साबिक मुफ़्ती ए आज़म शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का मौक़िफ़ है तो इनका यह क़ौल कि जानबूझ कर छोड़ी गई नमाज़ की क़ज़ा नही है किसी हद तक समझ मे आता है अगरचे जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाले पर काफिर होने का फतवा लगाना जमहूर उलमा के क़ौल के खिलाफ है, मगर वह हज़रात जो जमहूर उलमा के क़ौल के मुताबिक़ नमाज़ छोड़ने वाले पर काफिर होने का फतवा तो सादिर नही फरमाते मगर जान बूझ कर नमाज़ छोड़ने पर नमाज़ की क़ज़ा के ज़रूरी न होने का फैसला फरमाते है तो उनकी यह राय जमहूर उलमा के क़ौल के खिलाफ होने के साथ साथ गैर मन्तिक़ी और दलाइल के एतबार से बातिल भी है जैसा कि मशहूर व मारूफ मूहद्दिस इमाम नववी ने लिखा है, नीज़ एहतियात का तक़ाज़ा भी यही है कि फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ा के वाजिब क़रार दिया जाए ताकि कल आखिरत मे किसी तरह कोई ज़िल्लत उठानी न पड़े, क्यूंकि रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन आदमी के आमाल मे सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ हिसाब लिया जाएगा, अगर नमाज़ दुरुस्त हुई तो वह कामयाब व कामरान होगा और अगर नमाज़ दुरुस्त न हुई तो वह नाकाम और घाटा मे रहेगा। (तिमीजी, इब्ने माजा, नसइ, अबू दाऊद, मुसनद अहमद)

जब हमने यह तसलीम किया कि अल्लाह तआला ने हमारे लिए नमाज़ फ़र्ज़ की है और जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाला काफ़िर नही बल्कि फ़सिक़ व फाजिर है तो जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने पर क़ज़ा के वाजिब न क़रार देने की बात समझ मे नही आती, मसलन अगर किसी शख्स ने ज़िना किया या चोरी की तो उसे अल्लाह तआला से माफी भी मागनी होगी और अगर उसका जुर्म शरई अदालत मे साबित हो जाता है तो उस पर सज़ा भी जारी होगी, यानी उसे अल्लाह तआला से माफी मागने के साथ दुनियावी सज़ा भी भुगतनी होगी, इसी तरह जानबूझ कर नमाज़ छोड़ने वाले को अल्लाह तआला से माफी मागने के साथ नमाज़ की भी क़ज़ा करनी होगी।

गरज़ ये कि हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी मे यह बात वाज़ेह है कि हर नमाज़ को वक़्त पर अदा करना चाहिए, हाँ खुदा नखास्ता अगर कोई नमाज़ छूट जाए तो पहली फुरसत मे उसकी क़ज़ा करनी चाहिए चाहे भूल की वजह से या सोने की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से नमाज़ छूटी हो, या महज लापरवाही और गफलत की वजह से नमाज़ छूटी हो, एक नमाज़ छूटी हो या एक से ज़्यादा या चन्द सालों की, हूज़ूर

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने मे यह तसव्वुर भी नही था कि कोइ मुसलमान जानबूझ कर कई दिनो तक नमाज़ न पढ़े, खैरूल कुरून मे एक वाक़या भी कसदन चंद दिनों की नमाज़ छोड़ने का मामला पेश नही आया बल्कि उस ज़माना मे तो मुनाफिक़ीन को भी नमाज़ छोड़ने की हिम्मत नही थी, अगर लापरवाही और गफलत की वजह से नमाज़े छूट गई है तो सबसे पहले अल्लाह तआला से माफी मांगनी चाहिए और तौबा व इस्तेगफार का सिलसिला मौत तक जारी रख कर फौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ा करनी चाहिए चाहे वह फौतशुदा नमाज़ों को एक वक़्त मे अदा करे या अपनी सहूलत के एतबार से हर नमाज़ के साथ क़ज़ा करता रहे, उलमा ने लिखा है कि ऐसे शख्स के लिए बेहतर है कि वह नफल का एहतेमाम न करके फौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ा करे, यही 1400 सालों से जमहूर उलमा व फुक़हा व मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन की हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी मे राय है और असर हाज़िर मे मशरिक से मग़रिब तक अक्सर व बेशतर उलमा की यही राय है और यही क़ौल एहतियात पर मबनी है कि नमाज़ों को छोड़ने का सख्त गुनाह है यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया है कि ज़िना करने, चोरी करने और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज़ का छोड़ना है, लिहाज़ा छूटी हुई नमाज़ों पर अल्लाह तआला से माफी मागने के साथ उनकी क़ज़ा भी करनी चाहिए।

अल्लाह तआला हमें नमाज़ों को उनके औक़ात पर पढ़ने वाला बनाए और हमारी एक वक़्त की नमाज़ भी छूटने न पाए।

नमाज़े वित्र, अहमियत, तादादे रिकात और पढ़ने के तरीका

वित्र के मानी ताक़ के है, अहादीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ है कि हमें नमाज़े वित्र की खास पाबन्दी करनी चाहिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर व हज़र हमेशा नमाज़े वित्र का एहतेमाम करते थे। नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े वित्र पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है यहां तक कि फरमाया कि अगर कोई शख्स वक़्त पर वित्र न पढ़ सके तो वह बाद में उसकी क़ज़ा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा को वित्र की अदाएगी का हुकुम बहुत बार दिया है, अरबी ज़बान में अमर का सेगा वुजूब के लिए आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़े वित्र का ज़िन्दगी में एक मरतबा भी छोड़ना यहां तक कि हज के मौक़े पर मुज़दलफा में भी साबित नहीं है जैसा कि सउदी अरब के साबिक़ मुफती आम शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने एक सवाल के जवाब में फरमाया।

वित्र को वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा अशद्दुत ताकीद के साथ बयान है। ज़माना कदीम में फुक़हा व उलमा के दरमियान इख्तिलाफ चला आ रहा है। फुक़हा व उलमा की एक जमाअत ने सुन्नते मुअक्कदा अशद्दुत ताकीद कहा है जबकि फुक़हा व उलमा की दूसरी जमाअत मसलन शैख नोमान बिन साबित यानी इमाम अबू हनीफा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में वाजिब क़रार दिया है। जिसका दरजा फ़र्ज़ से यक़ीनन कम

है। जैसे कि बाज़ उलमा ने तहैय्यतुल मस्जिद की दो रिकात को वाजिब क़रार दिया है जिसका दरजा फ़र्ज़ से यक़ीनन कम है। अगरचे उलमा व फुक़हा के इत्तिफाक़ के साथ तहैय्यतुल मस्जिद की कोई क़ज़ा नही है। जिन फुक़हा व उलमा ने सुन्नते मुअक्कदा अशद्दुत ताकीद कहा है उन्होंने भी अहादीस शरीफ की रौशनी में यही फरमाया है कि नमाज़े वित्र का हमेशा एहतेमाम करना चाहिए और वक़्त पर अदा न करने पर उसकी क़ज़ा करनी चाहिए। शैख इमाम अहमद बिन हमबल ने तो यहां तक फरमाया है कि जिसने जानबूझ कर नमाज़े वित्र को छोड़ा वह बुरा शख्स है और उसकी शहादत क़बूल नहीं करनी चाहिए। (फतावा अल्लामा इब्ने तैमिया 23/127, 253) अल्लामा इब्ने तैमिया ने भी नमाज़े वित्र छोड़ने वाले की शहादत क़बूल न करने का फैसला किया है। गरज़ ये कि अमली एतबार से उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ हैं कि नमाज़े वित्र की हमेशा पाबन्दी करनी चाहिए और वक़्त पर अदा न करने पर उसकी क़ज़ा भी करनी चाहिए चाहे उसको जो भी टाइटल दिया जाए।

नमाज़े वित्र की अहमियत व ताकीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रौशनी में

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबह होने से पहले नमाज़े वित्र पढ़ो। (मुस्लिम, तिर्मीज़ी)

हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मुसलमानो! वित्र पढ़ो, इसलिए

कि अल्लाह तआला भी वित्र है और वित्र को पसन्द करता है। (अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, तिर्मीज़ी)

हज़रत खारजा बिन हुज़ैफा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया अल्लाह तआला ने तुम्हें एक नमाज़ अता फरमाई है वह तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है और वह वित्र की नमाज़ है। अल्लाह तआला ने यह नमाज़ तुम्हारे लिए नमाज़े इशा के बाद से सुबह होने तक मुक़र्रर की है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सुर्ख ऊंटों से बेहतर होने का मतलब ये है कि नमाज़े वित्र दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है क्योंकि उस ज़माना में सुर्ख ऊंट सबसे ज़्यादा क़ीमती चीज़ थी। (तिर्मीज़ी)

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स वित्र से सोता रह जाए या भूल जाए तो जब याद आए (या जागे) तो उसी वक़्त पढ़ले। (अबू दाऊद, तिर्मीज़ी, इब्ने माजा)

हज़रत बुरैदा असलमी (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया नमाज़े वित्र हक है, जो वित्र अदा नह करे वह हम में से नहीं। नमाज़े वित्र अदा नह करे वह हम में से नहीं। नमाज़े वित्र हक़ है जो वित्र अदा न करे वह हम में से नही। बाज़ रिवायत में यह हदीस अलवित्र वाजिब के लफ्ज़ से मरवी है। (अबू दाऊद)

जिन हज़रात ने वित्र को वाजिब क़रार नहीं दिया है हसबे मामूल उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ क़रार देने की कोशिश की है इसमेंकोई शक नहीं कि बाज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद में आए एक रावी (अबू मुनीब अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अलअतकी) को ज़ईफ क़रार दिया है जबकि मुहद्दिसीन की दूसरी जमाअत मसलन इमाम यहया बिन मईन इन्हें सिक़ह कहते हैं, इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही अला शर्तिशशैखैन क़रार दिया है। इमाम दाऊद ने इसहदीस को नक़ल करने के बाद इस पर खामोशी इख्तियार की है जो उनके नज़दीक हदीस के सही या कम से कम हसन होने की दलील होती है। (दरसे तिर्मीज़ी, शैख मोहम्मद तक़ी उसमानी)

नमाज़े वित्र का वक़्त

नमाज़े वित्र का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद से सुबह होने तक रहता है जैसा कि हदीस 1 और 3 में लिखा है। बाज़ उलमा ने नमाज़े फज्र की अदाएगी तक नमाज़े वित्र का वक़्त लिखा है मगर जमहूर उलमा के नज़दीक सुबह होने के बाद वित्र अदा न की जाए बल्कि आफताब निकलने के बाद वित्र की क़ज़ा की जाए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल से मालूम होता है कि सुबह होने के बाद से आफताब के निकलने के वक़्त तक सिर्फ दो रिकात सुन्नते मुअक्कदा और दो रिकात फ़र्ज़ है जैसा कि जलीलुल क़दर ताबई शैख सईद बिन अलमुसैयिब का फतवा है जो इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब “सुनन अलबैहक़ी” में सही सनद के साथ नक़ल किया है कि शैख सईद बिन अलमुसैयिब

ने एक आदमी को देखा कि वह सुबह होने के बाद दो रिकात से ज़्यादा नमाज़ पढ़ता है और इस नमाज़ में खूब रुकू व सजदे करता है तो शैख सईद बिन अलमुसैयिब ने उसे इस काम से मना किया। उस शख्स ने कहा कि क्या अल्लाह मुझे नमाज़ पर अज़ाब देगा? तो शैख ने जवाब दिया नहीं लेकिन तुम्हें सुन्नत की ख़िलाफ वरज़ी पर अज़ाब देगा।

शैख अब्दुल अज़ीज़ का फतवा भी यही है कि जो शख्स सुबह होने तक वित्र न पढ़ सके तो वह सूरज निकलने के बाद पढ़े। (मजमूआ फतावा इब्ने बाज़ 11/300)

नमाज़े वित्र के लिए अफ़ज़ल वक़्त

रात के आखिर हिस्सा में नमाज़े तहज्जुद पढ़ कर नमाज़े वित्र की अदाएगी अफ़ज़ल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तक़िल मामूल भी यही था। अलबत्ता वह हज़रात जो रात के आखिरी हिस्सा में नमाज़े तहज्जुद और नमाज़े वित्र का एहतेमाम नहीं कर सकते हैं तो वह सोने से पहले ही वित्र अदा कर लें।

हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसको खौफ है कि वह आखिरी रात में उठ कर नमाज़ नहीं पढ़ सकता है तो वह रात के शुरू हिस्सा में ही वित्र अदा करले। अलबत्ता जिसको रगबत है कि वह रात के आखिरी हिस्सा में नमाज़े वित्र अदा करे तो उसेऐसा ही करना चाहिए क्योंकि रात के आखिरी हिस्सा में अदा की गई

नमाज़ के वक़्त फरिशते हाज़िर रहते है और यही अफ़ज़ल है। (बुखारी व मुस्लिम)
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मेरे खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की वसीयत की है जिनमें एक सोने से पहले वित्र की अदाएगी है। मैं इन्हें मरते दम तक नहीं छोंड़ूगा। (बुखारी व मुस्लिम,तिर्मीज़ी व नसई, अबू दाऊद व मुसनद अहमद)

वित्र छूट जाए तो क़ज़ा पढ़ें

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में तमाम फुक़हा फुक़हा व उलमा नमाज़े वित्र की क़ज़ा की मशरूइयत पर तो मुत्तफिक़ हैं (जैसा कि सउदी अरब के बड़े उलमा की कौनसल ने फतवा नं॰ 11271 में लिखा है) लेकिन क़ज़ा केवक़्त में उनकी रायें मुख्तलिफ हैं अगरचे तक़रीबन तमाम ही फुक़हा व उलमा आफताब के निकलने के बाद से लेकर ज़ावाल तक के वक़्त को वित्र की नमाज़ का बेहतरीन वक़्त क़रार देते हैं ।

हज़रत अबू सईद खुदरी की हदीस (4) गुजर चुकी है। सुनन बैहक़ी में यह हदीस थोड़ी वज़ाहत के साथ आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स वित्र पढ़े बेगैर सो गया वह सुबह को पढ़े और जो भूल गया वह याद आने पर पढ़े। (बैहक़ी)

इमाम मालिक फरमाते हैं कि उन्हें यह बात पहुंची कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत उबादा बिन सामित वगैरह (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने फज्र के बाद वित्र पढ़े (यानी वक़्त पर वित्र की नमाज़ अदा न कर सके तो बाद में क़ज़ा की) (मुअत्ता मालिक)

हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स का रात का कोई मामूल सोने की वजह से रह जाए और वह फज्र के बाद ज़ुहर से पहले अदा कर ले तो उसके लिए ऐसा ही है जैसा कि उसने उसको मामूल के मुताबिक़ अदा किया। (बुखारी, मुस्लिम, तिर्मीज़ी, नसई, इब्ने माजा)

वित्र की रिकात

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरीक़ों से वित्र अदा किए हैं। अल्लाह तआला ने यह तरीक़े आज तक उम्मते मुस्लिमा में जिन्दा रखे हैं। नीचे दिए गये दो तरीक़े उम्मते मुस्लिमा में ज़्यादा राएज है।

1) वित्र की 3 रिकात इस तरह अदा की जाएं कि 2 रिकात पर सलाम फेर दिया जाए और फिर एक रिकात अदा की जाए यानी 3 रिकात दो तशहहुद और 2 सलाम के साथ।

(नोट) कुछ हज़रात ने सहूलत पर अमल करने का कुछ ज़्यादा ही मिज़ाज बना लिया है चुनांचे वह सिर्फ एक ही रिकात वित्र अदा कर लेते हैं सिर्फ एक रिकात वित्र अदा करने से बचना चाहिए क्योंकि

उलमा व फुक़हा की एक जमाअत की राय में ऐसा करना सही नहीं है।

2) एक सलाम और दो कादों के साथ नमाज़े मग़रिब की तरह वित्र की तीन रिकात अदा की जाएं।

इन मज़कूरा दोनों शकलों में वित्र की अदाएगी सही है अलबत्ता फुक़हा व उलमा ने अपने अपने नुक़्तए नज़र से वित्र की किसी एक शकल को राजेह क़रार दिया है मसलन सउदी अरब के उलमा ने पहली सूरत को राजेह कहा है जबकि दूसरे फुक़हा व उलमा मसलन शैख नोमान बिन साबित यानी इमाम अबू हनीफा ने दूसरी शकल को नीचे की अहादीस की रौशनी में राजेह कहा है।

वित्र की तीन रिकात

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैरे रमज़ान में 11 रिकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले चार रिकात पढते थे, उनके हुस्न और लम्बाई के बारे में कुछ न पूछो। फिर आप चार रिकात पढ़ते थे उनके हुस्न और लम्बाई के बारे न पूछो फिर आप तीन रिकात वित्र पढ़ते थे। (बुखारी व मुस्लिम तिर्मीज़ी, व इब्ने माजा व नसई) यह हदीस, हदीस की हर मशहूर किताब में मौजूद है, इस हदीस में तीन रिकात वित्र का ज़िक्र है।

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की पहली रिकात में सूरह फातिहा

और सब्बेह इसमा दूसरी रिकात में क़ुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रिकात में क़ुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते थे। (तिर्मीज़ी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदते मुबारका यह थी कि वह रात में तहज्जुद की 8 रिाकत पढ़ते थे फिर तीन वित्र पढ़ते और फज्र की नमाज़ से पहले दो रिकात पढ़ें थें। (नसई)
इन अहादीस से मालूम हुआ कि नमाज़े वित्र में तीन रिकात हैं, नीज़ तीन रिकात वित्र के जवाज़ पर तमाम उलमाए उम्मत का इजमा है, इमाम तिर्मीज़ी फरमाते हैं कि जमहूर सहाबा को भी तीन रिकात वित्र पसंद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा किराम और बाद में आने वाले जमहूर अहले इल्म का पसंदीदा अमल भी यही है कि वित्र की पहली रिकात में सब्बेह इसमा दूसरी रिकात में सूरह काफिरून और तीसरी रिकात में सूरह इखलास पढ़ी जाए। (तिर्मीज़ी) एक रिकात वित्र पढ़ने में उलमाए उम्मत का इख्तिलाफहै बाज़ के नज़दीक यह सही नहीं है लिहाज़ा मज़बूत दलील के साथ इहतियात का तक़ाज़ा भी यही है कि वित्र में तीन रिकात ही पढ़ी जाए।

एक सलाम दो तशहहुद के साथ तीन रिकात वित्र

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की दो रिकात पर सलाम नहीं फेरते थे। (नसई)

हज़रत काब (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की पहली रिकात में सूरह आला दूसरी रिकात में काफिरून और तीसरी रिकात में सूरह अहद पढ़ते थे और तीसरी रिकात के आखिर में सलाम फेरते थे। (नसई)

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ के बाद घर में तशरीफ लाते थे फिर दो रिकात पढ़ते थे फिर मज़ीद दो रिकात पहली दोनों रिकात से लम्बी पढ़ते थे फिर तीन रिकात वित्र पढ़ते थे और (सलाम के ज़रिया) जुदा नहीं करते थे। (मतलब ये कि यह तीनों रिकात एक ही सलाम से पढ़ते थे) (मुसनद अहमद)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मग़रिब की नमाज़ दिन की वित्र है, सो जो रात में भी वित्र पढ़ो। (मुसनद अहमद, मुअत्ता मालिक)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हें कि रात के वित्र में दिन के वित्र यानी नमाज़े मग़रिब की तरह तीन रिकात हैं। (अजमोजुल कबीर)

हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि सहाबी रसूल हज़रत ओबय बिन काब तीन रिकात वित्र पढ़ते थे और मग़रिब की नमाज़ की तरह तीसरी रिकात में सलाम फेरते थे। (मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़)

हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मुसलमानों का इजमा है कि वित्र की तीन रिकात हैं और आखिर में ही सलाम फेरा जाए। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा)

सहाबी रसूल हज़रत अनस ने तीन रिकात वित्र की नमाज़ पढ़ी और सिर्फ आखिरी रिकात में सलाम फेरा। (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा)

(वज़ाहत) इन तमाम अहादीस से मालूम हुआ कि वित्र की तीन रिकात एक सलाम से हैं, रहा दूसरी रिकात के बाद क़ादा करने का सबूत तो सही हदीस भी ऐसी नही मिलती जिसमे ये ज़िक्र हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन रिकात वित्र एक सलाम से पढ़ते थे और दूसरी रिकात के बाद बैठने से मना करते थे। इसके बरअक्स बहुत सी एसी अहादीस मिलती है जिन में आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने दिन रात की हर नमाज़ में हर दूसरी रिकात पर कादा करने का हुकुम दिया है। वित्र का इस उमूम से मुस्तसना होना किसी एक हदीस में नहीं मिलता अगर ऐसा होतातो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बयान फरमाते और सहाबा एहतेमाम से उम्मत तक पहुंचाते।

बाज़ हज़रात ने दारे क़ुतनी और बैहक़ी में वारिद हज़रत अबू हुरैरा की हदीस के सिर्फ एक हिस्सा को ज़िक्र करके लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सलाम और दो तशहहुद के ज़रिया नमाज़े वित्र पढ़ने से मना किया है।

हदीस के सिर्फ एक हिस्सा को ज़िक्र करके कोई फैसला करना ऐसा ही होगा जैसे कि कोई कहे क़ुरान में अल्लाह तआला ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया हे और दलील के तौर पर पेश करे “नमाज़ के करीब भी मत जाओ”।

दारे क़ुतनी और बैहक़ी में वारिद इस हदीस का तअल्लुक अगर सिर्फ वित्र से है तो इसका मतलब ये होगा कि मग़रिब की तरह तीन वित्र न पढ़ो बल्कि पांच या सात पढ़ो जिसका कोई भी क़ायल नहीं है।

यक़ीनन इसका दूसरा मफहूम है। मुमकिन है कि इस हदीस का तअल्लुक तहज्जुद की नमाज़ से हो यानी जब तुम नमाज़े तहज्जुद और उसके बाद वित्र पढ़ना चाहो तो कम से कम 8 या 7 रिकात पढ़ो। और अगर यह तसलीम कर भी लिया जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े वित्र में मग़रिब से मुशाबहत से मना फरमाया है तो किस बुनियाद पर हम यह कहेंगे कि इससे मुराद यह है कि दूसरी रिाकत में कादा न किया जाए। कल क़यामत तक भी कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से दारे क़ुतनी और बैहक़ी में वारिद इस हदीस का यह मफहूम साबित नहीं कर सकता है। इसके यह मतलब भी तो हो सकते हैं।

1) नमाज़े वित्र को मग़रिब की तरह न पढ़ो यानी वित्र की तीसरी रिकात में भी सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाओ ताकि मग़रिब और वित्र में फ़र्क़   हो जाए।

2) नमाज़े वित्र को मग़रिब की तरह न पढ़ो यानी वित्र में दुआए क़ुनूत भी पढ़ो ताकि मग़रिब और वित्र में फ़र्क़   हो जाए।

गरज़ ये कि इस हदीस की बुनियाद पर यह कहना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र की तीन रिकात एक सलाम से पढ़ने पर वित्र की दूसरी रिकात में कादा करने से मना फरमाया है सही नहीं है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात में हदीस का यह मफहूम ज़िक्र नहीं है। हां किसी आलिम या फक़ीह की अपनी राय हो सकती है जो गलती का इहतिमाल रखती है, जिसपर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फुक़हा व उलमा की दूसरी जमाअत मसलन इमाम अबू हनीफा की राय यह है

कि इस हदीस से यह मफहूम लेना सही नहीं है। लिहाज़ा ऐसे मुख्तलफ फी मसाइल में वुसअत से काम लेना चाहिए, न कि इमाम अबू हनीफा की राय को क़ुरान व सुन्नत के खिलाफ क़रार दी जाए। इस मौका को गनीमत समझ कर यह बात वाज़ेह करना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूं कि इन दिनों बाज़ हज़रात इमाम अबू हनीफा (जिन्हें तक़रीबन सात सहाबा के दीदार का शर्फ हासिल है) क़ुरान व सुन्नत की रौशनी में बाज़ रायें (अगर वह उन उलमा के राय से मुख्तलिफ होती है) को क़ुरान व सुन्नत के खिलाफ बताते हैं और और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने 1400 साल के बाद क़ुरान व सुन्नत को समझा है वही सही है, सहाबा और बड़े बड़े ताबेईन की सुहबत से फायदा उठाने वाले हज़रत इमाम अबू हनीफा ने क़ुरान व सुन्नत के खिलाफ फरमाया है और उनकी राय पर इस तरह लानात व मलामत शुरू कर देते हैं कि मालूम होता है कि इमाम अबू हनीफा ने यह राय गीता, रामाएण और बाइबल से लिया है। (अल्लाह की पनाह) अगर किसी मसअला में इमाम अूब हनीफा की राय की दलील तिर्मीज़ी जैसी मुस्तनद किताब में वारिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल या अमल पर मुशतमिल होती है तो बुखारी व मुस्लिम की हदीस का मुतालबा किया जाता है। एक सलाम और दो तशहहुद से वित्र की तीन रिकात को गलत क़रार देने के लिए सहीहैन ही नहीं बल्कि सिहाये सित्ता से भी बाहर निकल कर दारे क़ुतनी और बैहक़ी की उस रिवायत को बुनियाद बनाया जा रहा है जिसके बहुत से मफहूम हो सकते हैं।

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वह क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता

दुआए क़ुनूत का वक़्त

दुआए क़ुनूत चाहे रुकू से पहले या रुकू के बाद पढ़ी जाए, दोनों शकलों में नमाज़ अदा हो जाएगी, अलबत्ता अफ़ज़ल वक़्त के मुतअल्लिक़ फुक़हा व उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की राय कि दुआए क़ुनूत को रुकू से पहले पढ़ी जाए (तिर्मीज़ी) शैख इमाम अबू हनीफा, शैख इमाम सुफियान सौरी, शैख इमाम इसहाक और शैख इमाम इब्ने मुबारक जैसे जलीलुल क़दर फुक़हा ने बहुत सी अहादीस की बिना पर इसी क़ौल को इख्तियार किया हे। इसकी दलील में इख्तिसार की वजहसे सिर्फ दो हदीसें पेश कर रहा हूं

हज़रत आसिम (रहमतुल्लाह अलैह) कहते हैं मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से क़ुनूत के मुतअल्लिक़ सवाल किया? हज़रत अनस ने फरमाया क़ुनूत साबित है। मैंने अर्ज़ किया रुकू से पहले या बाद में? हज़रत अनस ने फरमाया रुकू से पहले। मैंने कहा कि फलां ने मुझे आपके बारे में बताया है कि आपने रूकके बाद पढ़ी है? हज़रत अनस ने फरमाया उसने झूट कहा है। रुकू के बाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक माह दुआए क़ुनूत पढ़ी है। (बुखारी)

बुखारी शरीफ की सबसे ज़्यादा मशहूर शरह लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं कि हज़रत अनस की तमाम रिवायात को पेशे नज़र रखने से मालूम होता है कि जब दुआए क़ुनूत किसी खास वजह से (दुआ वगैरह के लिए) पढ़ी जाए तो बिलइत्तिफाक़ वह रुकू के बाद है और जो क़ुनूत आम हालात में पढ़ी जाए तो हज़रत अनस

से सही तौर पर यही साबित है कि वह रुकू से पहले है। (फतहुल बारी पेज 491)

हज़रत ओबय बिन काब (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र में रुकू से पहले क़ुनूत पढ़ते थे। (इब्ने माजा)

दुआए क़ुनूत से पहले हाथों का उठाना

हज़रत असवद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं कि वह वित्र की आखिरी रिकात में सूरह अहद पढ़ते थे, फिर दोनों हाथों को उठाते और उसके बाद रुकू से पहले दुआए क़ुनूत पढ़ते थे। (बुखारी 28)

दुआए क़ुनूत:

जो दुआए क़ुनूत अमूमन हम पढ़ते हैं (अल्लाहुम्मा इन्ना आखिर तक) वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तफसीलात के लिए देखें मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 95)

खुलासा कलाम: फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ हमें नमाज़े वित्र का खास एहतेमाम करना चाहिए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में ज़िक्र किया गया है। नीज़ सुन्नत और नफल का भी एहतेमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह तआला का क़ुर्ब भी हासिल हो जाए जैसा कि सही बुखारी की हदीस में है कि बन्दा नवाफिल के ज़रिये अल्लाह तआला से करीब होता जाता है। नीज़ अगर खुदा नखास्ता क़यामत के दिन फ़र्ज़ नमाज़ों में कुछ कमी निकले तो सुन्नत और नफल से उसकी पूरी कर दी जाएगी जैसा कि अहादीस में ज़िक्र आता है।

अल्लाह तआला हम सबको नमाज़ों का एहतेमाम करने वाला बनाए और हमारी नमाज़ों में ख़ुशू व ख़ुज़ू पैदा फरमाए ताकि हमारी नमाजें दुनिया में हमें बुराईयों से रोकने का ज़रिया बनें और क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचाने का ज़रिया बनें।

जुमा के फ़ज़ाइल, अहमियत, मसाइल और अहकाम

अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात पैदा फरमाई और इनमें से बाज़ को बाज़ पर फौकियत दी। सात दिन बनाए और जुमा के दिन को दूसरे दिनों पर फौक़ियत दी। जुमा के फ़ज़ाइल व अहमियत में यह बात खास तौर पर काबिले ज़िक्र है कि हफ्ते के तमाम दिनों में सिर्फ जुमा के नाम से ही क़ुरान करीम में सूरह नाज़िल हुई जिसकी रहती दुनिया तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह।

सूरह जुमा का मुख्तसर बयान

सूरह जुमा मदनी है। इस सूरह में 11 आयात और दो रुकू हैं। इस सूरह की इब्तिदा अल्लाह तआला की तसबीह और तारीफ से की गई है, जिसमें अल्लाह तआला की चार सिफात बयान की गई हैं।

1) अलमलिक (बादशाह) हक़ीक़ी व दायमी बादशाह, जिसकी बादशाहत पर कभी ज़वाल नहीं है।

2) अलक़ुद्दूस (पाक ज़ात) जो हर ऐब से पाक व साफ है।

3) अलअज़ीज़ (ज़बरदस्त) जो चाहता है करता है, वह किसी का मुहताज नहीं है, सारी कायनात के बेगैर सब कुछ करने वाला है।

4) अलहकीम (हिकमत वाला) उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है।

इससके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नुबूव्वत का ज़िक्र किया गया कि हमने ना जानने वालों लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें हमारी आयतें पढ़ कर सुनाता है, उनको पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है

फिर यहूद व नसारा का तज़किरा किया गया है। इस सूरह की आखिरी 3 आयात में नमाज़े जुमा का ज़िक्र है जिनका तरजुमा यह है।

“ऐ ईमान वालो! जब जुमा के दिन के लिए पुकारा जाए, यानी नमाज़ की अज़ान हो जाए तो अल्लाह की याद के लिए जल्दी करो, और खरीद व फरोख्त छोड़ दो। यह तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो” (आयत 9)

“और जब नमाज़ हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फज़ल तलाश करो यानी रिज़्क़ हलाल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी नमाज़ तो सिर्फ इसी जगह अदा कर सकते हो लेकिन ज़िक्र हर जगह कर सकते हो। देखो मुझे भूल न जाना, काम करते हुए, मेहनत मजदूरी और मुलाज़मत करते हुए हर जगह मझे याद रखना” (आयत 10)

“जब लोग सौदा बिकता देखते हैं या तमाशा होता देखते हैं तो उधर भाग जाते हैं और तुझे खड़ा छोड़ देते हैं तो फरमा दीजिए जो अल्लाह के पास है वह बेहतर है तमाशे से और सौदे से, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाले हैं” (आयत 11)

आखिरी आयत (आयत 11) का शाने नुज़ूल

इब्तिदाए इस्लाम में जुमा की नमाज़ पहले और खुतबा बाद में होता था। चुनांचे एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज़ के बाद खुतबा दे रहे थे कि अचानक दहया बिन खलीफा क़ाफ़िला मुल्के शाम से गल्ला लेकर मदीना पहुंचा। उस ज़माने में गल्ले की इंतिहाई कमी थी। सहाबा-ए-किराम ने समझा कि नमाज़े जुमा से फरागत हो गई है और घरों में गल्ला नहीं है, कहीं

सामान खत्म न हो जाए चुनांचे खुतबा जुमा छोड़ कर बाहर खरीद व फरोख्त के लिए चले गए। सिर्फ 12 सहाबा मस्जिद में रह गए।इस मौक़ा पर यह आयत नाज़िल हुई। हज़रत इराक बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) जुमा की नमाज़ से फारिग हो कर मस्जिद के दरवाज़ा पर खड़े हो जाते और यह दुआ पढ़ते।

"ऐ अल्लाह! मैंने तेरी आवाज़ पर हाज़िरी दी, और तेरी फ़र्ज़ नमाज़ अदा की, फिर तेरे हुकुम के मुताबिक इस मजमा से उठ आया, अब तू मुझे अपना फ़ज़ल नसीब फरमा, तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है।" (इब्ने अबी हातिम, तफसीर इब्ने कसीर)

इस आयत के पेशे नज़र बाज़ सलफे सालेहीन ने फरमाया है कि जो शख्स जुमा के दिन नमाज़े जुमा के बाद खरीद व फरोख्त करे उसे अल्लाह तआला सत्तर हिस्से ज़्यादा बरकत देगा। (तफसीर इब्ने कसीर)

अज़ाने जुमा

जिस अज़ान का इस आयत में ज़िक्र है उससे मुराद वह अज़ान है जो इमाम के मिम्बर पर बैठ जाने के बाद होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही एक अज़ान थी। जब आप हुजरा से तशरीफ लाते, मिम्बर पर जाते तो आप के मिम्बर पर बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह अज़ान होती थी। इससे पहले की अज़ान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने में नहीं थी। हज़रत उसमान बिन अफ्फान (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में जब लोग बहुत ज़्यादा हो गए तो आपने दूसरी अज़ान एक अलग मकान (ज़ुरा) पर कहलवाई ताकि

लोग नमाज़ की तैयारी में मशगूल हो जाऐं, ज़ुरा मस्जिद के करीब सबसे बुलंद मकान था।

एक अहम नुकता

अल्लाह तआला ने इन आयात में इरशाद फरमाया जब जुमा के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए, जब नमाज़ से फारिग हो जाऐं यह अज़ान किस तरह दी जाए? उसके अल्फाज़ क्या हों? नमाज़ किस तरह अदा करें? यह क़ुरान करीम में कहीं नहीं है, अलबत्ता हदीस में है। मालूम हुआ कि हदीस के बेगैर क़ुरान करीम समझना मुमकिन नहीं है।

जुमा का नाम जुमा क्यों रखा गया

इसके मुखतलिफ असबाब बयान किए जाते हैं।

1) जुमा जमा से निकला है जिसके माना हैं जमा होना। क्योंकि मुसलमान इस दिन बड़ी तादाद में मसाजिद में जमा होते हैं और उम्मते मुस्लिमा के इजतिमाआत होते हैं, इसलिए इस दिन को जुमा कहा जाता है।

2) छः दिन में अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान और तमाम मखलूक़ को पैदा फरमाया। जुमा के दिन मखलूक़ात की तखलीक पूरी हुई यानी सारी मखलूक़ इस दिन जमा हो गई इस लिए इस दिन को जुमा कहा जाता है।

3) इस दिन यानी जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए यानी उनको इस दिन जमा किया गया।

इस्लाम का पहला जुमा

यौमूल जुमा को पहले यौमूल अरूबा कहा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने और सूरह जुमा

के नुज़ूल से पहले अंसार सहाबा ने मदीना में देखा कि यहूदी हफ्ता के दिन और नसारा इतवार के दिन जमा हो कर इबादत करते हैं। लिहाज़ा सबने तैय किया कि हम भी एक दिन अल्लाह तआला का ज़िक्र करने के लिए जमा हों। चुनांचे हज़रत अबू ओमामा (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास जुमा के दिन लोग जमा हुए, हज़रत असद बिन ज़ुरारह ने दो रिकात नमाज़ पढ़ाई। लोगों ने अपने इस इजतिमा की बुनियाद पर इस दिन का नाम यौमूल जुमा रखा। इस तरह यह इस्लाम का पहला जुमा है। (तफसीर क़ुर्तुबी)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमा

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के वक़्त मदीना के करीब बनु उमर बिन औफ के बस्ती क़ुबा में चंद रोज़ के लिए क़याम फरमाया। क़ुबा से रवाना होने से एक रोज़ पहले जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदे क़ुबा की बुनियाद रखी। यह इस्लाम की पहली मस्जिद है जिस की बुनियाद तक़वा पर रखी गई। जुमा के दिन सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा से मदीना के लिए रवाना हुए जब बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पंहुचे तो जुमा का वक़्त हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतने वादी में उस मक़ाम पर जुमा पढ़ाया जहां अब मस्जिद (मस्जिदे जुमा) बनी हुई है। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमा है। (तफसीर क़ुर्तुबी)

जुमा के दिन की अहमियत

यहूदियों ने हफ्ता का दिन पसन्द किया जिस में मखलूक़ की पैदाइश शुरू भी नहीं हुई थी, नसारा ने इतवार को इखतियार किया जिसमें

मखलूक़ की पैदाइश की इब्तिदा हुई थी। और इस उम्मत के लिए अल्लाह तआला ने जुमा को पसन्द फरमाया जिस दिन अल्लाह तआला ने मखलूक़ को पूरा किया था। सही बुखारी की हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया हम दुनिया में आने के एतेबार से तो सबसे पीछे हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे। मुस्लिम की रिवायत में इतना और भी है कि क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ में सबसे पहले फैसला हमारे बारे में होगा। (इब्ने कसीर)

जुमा के दिन की अहमियत के मुतअल्लिक चंद अहादीस

रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह तआला के यहां सारे दिनों में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला है। यह दिन अल्लाह तआला के नज़दीक ईदुल अज़हा और ईदुल फितर के दिन से भी ज़्यादा मरतबा वाला है। इस दिन की पांच बातें खास हैं।

1) इस दिन अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया

2) इसी दिन उनको ज़मीन पर उतारा

3) इसी दिन उनको मौत दी

4) इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि बन्दा इसमें जो चीज़ मांगता है अल्लाह तआला उसको ज़रूर पूरा फरमाते हैं बशत कि किसी हराम चीज़ का सवाल न करे

5) और इसी दिन क़यामत क़ायम होगी। तमाम मुक़र्रब फरिशते, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़, समुन्दर सब जुमा के दिन से

घबराते हैं कि कहीं क़यामत क़ायम न हो जाए इस लिए कि क़यामत जुमा के दिन ही आएगी (इब्ने माजा)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरज निकलने और डूबने वाले दिनों में कोई भी दिन जुमा के दिन से अफ़ज़ल नहीं यानी जुमा का दिन तमाम दिनों से अफ़ज़ल है। (सही इब्ने हिब्बान)

मुस्लमानो! अल्लाह तआला ने इस दिन को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है लिहाज़ा इस दिन गुस्ल किया करो और मिसवाक किया करो। (तबरानी, मजमउज़्ज़वाएद) इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा का दिन हफ्ता की ईद है।

अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम की सूरह बुरूज में (वशाहिद व मशहुद) के ज़रिया क़सम खाई है। शाहिद से मुराद जुमा का दिन है यानी इस दिन जिसने जो भी अमल किया होगा यह जुमा का दिन क़यामत के दिन उसकी गवाही देगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल नमाज़ जुमा के दिन फज्र की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना है। (तबरानी, बज़्ज़ार)

जहन्नम की आग रोज़ाना दहकाई जाती है मगर जुमा के दिन उसकी अज़मत और खास अहमियत व फज़ीलत की वजह से जहन्नम की आग नहीं दहकाई जाती। (ज़ादुल मआद जिल्द 1 पेज 378)

जुमा के दिन क़बूलियत वाली घड़ी की ताईन

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन का ज़िक्र किया और फरमाया इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान नमाज़ पढ़े और अल्लाह तआला से कुछ मांगे तो अल्लाह तआला

उसको इनायत फरमा देता है और हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि वह घड़ी मुख्तसर सी है। (बुखारी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वह घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज़ के खत्म होने तक का दरमियानी वक़्त है। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि मुसलमान बन्दा जो मांगता है अल्लाह उसको ज़रूर देते हैं। और वह घड़ी असर के बाद होती है। (मुसनद अहमद)

मज़कूरा और दूसरी अहादीस की रोशनी में जुमा के दिन क़बूलियत वाली घड़ी के मुतअल्लिक उलमा ने दो वक़्तों की तज़किरा किया है।

1) दोनों खुतबों का दरमियानी वक़्त, जब इमाम मिम्बर पर कुछ लम्हात के लिए बैठता है।

2) आफताब डूबने से कुछ वक़्त पहले।

नमाज़े जुमा की फज़ीलत

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पाच नमाज़ें, जुमा की नमाज़ पिछले जुमा तक और रमज़ान के रोज़े पिछले रमज़ान तक दरमियानी अवक़ात के गुनाहों के लिए कफ्फारा हैं जबकि इन आमाल को करने वाला बड़े गुनाहों से बचे (मुस्लिम) यानी छोटे गुनाहों की माफी हो जाती है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर जुमा के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबा के दौरान खामोश रहता हैं तो इस जुमा

से गुज़शता जुमा तक और मज़ीद तीन दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। (मुस्लिम)

जुमा के नमाज़ के लिए मस्जिद जल्दी पहुंचना

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन जनाबत के ग़ुस्ल की तरह ग़ुस्ल करता है यानी एहतेमाम के साथ फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया कि उसने अल्लाह की खुशनूदी के लिए ऊँटनी क़ुर्बान की। जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया उसने गाए क़ुर्बान की। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया उनके मेंढा क़ुर्बान किया। जो चैथी फुर्सत में मस्जिद जाता गोया उसने मुर्गी क़ुर्बान की। जो पांचवीं फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया उसने अंडे से अल्लाह तआला की खुशनूदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबा के लिए निकल आता है तो फरिशते खुतबे में शरीक हो कर खुतबा सुनने लगते हैं। (बुखारी व मुस्लिम)

यह फुर्सत की घड़ी किस वक़्त शुरू होती है, उलमा की मुख्तलिफ रायें हैं। मगर खुलासा कलाम यह है कि जितना जल्दी हो सके मस्जिद पहुंचे। अगर ज़्यादा जल्दी न जा सकें तो कम से कम खुतबा शुरू होने से कुछ पहले ज़रूर मस्जिद पहुंच जाएं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब जुमा का दिन होता है तो फरिशते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले उसके बाद आने वाले कानाम उसके बाद लिखते हैं (इसी तरह आने वालों के नाम उनके आनेकी तरतीब से लिखते रहते हैं) जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरशिते अपने रजिस्टर (जिन में आने वालों के नाम लिखेगए

हैं) बन्द कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। (मुस्लिम)
खुतबा जुमा शुरू होने के बाद मस्जिद पहुंचने वाले हज़रात की नमाज़े जुमा तो अदा हो जाती है मगर नमाज़े जुमा की फज़ीलत उनको हासिल नहीं होती।

खुतबा जुमा: जुमा की नमाज़ के सही होने के लिए यह शर्त है कि नमाज़ से पहले दो खुतबे दिए जाएं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जुमा के दिन दो खुतबे दिए। (मुस्लिम)
दोनों खुतबों के दरमियान खतीब का बैठना भी सुन्नत है (मुस्लिम)
मिम्बर पर खड़े हो कर हाथ में लाठी लेकर खुतबा देना सुन्नत है।

दौराने खुतबा किसी तरह की बात करना यहा तक कि नसीहत करना भी मना है

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने जुमा के रोज़ दौराने खुतबा अपने साथी से कहा (खामोश रहो) उसने भी बेकार काम किया। (मुस्लिम)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने कंकड़ियों को हाथ लगाया यानी दौराने खुतबा उनसे खेलता रहा (या हाथ, चटाई, कपड़े वगैरह से खेलता रहा) तो उसने भी फज़ूल काम किया (और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब बरबाद कर दिया)। (मुस्लिम)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के दौरान गूठ मार कर बैठने से मना फरमाया है। (तिर्मीज़ी)
(आदमी अपने घुटने खड़े करके रानों को पेट से लगा कर दोनों हाथों को बांध ले तो उसे गूठ मारना कहते हैं।)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैं जुमा के दिन मिम्बर के करीब बैठा हुआ था एक शख्स लोगों की गर्दनों का फलांगता हुआ आया जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैठ जा, तूने तकलीफ दी और ताखीर की। (सही इब्ने हिब्बान)

नोट- जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे जाने से मना किया गया है बल्कि जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए।

जुमा की नमाज़ का हुकुम

जुमा की नमाज़ हर उस मुसलमान, सेहतमंद, बालिग मर्द के लिए ज़रूरी है जो किसी शहर या ऐसे इलाके में रहता हो जहां रोज़मर्रा की ज़रूरियात दस्तियाब हों। मालूम हुआ कि औरतों, बच्चों, मुसाफिरों और मरीज़ के लिए जुमा की नमाज़ ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता औरतें, बच्चे मुसाफिर और मरीज़ अगर जुमा की नमाज़ में हाज़िर हो जाएं तो नमाज़ अदा हो जाएगी। वरना इन हज़रात को जुमा की नमाज़ की जगह ज़ुहर की नमाज़ अदा करनी होगी।

अगर आप जंगल में हैं जहां कोई नहीं या हवाई जहाज़ में सवार हैं तो आप ज़ुहर की नमाज़ अदा फरमा लें।

नमाज़े जुमा की दो रिकात फ़र्ज़ है, जिसके लिए जमाअत की नमाज़ शर्त है। जुमा की दोनों रिकात में जेहरी क़िरात ज़रूरी है। नमाज़े जुमा में सूरह अलआला और सूरह अलगाशिया या सूरह अलजुमा और सूरह अलमुनाफेक़ून की तिलावत करना मसनून है।

जुमा की चंद सुन्नतें और आदाब

जुमा के दिन ग़ुस्ल करना वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा है यानी शरई उज़्र के बेगैर जुमा के दिन ग़ुस्ल को नहीं छोड़ना चाहिए। पाकी का एहतेमाम करना, तेल लगाना, खुशबू इस्तेमाल करना और हस्बे इस्तिताअत अच्छे कपड़े पहनना सुन्नत है।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा के दिन का ग़ुस्ल गुनाहों को बालों की जड़ों तक से निकाल देता है यानी छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं, बड़े गुनाह बेगैर तौबा के माफ नहीं होते। अगर छोटे गुनाह नहीं हैं तो नेकियों में इज़ाफा हो जाता है। (तबरानी, मजमउज़्ज़वायद)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है जितना हो सके पाकी का एहतेमाम करता है और तेल या खुशबू का इस्तेमाल करता है फिर मस्जिद जाता है मस्जिद पहुंच कर जो दो आदमी पहले से बैठे हों उनके दरमियान नही बैठता और जितनी तौफ़ीक़ हो जुमा से पहले नमाज़ पढ़ता है फिर जब इमाम ख़ुत्बा देता है उसको तवज्जोह और खामोशी से सुनता है तो उस शख्स के इस जुमा से पिछले जुमा तक के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है (बुखारी)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने जुमा के दिन ग़ुस्ल किया फिर मस्जिद में आया और जितनी नमाज़ उसके मुक़द्दर में थी अदा की फिर खुतबा होने तक खामोश रहा और इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा की उसके जुमा से जुमा तक और मज़ीद तीन दिन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। (मुस्लिम)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है अगर खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है उसके बाद मस्जिद जाता है फिर मस्जिद आ कर अगर मौका हो तो नफल नमाज़ पढ़ता है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है उस वक़्त से नमाज़ होने तक खामोश रहता है यानी कोई बातचीत नहीं करता तो यह आमाल इस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाहों की माफी का ज़रिया हो जाते हैं। (मुसनद अहमद)

जुमा की सुन्नतें: मज़कूरा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि जुमा की नमाज़ से पहले बाबरकत घड़ियों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ सकें , पढ़ें। कम से कम खुतबा शुरू होने से पहले चार रिकातें तो पढ़ ही लें जैसा कि (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 131) में मज़कूर है।

नमाज़े जुमा के बाद दो रिकातें या चार रिकातें या छः रिकातें पढ़ें। यह तीनों अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित हैं। बेहतर यह है कि छः रिकात पढ़ लें ताकि तमाम अहादीस पर अमल हो जाए और छः रिकातों का सवाब भी मिल जाए। इसी लिए अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के बाद चार रिकात पढ़नी चाहिए और हज़रात सहाबा-ए-किराम से छः रिकात भी मंक़ूल है। (मुख्तसर फतावा इब्ने तैमिया, पेज 79) (नमाज़ पयम्बर पेज 281)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई जुमा की नमाज़ पढ़ ले तो उसके बाद चार रिकातें पढ़े। (मुस्लिम)

हज़रत सालिम अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद दो रिकातें पढ़ते थे। (मुस्लिम)

हज़रत अता फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल्लाह को जुमा के बाद नमाज़ पढ़ते देखा कि जिस मुसल्ला पर आपने जुमा पढ़ा उससे थोड़ा सा हट जाते थे फिर दो रिकात पढ़ते फिर चार रिकातें पढ़तें थे। मैंने हज़रत अता सेूछ्राप कि आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को कितनी मरतबा ऐसा करते देखा? उन्होंने फरमाया बहुत मरतबा। (अबू दाऊद)

नमाज़े जुमा छोड़ने पर वईदें

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े जुमा पढ़ने वालों के बारे में फरमाया मैं चाहतां हुकि किसी को नमाज़ पढ़ाने का हुकुम दुं फिर जुमा न पढ़ने वालों को उनके घरों समेत जला डालूं। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खबरदार! लेग जुमा छोड़ने से रूक जाएं या फिर अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा फिर यह लोग गाफिलीन में से हो जाएंगे। (मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने तीन जुमा गफलत की वजह से छोड़ दिए अल्लाह तआला

उसके दिलों पर मुहर लगा देगा। (नसई, इब्ने माजा, तिर्मीज़ी, अबू दाऊद)

जुमा की नमाज़ के लिए पैदल जाना

हज़रत यज़ीद बिन अबी मरयम (रहमतुल्लाह अलैह) फरमाते हैं कि मैं जुमा के लिए पैदल जा रहा था कि हज़रत इबाया बिन राफे (रहमतुल्लाह अलैह) मुझे मिल गए और फरमाने लगे तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम्हारे कदम अल्लाह तआला के रास्ता में हैं। मैंने अबू अब्स को यह फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कदम अल्लाह के रास्ता में गुबार आलूद हुए तो वह क़दम जहन्नम की आग पर हराम हैं। (तिर्मीज़ी) इसी मज़मून की रिवायत कुछ लफ़्ज़ी इखतिलाफ के साथ सही बुखारी में भी मौजूद है।

जुमा के दिन या रात में सूरह कहफ की तिलावत

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत जुमा के दिन करेगा आने वाले जुमा तक उसके लिए एक खास नूर की रोशनी रहेगी। (नसई, बैहक़ी, हाकिम)

सूरह कहफ के पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाज़िल होती है। हज़रत बरा बिन आज़िब (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी घर में एक जानवर था वह बिदकना शुरू हो गया उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है? तो उन्हें एक बादल नज़र आया जिसने उनको ढांप रखा था। सहाबी ने इस वाक़या का ज़िक्र जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लहु आपने फरमाया सूरह कहफ पढ़ा करो।

क़ुरान करीम पढ़ते वक़्त सकीनत नाज़िल होती है। (सही बुखारी, फजल सूरह अलकहफ, मुस्लिम किताबुस्सलात)

जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की खास फज़ीलत

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे अफ़ज़ल जुमा का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद पढ़ना मुझे पहुंचाया जाता है। (मुसनद अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा, सही इब्ने हिब्बान)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा के दिन और जुमा की रात कसरत से दरूद पढ़ा करो जो ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शिफाअत करूंगा। (बैहक़ी)

जुमा के दिन या रात में इतिक़ाल कर जाने वाले की खास फज़ीलत

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में इंतिक़ाल कर जाए अल्लाह तआला उसको कब्र के फितना से महफूज़ फरमा देते हैं। (मुसनद अहमद, तिर्मीज़ी)

नमाज़े जुमा के लिए सवेरे मस्जिद पहुंचना

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े जुमा के लिए हत्तल इमकान सवेरे मस्जिद जाने की तरगीब दी है। लिहाज़ा अगर हम ज़्यादा जल्दी न जा सकें तो कम से कम ख़ुतबा शुरू होने से कुछ वक़्त पहले हमें ज़रूर मस्जिद पहुंच जाना चाहिए, क्यूंकि खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद पहुंचने वालों की नमाज़े जुमा तो अदा हो जाती है, मगर नमाज़े जुमा की कोई फज़ीलत उनको हासिल नहीं होती है और न उनका नाम फरिशतों के रजिस्टर में लिखा जाताहै, जैसा कि नीचे की अहादीस में लिखा है।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन जिनाबत के गुस्ल की तरह गुस्ल करता है (यानी एहतेमाम के साथ) फिर पहली फुर्सत (घड़ी) में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह की खुशनूदी के लिए ऊंटनी क़ुर्बान की। जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया उसने गाय क़ुर्बान की। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता गोया उसने मेंढा क़ुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी क़ुर्बान की। जो पांचवीं फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे से अल्लाह तआला की खुशनूदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबा के लिए निकल आता है तो फरिशते खुतबा में शरीक हो कर खुतबा सुनने लगते हैं। (बुखारी व मुस्लिम)

(वज़ाहत) यह घड़ी किस वक़्त से शुरू होती है उलमा की रायें मुख्तलिफ हैं, मगर सबका ख़ुलासए कलाम यह है कि हमें जितना जल्द हो सके नमाज़े जुमा के लिए सवेरे मस्जिद पहुचना चाहिए।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब जुमा का दिन होता है तो फरिशते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं पहले आने वाले का नाम पहले, उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं। (इसी तरह आने वालों के नाम उनके आने की तरतीब से लिखते रहते हैं) जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरशिते अपने रजिस्टर जिन में आने वालों के नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। (मुस्लिम)

(वज़ाहत) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मालूम हुआ कि खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद पहुंचने वालों के नाम फरिशतों के रजिस्टर में नहीं लिखे जाते हैं।

मस्जिद पहुंचकर जितनी तौफीक़ हो नमाज़ पढ़लें, खुतबा शुरू होने तक क़ुरान करीम की तिलावत या ज़िक्र या दुआओं में मशगूल रहें, फिर खुतबा सुनें। दौराने खुतबा किसी तरह की बात करना हत्ता कि नसीहत करना भी मना है जैसा कि अहादीस में मौजूद है।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने जुमा के रोज़ खुतबा के दौरान अपने साथी से कहा (खामोश रहो) उसने भी फुज़ूल काम किया। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने कंकड़ियों को हाथ लगाया यानी दौराने खुतबा उनसे खेलता रहा (या हाथ, चटाई, कपड़े वगैरह से खेलता रहा) तो उसने फुज़ूल काम

किया। (और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब कम कर दिया)। (मुस्लिम)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जुमा के दिन मिम्बर के क़रीब बैठा हुआ था, एक शख्स लोगों की गर्दन को फलांगता हुआ आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैठ जा, तूने तकलीफ दी और ताखीर की। (सही इब्ने हिब्बान)

(वज़ाहत) जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे जाना मना है बल्कि पीछे जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए।

हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, जितना हो सके पाकी का एहतेमाम करता है और तेल लगाता है या अपने घर से खुशबू इस्तेमाल करता है फिर मस्जिद पहुंचकर जो दो आदमी पहले से बैठे हों उनके दरमियान नहीं बैठता और जितनी तौफीक़ हो खुतबए जुमा से पहले नमाज़ पढ़ता है। फिर जब इमाम खुतबा देता है उसको तवज्जोह और खामोशी से सुनता है तो इस जुमा से दूसरे जुमा तक के (छोटे छोटे) गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। (सही बुखारी)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया फिर मस्जिद में आया और जितनी नमाज़ उसके मुक़द्दर में थी अदा की फिर खुतबा होने तक खामोश रहा और इमाम के साथ फर्ज़

नमाज़ अदा की उसके इस जुमा से दूसरे जुमा तक और मज़ीद तीन दिन के (छोटे) गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।(मुस्लिम)
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, अगर खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके बाद मस्जिद जाता है, फिर मस्जिद आ कर अगर मौक़ा हो तो नफल नमाज़ पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है उस वक़्त से नमाज़ होने तक खामोश रहता है यानी कोई बात चीत नहीं करता तो यह आमाल इस जुमा से दूसरे जुमा के गुनाहों की माफी का ज़रिया हो जाते हैं। (मुसनद अहमद)
मजकूरा अहादीस से मालूम हुआ कि जुमा की नमाज़ से पहले बाबरकत घड़ियों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ सकते हैं पढ़ें। कम से कम खुतबा शुरू होने से पहले चार रिकातें तो पढ़ ही लें जैसा कि (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 131) में मज़कूर है। मशहूर ताबई हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं कि हजराते सहाबा-ए-किराम नमाज़े जुमा से पहले चार रिकात पढ़ा करते थे।
अहादीसे मज़कूरा में नमाज़े जुमा के लिए खुतबए जुमा से पहले मस्जिद पहुंचने की तरगीब दी गई है। खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद पहुंचने वालों को जुमा की कोई फज़ीलत हासिल नहीं होती है, अगरचे उनकी नमाज़े जुमा अदा हो जाती है। लिहाज़ा हर शख्स को चाहिए कि वह अपने आपको नमाज़े जुमा के लिए सवेरे मस्जिद जाने का आदी बनाए।

नमाज़ और खुतबा सिर्फ अरबी ज़बान में

नमाज़ सिर्फ अरबी में

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम के अक़वाल व अफआल की रोशनी में उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि तकबीरे तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जो कुछ नमाज़ में पढ़ा जाता है बल्कि नमाज़ से पहले यानी अज़ान व इक़ामत का भी अरबी ज़बान में ही पढ़ना ज़रूरी है। यहां तक कि उलमा-ए-किराम की एक बड़ी जमाअत ने लिखा है कि सजदा की हालत में और नमाज़ के आखिर में दरूद पढ़ने के बाद अरबी ज़बान में वही दुआएं पढ़नी चाहिए जो क़ुरान करीम में लिखा हैं या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। क़ुरान व हदीस में वारिद दुआओं के अलावा अरबी ज़बान में नमाज़ में दुआएं मांगने को उलमा-ए-किराम ने मकरूह क़रार दिया है बल्कि उलमा की एक जमाअत ने अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान में नमाज़ के अंदर दुआएं पढ़ने पर नमाज़ के लौटाने का फैसला किया है। इसलिए हमें नमाज़ में तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-किराम के ज़माना में लोग जूक़ दरजूक़ इस्लाम में दाखिल हो रहे थे हत्ताकि अजमियों की बड़ी तादाद ने इस्लाम क़बूल किया मगर एक वाक़या भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी ने अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान में नमाज़ पढ़ने की या नमाज़ में किसी दूसरी ज़बान में दुआ मांगने की

इजाज़त दी हो बल्कि सहाबा-ए-किराम फिर ताबेईन और तबेताबेईन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रोशनी में तमाम अरब व अजम को अमली तौर पर यही तालीम दी है कि नमाज़ में सूरह फातिहा, तिलावते क़ुरान, रुकू व सजदा की तसबीहात, तशहहुद, दरूद और मखसूस दुआएं सिर्फ अरबी ज़बान में ही पढ़नी हैं। अहकामे शरईया की बुनियाद अक़्ल पर नहीं कि किस को सही या गलत समझती है, बल्कि क़ुरान करीम में वारिद अहकाम और सहाबा-ए-किराम, ताबेईने और तबेताबेईन वगैरह से मनक़ूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल यानी अहादीसे नबविया पर है।

इसमें कोई शक नहीं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सजदा के दौरान और नमाज़ के आखिर में दुआएं क़बूल की जाती हैं लेकिन सही मुस्लिम में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया “नमाज़ में लोगों के कलाम से कोई चीज़ सही नहीं है बल्कि नमाज़ में सिर्फ अल्लाह की तसबीह और तकबीर और क़ुरान करीम पढ़ना है” (सही मुस्लिम) इसी लिए नमाज़ के दौरान सलाम का जवाब देना या किसी छींकने वाले के अलहमदु लिल्लाह कहने के जवाब में यरहमकुमुल्लाह कहना सही नहीं है।

हज़रत इमाम अबू हनीफा और हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल (रहमतुल्लाह अलैहिम) की भी क़ुरान व हदीस की रोशनी में यही राय है कि नमाज़ में सिर्फ वही दुआएं मांगी जाएं जो क़ुरान करीम में हैं या जिनका पढ़ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। क़ुरान करीम व हदीस की रोशनी में हज़रत इमाम अबू

हनीफा और उलमा अहनाफ की राय किताबों में मज़कूर है, चुनांचे मुख्तलफ फीह मसाइल में हज़रत इमाम अबू हनीफा की राय को तरजीह देने वाले हिन्द व पाक के उलमा ने भी यही मौक़िफ इखतियार किया है कि नमाज़ में दुनियावी कामों से मुतअल्लिक दुआएं न की जाएं, बल्कि अरबी ज़बान में सिर्फ वही दुआएं मांगी जाएं जो क़ुरान करीम में वारिद हैं या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। सजदा की हालत और नमाज़ के आखिर में दरूद पढ़ने के बाद के अलावा बहुत सी जगहें हैं जिनमें की गई दुआएं क़बूल की जाती हैं जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अज़ान और इक़ामत के दरमियान की जाने वाली दुआ बेकार नहीं जाती, लिहाज़ा उस वक़्त खूब दुआएं करो। (तिर्मीज़ी, मुसनद अहमद, अबू दाऊद, सही इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान) इस लिए नमाज़ के अंदर अपनी दुनियावी ज़रूरतों को न मांगा जाए, बल्कि नमाज़ के बाहर बेशुमार औक़ात और हालात हैं जिनमें दुआएं क़बूल की जाती हैं, इन औक़ात व हालात में अपनी, अपने बच्चों और घर वालों की दुनियावी ज़रूरतों को खूब मांगें।

हमबली मक्तबे फिक्र की मशहूर किताब (अलइंसाफ) में लिखा है कि वह दुआएं जो क़ुरान करीम में मौजूद नहीं हैं या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हैं और उखरवी मामलों से मुतअल्लिक नहीं हैं तो सही मज़हब यही है कि नमाज़ में इस तरह की दुआएं नहीं करनी चाहिए बल्कि इस क़िस्म की दुआओं से नमाज़ खराब हो जाती है, अक्सर उलमा की यही राय है।

हमबली मक्तबे फिक्र के मशहूर आलिम अल्लामा इब्ने कुदामा (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी किताब (अलमुगनी जिल्द 2 पेज 236) में लिखा है कि नमाज़ में ऐसी दुआएं करना जाएज़ नहीं जिनका तअल्लुक़ दुनिया की लज्जतों और शहवतों से है और जिनका तअल्लुक इंसानों के कलाम और उनकी खाहिशों से है।

मज़कूरा बाला दलाइल और उलमा-ए-उम्मत के अक़वाल की रोशनी में मसअला वाज़ेह हो गया कि अगर हम अपनी नमाज़ों के अंदर (यानी सजदा की हालत में और आखिरी रिकात में दरूद पढ़ने के बाद) दुआ करना चाहते हैं तो अरबी ज़बान में सिर्फ वही दुआएं मांगे जिनका ज़िक्र कुरान करीम में है या जिनका पढ़ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जिन हज़रात को ऐसी दुआएं याद नहीं हैं तो उनके लिए नमाज़ के अलावा बेशुमार औक़ात व हालात हैं जिन में दुआएं क़बूल की जाती हैं, मसलन अज़ान व इक़ामत के दरमियान का वक़्त, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद वगैरह वगैरह, इन औक़ात व हालात में जितना चाहें और जिस ज़बान में चाहें अपनी और अपने बच्चों की दुनियावी व उखरवी ज़रूरतों को अल्लाह तआला से मांगें, वह क़बूल करने वाला है।

खुतबा सिर्फ अरबी में

नमाज़ में सूरह फातिहा, तिलावते कुरान और रुकू व सजदा की तसबीहात वगैरह की तरह जुमा और ईदैन का खुतबा भी सिर्फ अरबी ज़बान में होना चाहिए, क्योंकि खुतबा में वाज़ व नसीहत से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र मक़सूद होता है, चुनांचे नमाज़े जुमा के लिए खुतबा का ज़रूरी होना, खुतबा पढ़ने के लिए ज़ुहर के वक़्त का ज़रूरी होना, खुतबा का नमाज़ जुमा से पहले ज़रूरी होना, खुतबा

पढ़ने के बाद बिला ताखीर नमाज़ जुमा का पढ़ना, खुतबा के दौरान सामेईन का बात न करना यहाँ तक कि किसी को नसीहत भी न करना नीज़ नमाज़ की तरह बाज़ अहकाम का मसनून होना इस बात की वाज़ेह दलील है कि खुतबा में असल मतलूब अल्लाह तआला का ज़िक्र है और वाज़ व नसीहत की हैसियत दूसरे दर्जे की है क्योंकि वाज़ व नसीहत के लिए यह तमाम शत ज़रूरी नहीं हैं। क़ुरान करीम सूरह जुमा "**पस तुम अल्लाह की याद की तरफ चल पड़ो**" में मौजूद लफ्ज़ से इसकी ताईद होती है, नीज़ सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में है कि जब इमाम खुतबा के लिए निकलता है तो फरिशते ज़िक्र सुनने के लिए मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। गरज़ ये कि क़ुरान व हदीस में नमाज़ की तरह खुतबा को ज़िक्र से ताबीर किया है यानी खुतबा नमाज़ की तरह अल्लाह का ज़िक्र यानी इबादत है लिहाज़ा हमें खुतबा देने के लिए इन्हीं उमूर पर इंहिसार करना चाहिए जिनका सुबूत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से मिलता है।
अगर जुमा का खुतबा किसी दूसरी ज़बान में देना जाएज़ होता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िन्दगी में कम से कम एक मरतबा इसका सुबूत मिलता, लेकिन तमाम उम्र नबवी में इस क़िस्म का एक वाक़या भी मरवी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा-ए-किराम बिलादे अजम में दाखिल हो कर दुनिया के गोशा गोशा में फैल गए। इन सहाबा के खुतबों के अल्फ़ाज़ तारीख की किताबों में महफ़ूज़ हैं, इनमें किसी एक सहाबी ने ज़िन्दगी में एक मरतबा भी बिलादे अजम में दाखिल होने के बावजूद मुखातिबीन की ज़बान में जुमा का खुतबा नहीं दिया, हालांकि वह लोग अहकामे शरईया से वाक़फियत के लिए आज से कहीं ज़्यादा

मुहताज थे। बहुत से सहाबा दूसरी जबानें भी जानते थे मगर किसी ने अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में जुमा का खुतबा नहीं दिया। हज़रत जैद बिन साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) मुख्तलिफ जबानें जानते थे, इसी तरह हज़रत सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे, हज़रत बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे और हज़रत सुहैब रूम के रहने वाले थे, बाज़ सहाबा-ए-किराम की मादरी ज़बान अरबी के अलावा दूसरी थी मगर तारीख में एक वाक़या भी नहीं मिलता जिसमें अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में किसी सहाबी ने जुमा का खुतबा दिया हो। सहाबा-ए-किराम के बाद ताबेईन और तबेताबेईन ने भी अरबी ज़बान में ही खुतबा देने के सिलसिले को जारी रखा। किसी मशहूर मुहद्दिस या मुफस्सिर से भी अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में खुतबा जुमा पढ़ने का कोई सुबूत नहीं मिलता। सियासी व इंतिजामी मामलों के लिए मुख्तलिफ जबानों के तरजुमान भी रखे गए मगर एक मरतबा भी खुतबा किसी दूसरी ज़बान में नहीं पढ़ा गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने बाज़ मक़ासिद के लिए अपने पास तरजुमान रखे थे मगर एक मरतबा भी उन्होंने खुतबा अरबी के अलावा दूसरी ज़बान में नहीं दिया।

बर्रे सगीर की अहम व मारूफ शख्सियात जिनको हिन्द व पाक के तमाम माकितबे फिक्र ने तसलीम किया है यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिहलवी (रहमतुल्लाह अलैह 1762) ने अपनी शरह मुअत्ता में लिखा है कि खुतबा अरबी ज़बान ही में होना चाहिए, क्योंकि तमाम मुस्लमानों का मशरिक व मगरिब में हमेशा यही अमल रहा है बावजूद इसके बहुत से मुल्कों में मुखातब अजमी लोग थे।

रियाज़ुस्सालेहीन के मुसन्निफ व सही मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर शरह लिखने वाले इमाम नववी ने अपनी किताब अलअज़कार में लिखा है कि खुतबा के शरायत में यह भी है कि वह अरबी ज़बान में हो। हिन्द व पाक के जमहूर उलमा का भी यही मौकिफ है कि खुतबा सिर्फ अरबी ज़बान में होना चाहिए।
बाज़ हज़रात कहते हैं कि जब मुखातिबीन अरबी इबारत को नहीं समझते तो अरबी ज़बान में खुतबा पढ़ने से क्या फायदा? क़ुरान व हदीस की रोशनी में ज़िक्र किया गया है कि खुतबा वाज़ व नसीहत से ज़्यादा अल्लाह तआला का ज़िक्र यानी इबादत है, और इबादत में अपने अक़ली घोड़े दौड़ाने के बजाए सिर्फ उन्हीं मामलों पर इंहिसार करना चाहिए जिनका सुबूत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। नीज़ अगर यह एतेराज़ खुतबा पढ़ने पर आएद होता है तो नमाज़, क़िराते क़ुरान, अज़ान व इक़ामत और तकबीराते नमाज़ वगौरह सब पर यही एतेराज़ होना चाहिए, बल्कि क़िराते क़ुरान पर बनिसबत खुतबा के ज़्यादा आएद होना चाहिए, क्योंकि क़ुरान के नुज़ूल का तो मकसद ही लोगों की हिदायत है और उमूमी तौर पर हिदायत के लिए सिर्फ तिलावत काफी नहीं है बल्कि उसका समझना भी ज़रूरी है, मगर दुनिया का कोई भी आलिम नमाज़ में अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में किराते क़ुरान की इजाज़त नहीं देता।
लिहाज़ा एहतियात इसी में है कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम की इत्तिबा में खुतबा सिर्फ अरबी ज़बान में दें ताकि किसी तरह का कोई शक व शुबहा हमारी इबादत में पैदा न हो चाहे खुतबा मुख्तसर ही क्यों न हो बल्कि

खुतबा मुख्तसर ही होना चाहिए, क्योंकि अहादीस की किताबों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुख्तसर खुतबा देने की हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उमूमी तौर पर ज़्यादा लम्बा खुतबा नहीं दिया करते थे। हाँ खुतबा की अज़ान से पहले या नमाज़े जुमा के बाद खुतबा का तरजुमा मुखातिबीन की ज़बान में तहरीरी या तक़रीरी शकल में पेश कर दिया जाए, ताकि खुतबा का दूसरा मकसद वाज़ व नसीहत भी मुकम्मल हो जाए।

अल्लाह तआला हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला बनाए, आमीन।

जुमा के दिन जुमा मुबारक कहना

बहुत से दोस्तों ने मुझसे जुमा के दिन लोगों को जुमा मुबारक कह कर मुबारकबादी देने का हुकुम मालूम किया क्योंकि बाज़ हज़रात ने शिद्दत से काम लेकर इस अमल को बिदअत ही क़रार दे दिया है, बात इसी पर खत्म नहीं होती बल्कि इस अमल को बिदअत क़रार दे कर जहन्नम में ले जाने वाला अमल भी साबित कर दिया है। और इसकी वजह यह बयान की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम के ज़माना में जुमा को जुमा मुबारक कहने का कोई सुबूत नहीं मिलता है।

जवाब अर्ज़ है कि जुमा के दिन को अहादीसे नबविया में ईद से ताबीर किया गया है, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "बेशक जुमा को अल्लाह तआला ने मुस्लमानों के ईद का दिन बनाया है, जो शख्स जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आए उसे चाहिए कि ग़ुस्ल करे जिसे खुशबू मुयस्सर हो वह खुशबू भी लगाए और मिसवाक को अपने लिए लाज़िम समझो" (इब्ने माजा) अल्लामा इबनुल क़य्यिम ने अपनी मशहूर किताब "ज़ादुल मआद बयानु खसाइसि यौमिल जुमा" में लिखा है कि यह ईद का दिन है जो हर हफ्ते में एक बार आती है।

गरज़ ये कि इस तरह मुसलमान की तीन ईद हो जाती है। एक ईदुल फितर दूसरे ईदुल अज़हा और तीसरे जुमा का दिन। ईदुल फितर और ईदुल अज़हा के मौका पर सहाबा-ए-किराम का एक दूसरे को

मुबारकबाद पेश करना साबित है। लेकिन जुमा के दिन मुबारकबादी पेश करने का कोई सुबूत नहीं मिलता लेकिन फिर भी जुमा हफ्ता की ईद है। इस मसअला का तअल्लुक लोगों की आदत से भी है। इस वजह से उलमा-ए-किराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी जुमा को जुमा मुबारक कह कर किसी शख्स को मुबारक बाद पेश करना चाहे तो यह जाएज़ है लेकिन एहतेमाम के साथ हर जुमा को जुमा की नमाज़ के बाद जुमा मुबारक कह कर मुबारकबाद पेश करना सही नहीं है। सउदी अरब के उलमा ने भी तकरीबन यही बात कही है जो इस लिंक पर पढ़ी जा सकती है। हिन्द व पाक के उलमा का भी यही ख्याल है।

अब रहा मामला के बाज़ हज़रात ने जुमा के दिन जुमा मुबारक कह कर किसी शख्स को मुबारक बाद पेश करने को बिदअत क़रार दिया है तो इस नौइयत की शिद्दत सही नहीं है, वरना हमारे बेशुमार आमाल बिदअत बन जाएंगे, हाँ हर जुमा को एहतेमाम के साथ लोगों को जुमा मुबारक कह कर मुबारकबादी देने की आदत बनाना सही नहीं है।

सलातुत तसबीह, अहमियत व फज़ीलत और पढ़ने का तरीका

क़यामत तक आने वाले सारे इंसान और जिन्नात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सलातुत तसबीह पढ़ने की खास फज़ीलत आई है और वह फज़ीलत यह है कि उसके ज़रिया पहले के गुनाहों की मगफिरत होती है। सलातुत तसबीह से मुतअल्लिक़ यह मुख्तसर मज़मून लिख रहा हूं ताकि हम हसबे सहूलत इस नमाज़ की भी अदाएगी कर लिया करें। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें इबादत करने की तौफीक़ अता फरमाए।

वजहे तसमिया

इस नमाज़ में अल्लाह तआला की तसबीह कसरत से बयान की जाती है इसलिए इस नमाज़ को सलातुत तसबीह कहा जाता है। "सुबहानल्लाहि वलहमदु लिलाहि आखिर तक" कहना अल्लाह तआला की तसबीह है। इस नमाज़ की हर रिकात में यह कलेमात 75 मरतबा पढ़े जाते हैं इस तरह चार रिकात पर मुशतमिल इस नमाज़ में 300 मरतबा पढ़ी जाती है।

सलातुत तसबीह की शरई दलील

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से फरमाया ऐ मेरे चाचा अब्बास! क्या मैं तुम्हें एक तोहफा एक इनाम और एक भलाई यानी ऐसी दस खसलतें न बताऊँ कि अगर आप उन पर अमल करें तो अल्लाह तआला आपके सारे गुनाह पहले और बाद के, नए और

पुराने, जानकर और अनजाने में, छोटे और बड़े खुले और पोशीदा सब माफ फरमा दे। वह दस खसलतें (बातें) यह हैं कि आप चार रिकात नमाज़ अदा करें, हर रिकात में सूरह फातिहा और एक सूरह पढ़ें। जब आप पहली रिकात में किरात से फारिग हो जाएं तो क़यामही की हालत में पन्दरह मरतबा यह तसबीह पढ़ें "सुब्हानल्लाहि वलहमदु लिल्लाहि आखिर तक" फिर रुकू करें, रुकू की दुआ पढ़ने के बाद रुकू ही में दस मरतबा यही तसबीह पढ़ें। फिर रुकू से सर उठाएं और (क़ौमा के कलेमात अदा करने के बाद फिर) दस मरतबा तसबीह पढ़ें। इसके बाद सजदा करें (सजदा में दुआ पढ़ने के बाद) दस मरतबा यही तसबीह पढ़ें। फिर सजदा से उठकर दस मरतबा यही तसबीह पढ़ें। दूसरे सजदा में जा कर (दुआ पढ़ने के बाद) दस मरतबा यही तसबीह पढ़ें। फिर सजदा से सर उठाएं और दस मरतबा तसबीह पढ़ें। इस तरह एक रिकात में तसबीहात की कुल तादाद 75 हो गई। चारों रिकातों में आप यही अमल दुहराएं।

ऐ मेरे चाचा! अगर आप हर रोज़ एक मरतबा सलातुत तसबीह पढ़ सकते हैं तो पढ़लें अगर रोज़ाना न पढ़ सके तो हर जुमा को एक बार पढ़लें। अगर हफ्ता में भी न पढ़ सकें तो फिर महीना में एक मरतबा पढ़लें अगर महीना में भी न पढ़ सकें तो हर साल में एक मरतबा पढ़लें। अगर साल में भी एक बार नह पढ़ सकें तो सारी ज़िन्दगी में एक बार पढ़लें। (अबू दाऊद, तिर्मीज़ी, इब्ने माजा)

(नोट) यह हदीस, हदीस की बीसयों किताबों में लिखी है मगर इख्तिसार के मद्दे नज़र सिर्फ तीन किताबों का हवाला दिया गयाहै।

एक दूसरा तरीका भी सलातुत तसबीह के मुतअल्लिक़ मरवी है, वह यह कि सना पढ़ने के बाद मज़कूरा तसबीह पन्दरह मरतबा पढ़ी

जाए फिर रुकू से पहले, रुकू की हालत में, रुकू के बाद, सजदा ऊला में, सजदा के बाद बैठने की हालत में फिर दूसरे सजदा में दस दस बार पढ़ी जाए, फिर सजदे के बाद न बैठें बल्कि खड़े हो जाएं बाकी तरतीब वही है। (तिर्मीज़ी, अततरगीब वततरहीब)

इस हदीस के फायदे

1) इस हदीस में सलातुत तसबीह की फज़ीलत का बयान, उसकी तादादे रिकात का ज़िक्र और नमाज़ की कैफियत का बयान हुआ, नीज़ इस नमाज़ को ज़रूरत के वक़्त पढ़ना मुस्तहब है।

2) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास की इज़्ज़त अफज़ाई हुई।

3) इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मते मुस्लिमा की कितनी फिक्र रहा करती थी।

4) इस हदीस से शरीअते इस्लामिया के एक अहम असूल यानी नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं की ताईद होती है।

सलातुत तसबीह की अहम फज़ीलत पिछले गुनाहों की मगफिरत

सलातुत तसबीह से मुतअल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला इस नमाज़ के पढ़ने की बरकत से सारे गुनाह पहले और बाद के, नए और पुराने, जानकर और अनजाने में, छोटे और बड़े, जाहिर और पोशीदा सब माफ फरमा देता है। यक़ीनन हम गुनाहगार हैं, हमें अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिगफार के साथ कभी कभी सलातुत तसबीह का एहतेमाम करना चाहिए ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाएं। गुनाहों की माफी में नमाज़ का बड़ा असर है, चुनांचे सही बुखारी व सही मुस्लिम में है कि एक शख्स ने एक औरत का बोसा ले लिया और वह हुज़ूर अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपने गुनाह के इरतिकाब का इक़रार किया तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई "**दिन के दोनों सिरों में नमाज़ क़ायम रख और रात के कुछ हिस्सा में भी, यक़ीनन नेकिया बुराईयों को दूर कर देती है**" (सूरह हूद 114) तो इस शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया यह सिर्फ मेरे लिए है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यह फज़ीलत मेरी पूरी उम्मत के लिए है। शरीअत का उसूल (नेकियों से गुनाह मिटते हैं) एक शख्स के वाक़या पर नाज़िल हुआ मगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पांचों नमाजें, जुमा की नमाज़ पिछले जुमा की नमाज़ तक और रमज़ान के रोजे पिछले रमज़ान तक दरमियानी औक़ात के गुनाहों के लिए कफ्फारा हैं जबकि इन आमाल को करने वाला बड़े गुनाहों से बचे। (सही मुस्लिम) गरज़ ये कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि नमाज़ के ज़रिये अल्लाह तआला गुनाहों की मगफिरत फरमाता है। नीज़ बहुत सी अहादीस में है कि ज़िक्र के ज़रिये अल्लाह तआला गुनाहों की मगफिरत फरमाता है और सलातुत तसबीह में (सुब्हानल्लाहि वलहमदु लिल्लाहि) तो ज़िक्र ही है। गरज़ ये कि नमाज़ से पहले गुनाहों की मगफिरत का होना क़ुरान व सुन्नत से साबित है। सलातुत तसबीह भी एक नमाज़ है लिहाज़ा इसके ज़रिये पहले के गुनाहों की मगफिरत पर कोई शक व शुबहा नहीं होना चाहिए।

सल्फे सालेहीन का सलातुत तसबीह का एहतेमाम

मशहूर व मारूफ मुहद्दिस इमाम बैहक़ी ने अपनी हदीस की मशहूर किताब (शुअबुल ईमान जिल्द 1 पेज 247) में लिखा है कि इमाम हदीस शैख अब्दुल्लाह बिन मुबारक सलातुत तसबीह पढ़ा करते थे और दूसरे सल्फे सालेहीन भी एहतेमाम करते थे। इस मौज़ू पर ज़माना कदीम से मुहद्दिसीन, मुफस्सेरीन व फुक़हा व उलमा ने बहुत सी किताबें लिखी हैं जिसमें फरमाया कि सलातुत्तसबीह के सही होने के बहुत से दलाइल हैं जिनमें से इमाम हाफिज अबूबकर खतीब बगदादी की किताब (ज़िक्र सलातुत तसबीह) काफी अहम है।

सलातुत तसबीह का वक़्त

इस नमाज़ के लिए कोई वक़्त नहीं, दिन या रात में जब चाहें अदा कर सकते हैं सिवाए उन औक़ात के जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वज़ाहत फरमादी है कि अगर आप हर रोज़ एक मरतबा नमाज़े तसबीह पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अगर रोज़ाना न पढ़ सकें तो हर जुमा को एक बार पढ़ें, अगर हफ्ता में भी न पढ़ सकें तो फिर महीना में एक मरतबा पढ़ें, अगर महीना मेंभी न पढ़ सकें तो हर साल में एक मरतबा पढ़ें, अगर साल में भी एक बार न पढ़ सकें तो सारी ज़िन्दगी में एक बार पढ़ लें।

सलातुत तसबीह पढ़ने का तरीका

पहला तरीका

जिस तरह चार रिकात अदा की जाती है इसी तरह चार रिकात नमाज़ अदा करें। जब आप पहली रिकात में किरात से फारिग हो जाएं तो रुकू में जाने से पहले क़याम ही की हालत में पन्दरह बार

यह तसबीह पढ़ें "सुबहानल्लाहि वलहमदु लिल्लाहि आखिर तक" फिर रुकू करें, रुकू की दुआ पढ़ने के बाद रुकू ही में दस बार यही तसबीह पढ़ें फिर रुकू से सर उठाएं और क़ौमा के कलेमात अदा करने के बाद दस बार तसबीह पढ़ें इसके बाद सजदा करें। सजदा की दुआ पढ़ने के बाद दस बार यही तसबीह पढ़ें फिर सजदा से सर उठा कर दस बार तसबीह पढ़ें। दूसरे सजदे में जा कर दस बार यही तसबीह पढ़ें, फिर सजदा से सर उठाएं और दस बार तसबीह पढ़ें। इस तरह एक रिक्त में तसबिहात की कुल तदाद 75 हो गई। चारों रिकातों में आप यही दोहराएं।

दूसरा तरीका

सना पढ़ने के बाद मज़कूरा तसबीह पन्दरह बार पढ़ी जाए फिर रुकू से पहले, रुकू की हालत में, रूकू के बाद, पहले सजदे में, पहले सजदा के बाद बैठने की हालत में फिर दूसरे सजदे में दस दस बार पढ़ी जाए फिर दूसरे सजदे के बाद न बैठे बल्कि खड़े हो जाएं, बाकी तरतीब वही है।

एक शुबहा का इज़ाला

इस दौर में एक नया फितना बरपा हुआ है कि बाज़ हज़रात ने शरीअत की सिर्फ (अलिफ बे ते) को ही जानकर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को यहां तक कि उलमाए किराम को काफिर, मुशरिक और बिदअती क़रार देने को अपनी ज़िन्दगी का मक़सद बना लिया है और लोगों के सामने अपनी राय इस तरह थोपनी शुरू कर दी है कि जो उन्होंने या उनके उलमा ने समझा है सिर्फ और सिर्फ वही सही है बाकी तमाम मकातिबे फिक्र काफिर, मुशरिक और बिदअती हैं, चुनांचे उन्होंने सलातुत तसबीह से मुतअल्लिक़ अहादीस को ज़ईफ़

या मौज़ूअ क़रार देकर बड़ी बहादुरी से काम लिया और इस नमाज़ को ही बिदअत क़रार देना शुरू कर दिया है हालांकि सलातुत तसबीह से मुतअल्लिक़ अहादीस हदीस की उन मशहूर व मारूफ किताबों में मज़कूर हैं जिन्हें उम्मते मुस्लिमा में ज़माना कदीम से ही मकबूलियत हासिल है, जिनको सिहाये सित्ता कहा जाता है यानी हदीस की छः सही किताबें और इब्तिदा से असरे हाज़िर तक केहर ज़माना के मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने इन अहादीस को सही क़रार दिया है, यहां तक कि असरे हाज़िर के शैख नासिरूद्दीन अलबानी (रहमतुल्लाह अलैह) ने भी अबू दाऊद में लिखी सलातुत तसबीह से मुतअल्लिक़ हदीस को सही क़रार दिया है। उलमाए-किराम की एक बड़ी जमाअत ने शैख नासिरूद्दीन अलबानी पर बहुत इतिराज़ात भी किए हैं कि उन्होंने अहादीस के इतने बड़े ज़खीरा को ज़ईफ क़रार दिया है कि तदवीन हदीस से आज तक इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, जिससे शरीअते इस्लामिया के दूसरे अहम ज़रिया पर शक व शुबहा पैदा होता है। नीज़ बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनकी क़ुरान व हदीस की खिदमात से क़यामत तक आने वाले इंसान फायदा हासिल करते रहेंगे। (मसलन मोहम्मद बिन इसहाक़, इब्ने मनदा, इमाम खतीब बगदादी, अबू बकर मोहम्मद बिन मंसूर अस्समआनी, इमाम मुन्जिरी, इब्ने सलाह, इमाम मुस्लिम, इमाम नववी, इमाम इसहाक बिन राहविया, इब्ने हजर असकलानी, इब्ने हजर अलहैशमी, शैख अब्दुल्लाह बिन मुबारक और अल्लामा अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैहिम) ने भी सलातुत तसबीह से मुतअल्लिक़ अहादीस को सही क़रार दिया है जब मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने इन अहादीस को या सिर्फ और सिर्फ एक हदीस को भी सही क़रार

दिया तो फिर भी सलातुत तसबीह को बिदअत क़रार देने की हिम्मत करना कोई अकलमंदी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ हटधर्मी है। अगर किसी बाब में एक हदीस भी सही मिल गई या मुख्तलिफ सनदों से वारिद अहादीस मौजूद हैं जिनकी सनद में कुछ कमी भी है तो उस अमल को बिदअत कहने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि बहुत क़वी उम्मीद हैं कि यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान हो।

दूसरे शुबहे का इज़ाला

बाज़ हज़रात कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज़ सिर्फ अपने चाचा हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ही क्यों सिखाई, उमूमी तौर पर मुसलमानों को इस नमाज़ की तालीम क्यों नहीं दी, तो हमें यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि क़ुरान व हदीस के बहुत से अहकाम बाज़ इंफिरादी वाक़यात पर नाज़िल हुए हैं लेकिन क़यामत तक आने वाले तमाम ही इंसानों के लिए यह अहकाम हैं, मसलन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान (रमजानुल मुबारक में उमरह की अदाएगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की अदाएगी के बराबर है) एक खास मौका पर एक औरत (सहाबिया) के लिए था मगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को यह फज़ीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह। इसी तरह सलातुत तसबीह की इब्तिदाई तालीम हज़रत अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) के लिए थी मगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को इस नमाज़ के पढ़ने की फज़ीलत हासिल होगी इंशाअल्लाह।

तीसरे शुबहे का इज़ाला

बाज़ हज़रात कहते हैं कि जब सलातुत्ता तसबीह से मुतअल्लिक़ अहादीस के सही या ज़ईफ होने में इख्तिलाफ है तो सलातुत तसबीह को क्यों अदा किया जाए बल्कि दूसरे सुनन व नवाफिल का एहतेमाम किया जाए। मेरे भाईयो! सलातुत तसबीह का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होने का हमें पूरा यक़ीन है। इसमें हमारे लिए किसी तरह का कोई शक व शुबहा नहीं है, इस लिए हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक़ हसबे सहूलत सलातुत तसबीह अदा करते हैं। आप नहीं पढ़ना चाहते तो न पढ़ें लेकिन सलातुत्ता तसबीह को बिदअत क़रार देना खतरे से खाली नहीं हैं, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल को ही बिदअत क़रार देना लाज़िम आए।

अल्लाह तआला हम सबको अल्लाह तआला के अहकाम व हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बनाए, आमीन।

नमाज़े जनाज़ा

दुनिया में हर इंसान की ज़िन्दगी तैयशुदा है। वक़्त मुअय्यन आने के बाद एक लम्हा भी मोहलत नहीं दी जाती। मुक़र्रर वक़्त पर इस दुनिया से कब्र वाले घर की तरफ मुंतकिल होना ही है। अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में फरमाता है।
“जब उनका वक़्त आ पहुंचा फिर एक सेकें ड इधर उधर नहीं हो सकता”, ‘‘जब किसी का मुक़र्रर वक़्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह तआला हरगिज़ मोहलत नहीं देता है”, ‘‘हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है।“

मरने के बाद जितनी जल्दी हो सके मुर्दे को ग़ुस्ल व कफन के बाद उसकी नमाज़े जनाज़ा का एहतेमाम करना चाहिए। नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़े किफाया है, यानी अगर दो चार लोग भी पढ़ लें तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा लेकिन जिस क़दर भी ज़्यादा आदमी हों उसी क़दर मुर्दे के हक में अच्छा क्योंकि न मालूम किस की दुआ लग जाए और मुर्दे की मगफिरत हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है।

अगर किसी जनाज़ा में 100 मुसलमान शरीक हो कर उस मुर्दे के लिए शिफाअत करें (यानी नमाज़े जनाज़ा पढ़ें) तो उनकी शिफाअत क़बूल की जाती है। (मुस्लिम)
अगर किसी मुसलमान के इंतिक़ाल पर ऐसे चालीस आदमी जो अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं उसकी

नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह तआला उनकी शिफाअत (दुआ) को मययत के हक में क़बूल फरमाता है। (मुस्लिम)

नमाज़े जनाज़ा की इतनी फज़ीलत होने के बावजूद इंतिहाई अफसोस और फिक्र की बात है कि बाप का जनाज़ा नमाज़ के लिए रखा हुआ है और बेटा नमाज़े जनाज़ा में इसलिए शरीक नहीं हो रहा है कि उसको जनाज़ा की नमाज़ पढ़नी नहीं आती। हालांकि जनाज़ा की दुआ अगर याद नहीं है तब भी नमाज़े जनाज़ा में ज़रूर शरीक होना चाहिए ताकि जो रिशतेदार या दोस्त या कोई भी मुसलमान इस दारे फानी से दारे बका की तरफ सफर कर रहा है उसके लिए एक ऐसे अहम काम (नमाज़े जनाज़ा की अदाएगी) में हमारी शिरकत हो जाए जो उसकी मगफिरत का सबब बन सकता है।

नमाज़े जनाज़ा में चार तकबीरें (यानी चार मरतबा अल्लाहुअकबर कहना) ज़रूरी हैं जिनकी तरतीब इस तरह से है।
पहली तकबीर के बाद सना (सुबहानकल्लाहुम्मा) या फिर हमद व सना के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ लें।
दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़लें (सिर्फ “अल्लाहुम्मा सल्लेअला मोहम्मदिन” पढ़ना भी काफी है)
तीसरी तकबीर के बाद जनाज़ा की दुआ पढ़ें (अहादीस में दुआ के मुख्तलिफ अलफ़ाज़ लिखें हुए हैं याद न हो तो सिर्फ “अल्लाहुम्मगफिर लिलमोमेनीन वलमोमिनात” पढ़ लें)

चैथी तकबीर के बाद सलाम फेर दें। (एक तरफ सलाम फेरना काफी है, दोनों तरफ सलाम फेरना भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। (मुस्लिम)

चन्द मसाइल

नमाज़े जनाज़ा में पहली तकबीर के वक़्त यक़ीनन दोनों हाथ उठाए जाएंगे अलबत्ता दूसरी, तीसरी और चैथी तकबीर के वक़्त हाथों के उठाने या न उठाने में उलमा का इखतिलाफ है, इंशाअल्लाह दोनों शकलों में पूरी नमाज़ अदा हो जाएगी।

अगर नमाज़ में एक, दो या तीन तकबीर छूट गई तो सफ में खड़े हो कर इमाम की अगली तकबीर के साथ तकबीर कह कर जमाअत में शरीक हो जाएं। इमाम के सलाम फेरने के बाद सिर्फ छूटी हुई तकबीरें (यानी अल्लाहु अकबर) कह कर जल्दी से सलाम फेर दें क्योंकि चार तकबीरें कहने पर नमाज़ जनाज़ा अदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह।

हरमैन में तकरीबन हर नमाज़ के बाद जनाज़ा की नमाज़ होती है, लिहाज़ा फ़र्ज़ नमाज़ से फारिग होने के बाद जल्दी ही सुन्नत व नवाफिल की नियत न बांधे बल्कि थोड़ी देर इंतिजार कर लें क्योंकि नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले को भी अज्र व सवाब मिलता है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान के जनाज़ा में ईमान के साथ और सवाब के नियत से साथ चला यहां तक कि उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उसको दफन करने में शरीक रहा तो वह दो क़ीरात सवाब लेकर लौटताहै

और हर क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर है। और जो शख्स नमाज़े जनाज़ा में शरीक हुआ मगर तदफीन से पहले ही वापस आ गया तो वह एक क़ीरात सवाब के साथ लौटता है। (बुखारी व मुस्लिम)

जनाज़ा की नमाज़ मस्जिद के बाहर किसी मैदान में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता मस्जिद के बाहर जगह न मिलने की सूरत में मस्जिद में भी नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है। हरमैन में बेगैर कराहियत के नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है।
हरमैन में औरतें भी नमाज़े जनाज़ा में शरीक हो सकती हैं।
नमाज़े जनाज़ा की अदाएगी के लिए तहारत यानी कपड़ों और बदन का पाक होना, इसी तरह वज़ू का होना ज़रूरी है।
नमाज़ जनाज़ा में अगर कम लोग हों तब भी तीन सफों में लोगों का खड़ा होना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाज़ अहादीस में जनाज़ा कीतीन सफों की खास फज़ीलत लिखी हुई है। (अबू दाऊद)

दूसरे नमाज़ों की तरह मज़कूरा तीन औक़ात में नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमया है।
1) सूरज निकलने के वक़्त
2) ज़वाल (ठीक दोपहर) के वक़्त
3) सूरज डूबने के वक़्त
अगर जूते नापाक हों तो उनको पहन कर नमाज़े जनाज़ा अदा नहीं की जा सकती।

जनाज़ा की नमाज़ में तकबीर कहते हुए आसमान की तरफ मुंह उठाना बेअसल है।
अगर किसी मुसलमान को नमाज़े जनाज़ा के बेगैर दफन कर दिया गया हो तो जब तक लाश के फट जाने का अंदेशा न हो उसकी कब्र पर नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है।

काफिर की नमाज़े जनाज़ा अदा नहीं की जाएगी, इसी तरह गुस्ल या कफन का एहतेमाम भी काफिर शख्स के लिए नहीं है।
जिस शहर या जिस इलाका में इंतिक़ाल हुआ है उसी जगह मय्यत को दफन करना ज़्यादा बेहतर है अगरचे दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में मय्यत को मुंतकिल करके वहां दफन करना जाएज़ है।
जो हज़रात जनाज़ा के साथ कब्रिस्तान जा रहे हैं उनको कब्रिस्तान में जनाज़ा ज़मीन पर रखने से पहले बैठना मकरूह है।
जनाज़ा को कब्रिस्तान की तरफ थोड़ा तेज़ चल कर ले कर जाना बेहतर है, जनाजे के दाएं बाएं पीछे आगे हर तरफ चल सकते हैं। अबलत्ता आगे चलने के मुकाबले में जनाजे के पीछे चलना ज़्यादा बेहतर है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक एक दो दिन मय्यत के घर खाना भेजना अखलाके हसना का एक नमूना है। (मुसनद अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी) अलबत्ता मय्यत के घर वालों का रिशतेदारों को जमा करके उनको खाना खिलाने का खास इंतिजाम करना गलत है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। (इब्ने माजा 1612, मुसनद अहमद 4905)

रोना चिल्लाना

किसी रिशतेदार के इंतिक़ाल पर दिल यक़ीनन गमगीन होता है। आंख से आंसू भी बहते हैं मगर आवाज़ के साथ और मुख्तलिफ लहजों के साथ रोने से बचा जाए क्योंकि इससे मय्यत को तकलीफ होती है। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नौहागिरी की वजह से मय्यत को कब्र में अज़ाब होता है। दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर वालों के ज़्यादा रोने पीटने की वजह से मय्यत को अज़ाब होता है। (मुस्लिम)

नमाज़ पढ़िए इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए अकलमंद शख्स वह है जो मरने से अपने मरने की तैयारी कर ले।

गायबाना नमाज़े जनाज़ा

दुनिया में हर इंसान की ज़िन्दगी तैयशुदा है। वक़्त मुअय्यन आने के बाद एक लम्हा भी मोहलत नहीं दी जाती। मुक़र्रर वक़्त पर इस दुनिया से कब्र वाले घर की तरफ मुंतकिल होना ही है। अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में फरमाता है।

“जब उनका वक़्त आ पहुंचा फिर एक सेकें ड इधर उधर नहीं हो सकता”

“जब किसी का मुक़र्ररह वक़्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह तआला हरगिज़ मोहलत नहीं देता है”

“हर शख्स को मौत का मजा चखना है”

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रोशनी में इंतिक़ाल के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मय्यत को गुस्ल व कफन के बाद उसकी नमाज़े जनाज़ा का इहतिाम करना चाहिए। नमाज़े जनाज़ा में जिस क़दर भी ज़्यादा आदमी शरीक हों इसी क़दर मय्यत के हक में अच्छा हैं क्योंकि न मालूम किस की दुआ लग जाए और मय्यत की मगफिरत हो जाए।

रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी जनाज़ा में 100 मुसलमान शरीक हो कर उस मुर्दे के लिए शिफाअत करें यानी नमाज़े जनाज़ा पढ़ें तो उनकी शिफाअत क़ुबूल की जाती है। (मुस्लिम)

रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी मुसलमान के इंतिक़ाल पर ऐसे चालीस आदमी जो अल्लाह

तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह तआला उनकी शिफाअत (दुआ) को मय्यत के हक में क़बूल फरमाता है। (मुस्लिम)

रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान के जनाज़ा में ईमान के और सवाब की नियत के साथ चला यहां तक कि उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उसको दफन करने में भी शरीक रहा तो वह दो क़ीरात अज्र (सवाब) लेकर लौटता है और हर क़ीरात उहद पहाड़ के बराबर है और जो शख्स नमाज़ जनाज़ा में शरीक हुआ मगर तदफीन से पहले ही वापस आ गया तो वह एक क़ीरात अज्र के साथ लौटता है। (बुखारी व मुस्लिम)

नमाज़े जनाज़ा में अगर कम लोग हों तब भी तीन सफों में लोगों का खड़ा होना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाज़ अहादीस में जनाज़ा कीतीन सफों की खास फज़ीलत आई हैं। (अबू दाऊद)

नमाज़े जनाज़ा का आगाज़

मुअररेखीन ने लिखा है कि नमाज़े जनाज़ा का हुकुम मक्का में नहीं था, इसी लिए हज़रत खदीजा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की नमाज़े जनाज़ा अदा नहीं की गई थी। नमाज़े जनाज़ा का हुकुम मदीना में हिजरत के फौरन बाद पहली हिजरी को हुआ और हज़रत बरा बिन मारूर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सबसे पहली नमाज़े जनाज़ा हिजरत के एक माह बाद अदा की गई। (तबक़ात इब्ने साद)

हज़रत नजाशी का तआरूफ

आपका नाम असहमा बिन अबहर है। नजाशी आप का लक़ब है जैसा कि हबशा के हर बादशाह को नजाशी कहा जाता है। बहुत कम उम्र में आप हबशा के बादशाह हुए। हज़रत नजाशी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात न हो सकी। इमाम क़ा ज़हबी ने लिखा है कि आप एक लिहाज़ से सहाबी हैं और एक लिहाज़ से ताबई हैं। (सीरतुल आलामुन नुबला) दो मरतबा सहाबा ने हबशा हिजरत की, एक नबूवत के पांचवीं साल और एक मरतबा बाद में। जब कुफ्फारे मक्का ने सहाबा को वापस करने के लिए हज़रत नजाशी से राब्ता किया तो नजाशी बादशाह ने हज़रत जाफर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को अपने पास बुलाया। हज़रत जाफर ने सूरह मरयम की इब्तिदाई आयात पढ़ी तो हज़रत नजाशी जो उस वक़्त तक ईसाई थे रोने लगे, यहां तक कि दाढ़ी भीग गई और कहा बेशक यह कलाम और वह जो हज़रत मूसा ले कर आए थे एक ही मेहराब से निकलने वाला (नूर) है। अल्लाह की क़सम! ऐ कुरैशे मक्का मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दावते इस्लाम दी, हज़रत नजाशी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पकड़ कर उसे अपने आंखों पर रखा, तवाज़ो के साथ अपने तख्त से उतर कर ज़मीन पर बैठ गए और इस्लाम क़बूल फरमा लिया। 9 हिजरी में उनका हबशा में इंतिक़ाल हुआ और उनको नमाज़े जनाज़ा के बेगैर दफन कर दिया

गया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनकी नमाज़े जनाज़ा अदा फरमाई।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हज़रत नजाशी के इंतिक़ाल की खबर दी फिर आगे बढ़े, सहाबा ने पीछे सफें लगाईं, हुज़ूर ने चार तकबीरें कहीं। (सही बुखारी व सही मुस्लिम)

इमाम बुखारी ने यह हदीस मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ के साथ सही बुखारी में बहुत सी जगहों पर ज़िक्र फरमाई है मगर एक मरतबा भी हदीस के लफ्ज़ में यह नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लहु अलैह वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। हां इन अहादीस से यह बात ज़रूर मालूम हुई कि हज़रत नजाशी का हबशा में इंतिक़ाल हुआ और उनको नमाज़े जनाज़ा के बेगैर दफन कर दिया गया था नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बाक़ादा इलान के बेगैर मस्जिदे नबवी में नमाज़ न पढ कर खुले मैदान में जा कर उस वक़्त जो सहाबा मौजूद थे उनकी मौजूदगी में नमाज़ जनाज़ा पढ़ी, यह गायबाना नमाज़ जनाज़ा नहीं थी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरई (जो नज़र आ रहा हो) और हाज़िर पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ी है, गायब तो वह होता है जो दिखाई न दे क्योंकि बहुत सी अहादीस से मालूम होता है कि हज़रत नजाशी के जनाज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया था। जैसा कि हदीस में है। हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर

दी तुम्हारे भाई हज़रत नजाशी इंतिक़ाल कर गए हैं, खड़े हो जाओ, उनकी नमाज़े जनाज़ा अदा करो, पस हुज़ूर खड़े हो गए और सहाबा ने आप के पीछे सफें बना लीं। हुज़ूर ने चार तकबीरें कहीं, सहाबा यही समझ रहे थे कि हज़रत नजाशी का जिस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हैं। (सही इब्ने हिब्बान, मुसनद अहमद, फतहुल बारी)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में इस क़िस्म के वाक़यात इसके अलावा भी पेश आए हैं जिसमें दुनियावी दूरी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम दुनियावी परदों को हटा दिया गया हो चुनांचे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़मीन को लपेट दिया गया था यहां तक कि आपने मक्का में बैठे मस्जिदे अकसा को देख कर उसके अहवाल लोगों के सामने बयान किए। इसी तरह हज़रत उकबा बिन आमिर से रिवायत है कि हुज़ूर ने एक दिन इरशाद फरमाया कि अल्लाह की क़सम! मैं इस वक़्त अपने हौज़ की तरफ देख रहा हूं। (सही बुखारी, सही मुस्लिम)

नमाज़े जनाज़ा (गायबाना) के लिए हज़रत मआविया बिन मआविया मुज़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के वाक़या से भी इस्तिदलाल किया जाता है कि हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास (तबूक में) तशरीफ लाए और कहा या रसूलुल्लाह! हज़रत मआविया मुज़नी फौत हो गए, क्या आप उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना चाहते हैं? आपने फरमाया हाँ। हज़रत जिबरईल

अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपना पर मारा तो हर दरख्त और टीला पस्त हो गया और हुज़ूर के लिए हज़रत मआविया की चारपाई बुलंद कर दी गई यहां तक कि हुज़ूर ने उन्हें देखते हुए उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हज़रत मआविया को अल्लाह तआला से यह मक़ाम कैसे मिला? हज़रत जिबरईल ने जवाब दिया उनके सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद के साथ उनके तअल्लुक की वजह से कि आते जाते उठते बैठते इसकी तिलावत किया करते थे।

लेकिन इस हदीस से नमाज़े जनाज़ा गायबाना के जवाज़ पर इस्तिदलाल करना सही नहीं है क्योंकि इस हदीस की सनद में ज़ोफ़ है और अगर मज़कूरा हदीस को सही मान भी लिया जाए तो यह भी गायबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं थी बल्कि तमाम परदों को हटा कर हज़रत मआविया के जनाज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि के सामने हाज़िर कर दिया गया था जैसा कि हदीस की इबारत से खुद वाज़ेह हो रहा है। नीज़ अगर गायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जाएज़ होती तो हज़रत जिबरईल ज़मीन पर अपना पर मारने का एहतेमाम न करते।

खुलासा कलाम

लाखों सफहात पर मुशतमिल हदीस के ज़खीरे में नमाज़े जनाज़ा (गायबाना) पढ़ने के लिए सिर्फ दो वाक़या दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि इनकी तौजीह भी हो सकती है और दोनों को खुसूसियत पर भी महमूल किया जा सकता है। अगर

नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ने की आम इजाज़त होती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बीसियों सहाबा-ए-किराम पर नमाज़े जनाज़ा न छोड़ते जिनकी वफात आप की ज़िन्दगी में मदीना से बाहर हुई। हालांकि हुज़ूर अपने सहाबा की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का खास एहतेमाम फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीमात भी दे रखी थी कि अगर कोई जनाज़ा हाज़िर हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसी तरह आपके बाद सहाबा का भी कोई मामूल गायबाना नमाज़े जनाज़ा का नहीं था। खुलफाए राशिदीन में से किसी एक की नमाज़े जनाज़ा गायबाना अदा नहीं की गई और न ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी सहाबी से किसी एक शख्स की नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ने का कोई सुबूत मिलता है। इल्म और मक़ाम के एतेबार से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन और सहाबा-ए-किराम से बढ़कर कौन हो सकता हैं?

उलमा-ए-उम्मत के अक़वाल

80 हिजरी में पैदा हुए हज़रत इमाम अबू हनीफा और 93 हिजरी में पैदा हुए हज़रत इमाम मालिक के नज़दीक गायबाना नमाज़े जनाज़ा जाएज़ ही नहीं है क्योंकि हज़रत नजाशी की नमाज़े जनाज़ा गायबाना नहीं थी जैसा कि अहादीस से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत नजाशी के दरमियान जितने हिजाबात थे वह सब अल्लाह के हुकुम से दूर कर दिए गए थे यहां तक कि हज़रत नजाशी का जनाज़ा अल्लाह के हुकुम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया था। ज़माना

कदीम से असरे हाज़िर तक के उलमा अहनाफ और मालकी उलमा की किताबें इसकी गवाह हैं।

हज़रत इमाम शाफई से दो अक़वाल मंकूल हैं, उनमें एक क़ौल यह है कि दूसरे मुल्क में तो नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ने की गुंजाइश है मगर इसी मुल्क में नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ने की इजाज़त नहीं जहां तदफीन हुई हो।
हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल से भी दो अक़वाल मंकूल हैं, इनमें से एक क़ौल यह है कि अगर कोई मुसलमान ऐसे मुल्क में फौत हो गया हो जहां कुफ्फार ही रहते हैं तो फिर इसकी नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ी जा सकती हैं
मुफस्सीरे क़ुरान इमाम क़ुर्तुबी ने लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत नजाशी के जिस्म को देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायब पर नमाज़ नहीं पढ़ी बल्कि आपने मरई और हाज़िर पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी है गायब तो वह होता है जो दिखाई न दे। इमाम क़ुर्तुबी आगे लिखते हैं कि हुज़ूर के लिए ज़मीन को हर तरफ से लपेट दिया गया था यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नजाशी को देख लिया जैसे आप के लिए ज़मीन को हर तरफ से लपेट दिया गया था यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैठे मस्जिद अक़सा को देख कर उसके अहवाल बयान किए। (क़ुर्तुबी)

मशहूर मुहद्दिस इमाम ज़हबी हज़रत नजाशी की नमाज़े जनाज़ा के मुतअल्लिक लिखा है कि इस जनाज़ा को पढ़ने की वजह यह थी कि

हज़रत नजाशी का विसाल कौमे नसारा में हुआ था और वहां कोई ऐसा नहीं था जो आप की नमाज़ अदा करें क्योंकि सहाबा जो हिजरत करके वहां गए थे वह फतहे खैबर के साल हिजरत करके मदीना चले गए थे। (सियरूल आलाम)

अल्लामा इबनुल क़य्यिम अपनी किताब (ज़ादुल मआद) में लिखते हैं कि जिस शख्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा चुकी है उसकी गायबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जाएगी। अल्लाह इब्ने तैमिया का भी यही मौक़िफ है। अल्लामा अलबानी ने आपनी किताब (तलखीस अहकामुल जनाएज़) में लिखा है कि जिस शख्स की नमाज़े जनाज़ा अदा की जा चुकी है उसकी गायबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन में से किसी की गायबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी गई। अल्लामा इब्ने तैमिया, अल्लामा इबनुल क़य्यिम और अलबानी का तज़किरा इस वजह से किया गया है कि इन दिनों जो हज़रात गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ने की बात करते हैं इनमें से अक्सर हज़रात अहकाम व मसाइल में इन हज़रात के अक़वाल को हरफ आखिर समझते हैं।

नमाज़े जनाज़ा (गायबाना)

हज़रत नजाशी के वाक़या से ज़्यादा से ज़्यादा यह साबित हो सकता है कि अगर कोई मुसलमान ऐसे इलाका में इंतिक़ाल कर जाए जहां उसकी नमाज़े जनाज़ा अदा नहीं की गई हो तो ऐसे शख्स की गायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की गुंजाइश है लेकिन आज कल बाज़

हज़रात ने गायबाना नमाज़े जनाज़ा पर इस तरह अमल शुरू कर दिया है कि हर आम व खास की नमाज़े जनाज़ा गायबाना अदा करते हैं हालांकि एलाने आम के बाद मय्यत की बाक़ादा नमाज़े जनाज़ा अदा हो जाए और इसमें सैकड़ों या हजारों लोगों ने शिरकत भी करली तो गायबाना नमाज़े जनाज़ा की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। हां दुनिया के कोने कोने से मय्यत के लिए हम दुआ व इस्तिगफार कर सकते हैं और खूब दुआ व इस्तिगफार करना चाहिए ताकि अल्लाह तआला मय्यत की मगफिरत फरमाए और उसके दरजात को बुलंद फरमाए। रही बात शाहे हबशा हज़रत नजाशी की नमाज़े जनाज़ा की, तो दलाइल के साथ ज़िक्र किया गया कि जब उनका इंतिक़ाल हुआ तो वहां कोई और मुसलमान नहीं था, नीज़ अल्लाह तआला ने उनके जनाज़ा के सामने से तमाम रूकावटों को दूर कर दिया था जैसा कि अहादीस व सीरत की किताबों में वज़ाहत मौजूद है लिहाज़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज़े जनाज़ा अदा फरमाई। इस वाक़या के अलावा किसी की नमाज़े जनाज़ा (गायबाना) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से जानिसार सहाबा, आपके चचाज़ाद भाई हज़रत जाफर, आपके मुंह बोले बेटे हज़रत जैद बिन हारसा इन सबका इंतिक़ाल हालते सफर में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके चार खुलफा में से किसी एक की नमाज़े जनाज़ा गायबाना नहीं पढ़ी गई, नीज़ किसी एक सहाबी से भी एक वाक़या भी नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ने का कोई सुबूत नहीं मिलता हालांकि वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल को हम से ज़्यादा अच्छी तरह

समझते थे और हम से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल पर अमल करने का जज़बा रखते थे।

दीनी भाईयो! जिस अमल की मशरूइयत में ही इखतिलाफ हो कि हज़रत इमाम अबू हनीफा और हज़रत इमाम मालिक के नज़दीक नमाज़े जनाज़ा गायबाना जाएज़ ही नहीं है। हज़रत इमाम शाफई और हज़रत इमाम अहमद बिन हमबल ने चंद शराएत के साथ महदूद इजाज़त तो दी है लेकिन कभी भी ज़िन्दगी में इन दोनों हज़रात से नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ने का कोई सुबूत नहीं मिलता है तो अक़्ल भी कहती है कि मशकूक अमल को क्यों किया जाए बल्कि मय्यत के लिए सदका जारिया के तौर पर कुछ काम करा दें जिससे मुस्लमानों का तालीमी या माली फायदा भी हो या कम से कम मय्यत की मगफिरत और दरजात की बुलंदी के लिए दुआ ही करें, इसमें किसी तरह का कोई इखतिलाफ भी नहीं है।

नमाज़ पढ़िए इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए अकलमंद शख्स वह है जो मरने से अपने मरने की तैयारी कर ले।

मरीज़ की नमाज़ का हुकुम

अगर कोई बीमार ऐसा है कि उसके कपड़े या बदन की नापाकी दूर नहीं की जा सकती है मसलन पेशाब के लिए थैली लगी हुई है तो वह नापाकी की मौजूदगी में नमाज़ अदा करेगा। जहां तक वज़ू करने का मामला है तो अगर वज़ू कर सकता है तो वज़ू करे वरना तयम्मुम करे। और अगर कोई दूसरा शख्स वज़ू या तयम्मुम करा सकता है तो करा दे। वज़ू में जो आज़ा धोए जाते हैं अगर उस जगह पर पट्टी बंधी हुई है तो वज़ू करने की सूरत में जिस जगह पर पट्टी पंधी हुई है उस जगह पर मसह कर लें, बाकी आज़ा को धोले। तयम्मुम के लिए मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से कोई चीज़ होनी चाहिए या कम से कम उस पर मिट्टी का कुछ असर हो। आज कल जो आला क़िस्म के पेंट दीवारों पर होते हैं उस से तयम्मुम नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बीमार वज़ू नहीं कर सकता है और मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से कोई चीज़ नहीं है तो फिर बेगैर वज़ू या तयम्मुम के ही नमाज़ अदा करले।

बीमार अगर खड़े होकर नमाज़ अदा नहीं कर सकता है तो बैठ कर अदा करे अगर बैठ कर अदा नहीं कर सकता तो लेट कर ही अदा करे, हत्ताकि उलमा ने लिखा है कि इशारा से भी नमाज़ पढ़ सकता है तो उसको पढ़नी चाहिए। यानी यह ख्याल करे के मैं अब रुकू में हूं और अब सजदा में हूं और दिल ही दिल में जो नमाज़ में पढ़ा जाता है पढ़ता रहे।

अगर मरीज़ क़िबला की तरफ रूख करके नमाज़ पढ़ सकता है तो उसको क़िबला की तरफ रूख करके नमाज़ पढ़नी चाहिए लेकिन अगर किसी उज़्र की वजह से क़िबला की तरफ रूख करके नमाज़ पढ़ना मुमकिन नहीं है तो जिस तरफ मुमकिन हो रूख करके नमाज़ पढ़ ले।

अगर किसी शख्स की सख्त बीमारी की वजह से नमाजें छूट जाए तो सेहत के बाद उनकी क़ज़ा करनी होगी लेकिन अगर कोई शख्स सेहतयाब न हो सका और दुनिया से रूखसत हो गया तो वारिसीन को चाहिए कि हर नमाज़ के बदले सदका फितर के मिक़दार सदका निकालें, हज़रत इमाम अूब हनीफा और उलमा-ए-अहनाफ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ तक़रीबन दो किलो गेंहू या उसकी क़ीमत हर नमाज़ के बदले में गरीबों को दें। इसी तरह अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सका तो उको बाद में क़ज़ा करनी होगी। लेकिन अगर कोई शख्स अपने मर्ज़ या बुढ़ापे की वजह से बाद में भी रोज़ा नहीं रख सकता है तो हर रोज़े के बदले में सदक़एफितर के मिक़दार सदक़ा निकाले। जो औरतें हैज़ या निफास की वजहसे रोज़ा नहीं रखती हैं उन्हें बाद में क़ज़ा करनी होगी, सदक़ा देना काफी नहीं होगा मगर यह कि औरत के लिए अपने किसी मर्ज़ की वजह से बाद में भी रोज़ा रखना दुशवार हो। बीमार शख्स अगर सुन्नत और नफल पढ़ सकता है तो पढ़ ले वरना सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर ले।

नमाज़े हाजत

नमाज़ अल्लाह तआला से तअल्लुक क़ायम करने और अपनी ज़रूरतों और हाजतों को मांगने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है।

“ऐ ईमान वालो! सब्र और नमाज़ के ज़रिये मदद चाहो” (सूरह बक़रा 153) “सब्र और नमाज़ के ज़रिये मदद तलब करो” (सूरह बक़रा 45) “अल्लाह तआला ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज़ क़ायम रखो” (सूरह माईदा 12)

लिहज़ा जब भी कोई परेशानी या मुसीबत सामने आए तो हमें चाहिए कि सब्र करें और नमाज़ का खास एहतेमाम करके अल्लाह तआला से तअल्लुक क़ायम करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर पेरशानी के वक़्त नमाज़ की तरफ मुतवज्जह होते जैसा कि हदीस शरीफ में है। हज़रत हुज़ैफा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता आप फौरन नमाज़ का एहतेमाम फरमाते। (अबू दाऊद, मुसनद अहमद)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांच फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नमाज़े तहज्जुद, नमाज़े इशराक, नमाज़े चाशत, तहैयतुल वज़ू और तहैयतुल मस्जिद का खास एहतेमाम फरमाते और फिर खास खास मौक़े पर अपने रब के हुज़ूर तौबा व इस्तिगफार के लिए

नमाज़ ही को ज़रिया बनाते। सूरज या चान्द गरहन होता तो मस्जिद तशरीफ ले जाते। ज़लज़ला, आंधी या तूफान यहां तक कि तेज़ हवा भी चलती तो मस्जिद तशरीफ ले जाकर नमाज़ में मशगूल हो जाते। फाक़ा की नौबत आती या कोई दूसरी परेशानी या तकलीफ पहुंचती तो मस्जिद तशरीफ ले जाते। सफर से वापसी होती तो पहले मस्जिद तशरीफ ले जा कर नमाज़ अदा करते। इसलिए हमें भी चाहिए कि नमाज़ों का खास एहतेमाम करें और अगर कोई परेशानी या मुसीबत आए तो नमाज़ अदा करके अल्लाह तआला से मदद मांगें।

अल्लाह तआला से अपनी दुनियावी और उखरवी ज़रूरत को मांगने से सबसे बेहतर तरीका यह है कि दो रिकात नमाज़ इतिमनान व सुकून और ख़ुशू व ख़ुज़ू से पढ़ कर खूब आजज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह से दुआएं करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को अल्लाह तआला से या किसी आदमी से कोई हाजत हो तो वह अच्छी तरह वज़ू करे फिर दो रिकात नमाज़ अदा करे फिर अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और यह दुआ पढ़े: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह बहुत बुरदबार और निहायत करम करने वाला है (हर ऐब से) पाक और अरशे अज़ीम का मालिक है, तमाम तारिफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है। (या अल्लाह!) मैं तुझसे तेरी रहमत के असबाब और तेरी बखशिश के वसाइल नीज़ हर नेकी से हिस्सा पाने

और हर गुनाह से महफ़ूज़ रहने का सवाल करता हूँ। या अरहमरराहिमीन! मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए मेरी सारी परेशानियां दूर कर दीजिए और मेरी तमाम ज़रूरतें जो तेरी पसन्दीदा हों पूरी फरमा दीजिए" (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा) फिर जो ज़रूरत है उसको अल्लाह तआला से खूब मांगें।

हज़रत अबू दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर ख़ुशू व ख़ुज़ू से दो रिकात नमाज़ पढ़ी अल्लाह तआला उसके सवाल को पूरा करेगा जल्द या देर से (जैसे चाहे)। (मुसनद अहमद)

नमाज़ी के सामने से गुज़रने की सज़ा

नमाज़ी के आगे से गुज़रना बड़ा गुनाह है। लिहाज़ा गुज़रने वालों को चाहिए कि वह नमाज़ी ख्याल रखें। इसी तरह नमाज़ पढ़ने वालोंको भी चाहिए कि वह ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें जहां से गुज़रने वालों को परेशानी न हो और अगर ऐसी जगह न मिले तो उन्हें चाहिए किवह अपने सामने कोई चीज़ मसलन कुर्सी या लकड़ी का तख्ता सुतरह के तौर पर रख लें, जिसकी ऊचाई तकरीबन एक ज़िरा के करीब (एक फिट से कुछ ज़्यादा) हो।

नमाज़ी के सामने गुज़रने और सुतरह के मुतअल्लिक चंद अहादीस

हज़रत अबू जुहम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाला अगर जान ले कि इसपर कितनी बड़ी सज़ा है तो वह उस के सामने से गुज़रने के बजाए चालीस तक ठहरा रहता तो यह बेहतर था। (बुखारी, मुस्लिम, मुअत्ता मालिक)

अबू नज़र कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, आपकी मुराद चालीस दिन थी या चालीस महीना या चालीस साल। अलबत्ता मुसनद अहमद और इब्ने माजा की अहादीस से मालूम होता है कि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद चालीस साल है, यानी नमाज़ी के आगे गुज़रना नहीं चाहिए चाहे 40 साल तक खड़े रहना पड़े।

हज़रत काब अहबार फरमाते हैं कि अगर नमाज़ी के सामने गुज़रने वाले को मालूम हो जाए कि इसपर कितनी सख्त सज़ा है तो उसके बदले अगर वह ज़मीन में धंस जाए तो उसके लिए नमाज़ी के सामने गुज़रने से यह बेहतर है। (मुअत्ता मालिक)

हज़रत आइशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ के सुतरह के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअखिरूहल (कजावा की कील) की तरह। (मुस्लिम)

अल्लामा नववी इसकी तशरीह फरमाते हैं कि सुतरह की कम से कम मिक़दार कजावा की कील जितनी होती है जो कि कलाई की हडडी और दो तिहाई ज़िरा के बराबर होती है और इसी तरह की कोई चीज़ खड़ी करने से यह मकसद हासिल हो जाएगा।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले जाते और आपके आगे नेज़ा बरदार होता। यह नेज़ा ईदगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ नमाज़ पढ़ते। (मुस्लिम)

चंद ज़रूरी मसाइल

अगर किसी मैदान या सेहन में नमाज़ अदा की जा रही है तो बाजमाअत नमाज़ में इमाम का सुतरह सबकी तरफ से काफी है। फिर सुतरह की मौजूदगी में अगर कोई शख्स सामने से गुज़र जाए तो गुनहगार नहीं होगा।

मस्जिदे हराम (मक्का) में नमाज़ पढ़ने वालों के आगे से गुज़रने की गुनजाइश है। मस्जिदे नबवी (मदीना) का हुकुम भी मस्जिदे हराम की तरह है कि वहां पर भी भीड़ ज़्यादा होने की सूरत में नमाज़ पढ़ने वालों के आगे से गुज़र सकते हैं। मगर दोनों मस्जिदों (मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी) में भी नमाज़ी के आगे गुज़रने से जहां तक मुमकिन हो बचने की कोशिश करें।

अहादीस में नमाज़ी के आगे से गुज़रने से मना किया गया है, लिहाज़ा अगर कोई शख्स मस्जिद में बैठा हुआ है और उसके पीछे कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो यह शख्स नमाज़ी के आगे से उठ कर जा सकता है क्योंकि यह नमाज़ी के आगे से गुज़रना नहीं कहलाया जाएगा।

नमाज़ी अगर किसी शख्स को उसके आगे से गुज़रता हुआ देखे तो एक हाथ से इशारा से नमाज़ी उस गुज़रने वाले शख्स को रोक सकता है। अगर कोई शख्स गुज़र ही जाए तो नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ उससे खराब नहीं होगी।
अगर सुतरह नहीं रखा है तो तीन चार सफों के बाद नमाज़ी के आगे से गुज़रने की गुनजाइश है। दूसरे उलमा ने एक सफ के बाद गुज़रने की इजाज़त दी है। मगर इहतियात इसी में है कि नमाज़ी के आगे से गुज़रने से जहां तक मुमकिन हो बचें क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नमाज़ी के आगे से गुज़रने से बचने की हैं।

किसी सुतून के पीछे नमाज़ पढ़ने की सूरत में सुतून सुतरह का बदल हो जाएगा।
फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद सुन्नत या नफल की नियत न बांधे बल्कि कुछ देर अल्लाह का ज़िक्र कर लें या दुआएं कर लें। ताकि जिन हज़रात को कोई ज़रूरीयात या तकाज़ा हो तो वह मस्जिद से निकल सकें ।

याद रखें कि सुन्नत और नफल का घर पर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, अलबत्ता अगर किसी शख्स के लिए घर सुन्नत या नफल का एहतेमाम दुशवार है तो वह शख्स फ़र्ज़ नमाज़ से फरागत के बाद मस्जिद में ही सुन्नत अदा कर लें।
औरतें घर के किसी कोने में इस तरह नमाज़ अदा करें कि किसी शख्स को उसके आगे से गुज़रना न पड़े। किसी कोने में जगह न मिलने की सूरत में कोई चीज़ सुतरह के तौर पर रख कर उसके पीछे नमाज़ पढ़ें।

इमाम के पीछे मुक़्तदी का सूरह फातिहा पढ़ने का हुकुम

क़ुरान क़ुरान व हदीस की रोशनी में बाज़ मसाइल में उलमा व फ़ुक़हा के दरमियान इब्तिदाए इस्लाम से ही इखतिलाफ चला आ रहा है। इन फुरूई मसाइल में इखतिलाफ की हिकमत व मसलिहत क्या है? अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। मुमकिन है क़ुरान व हदीस के उलूम में तहक़ीक़ का दरवाज़ा खोलना मक़सूद हो ताकि उम्मते मुस्लिमा उन मसाइल के लिए क़ुरान व हदीस से रुजू करती रहे। मसलन शबे क़दर को अल्लाह तआला ने उम्मते मुस्लिमा के लिए पोशिदा रखा ताकि उम्मते मुस्लिमा क़ुरान व हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ रातों में यहां तक कि पूरे साल इसकी तलाश करती रहे। नीज़ क़ुरान व हदीस में किसी भी जगह इखतिलाफ करने से मना नहीं फरमाया है बल्कि बाज़ अहादीस में उलमा के दरमियान इखतिलाफ को रहमत क़रार दिया गया, अलबत्ता झगड़ा करने से मना किया गया है।

नमाज़ में तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक उलमा व फ़ुक़हा के दरमियान उमूमन इखतिलाफ राजेह व मरजूह से मुतअल्लिक हैं कि क्या करना बेहतर है, अलबत्ता इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का मसअला थोड़ी अहमियत का हामिल है। इस मसअला में उलमा व फ़ुक़हा की तीन राय हैं। हर मक्तबे फिक्र ने अपने फैसले को क़ुरान व हदीस में दलील के साथ पेश किया है। अलबत्ता तमाम दलाइल को सामने रख कर यह बात यक़ीन के साथ कही जा सकती है कि नक़्द व जिरह से बाला तर किसी भी हदीस

से वाज़ेह तौर पर न तो यह साबित है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना हराम है और न यह साबित है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ने की सूरत में नमाज़ अदा ही नहीं होगी। नीज़ मुक़्तदी के सूरह फातिहा पढ़ने का वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात में दूर दूर तक यहां तक कि अहादीस ज़ईफा में भी मौजूद नहीं है। गरज़ ये कि जेरे बहस मसअला में उलमा व फ़ुक़हा की नीचे लिखी हुई तीन राय मौजूद हैं।

1) जेहरी नमाज़ हो या सिर्री, मुक़्तदी खाह इमाम की क़िरात सुन रहा हो या नहीं, मुक़्तदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ना जाएज़ नहीं है।
2) जेहरी नमाज़ (मगरिब, इशा और फज्र) में मुक़्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा अलबत्ता सिर्री नमाज़ (ज़ुहर और असर) में पढ़ेगा।
3) जेहरी व सिर्री हर नमाज़ में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है।
क़ुरान व हदीस की रोशनी में हमारे असातिज़ा किराम ने पहलीराय को इखतियार किया है कि जेहरी नमाज़ हो या सिर्री, मुक़्तदी खाह इमाम की क़िरात सुन रहा हो या नहीं, मुक़्तदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ना जाएज़ नहीं है। यही राय हज़रत इमाम अबू हनीफा की है। जिसके बेशुमार दलाइल क़ुरान व हदीस में मौजूद हैं। यहां इखतिसार के वजह से चंद दलाइल लिख रहा हूं।
अल्लाह तआला का इरशाद है "जब क़ुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए" (सूरह आराफ 204)

हज़रात सहाबा किराम, ताबेईन, मुफस्सेरीन और मुहद्दिसीन में से हज़रत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इमाम ज़ुहरी, हज़रत ओबैद बिन उमैर, हज़रत अता बिन रबाह, हज़रत मुजाहिद, हज़रत सईद बिन अलमुसैय्यिब, हज़रत सईद बिन ज़ुबैर, हज़रत ज़हाक, हज़रत इब्राहिम नखई, हज़रत क़तादा, हज़रत आमिर शाबी वगैरह ने फरमाया है कि इस आयत में उस नमाज़ी का हुकुम है जो इमाम की इकतिदा में नमाज़ अदा कर रहा हो। (तफसीर तबरी)

हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुत्बा दिया जिसमें हमारे लिए ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीका को बयान फरमाया और हमें नमाज़ सिखाई और फरमाया जब नमाज़ अदा करने का इरादा करो तो अपनी सफें सीधी करो फिर तुम में से एक इमाम बने और इमाम जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो और जब वह गैरिल मगज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। (मुस्लिम जिल्द 1 पेज 174) यह सही हदीस वाज़ेह अलफ़ाज़ में बता रही है कि इमाम की ज़िम्मेदारी क़िरात करना और मुकतदियों का वज़ीफा बवक़्ते क़िरात खामोश रहना है। अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस को यहां ज़रूर बयान फरमा देते। इस हदीस में जेहरी और सिर्री नमाज़ों की कोई कैद नहीं है इस लिए यह हुकुम सब नमाज़ों को शामिल होगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो और जब क़ादा में हो तो तुम में से हर एक का पहला ज़िक्र तशहहुद होना चाहिए। (तिर्मीज़ी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज़ के इरादे से खड़े हो तो तुम में से एक तुम्हारा इमाम बने और जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। (मुसनद अहमद)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इमाम इसी लिए बनाया जाता है कि उसकी इकतिदा की जाए, लिहाज़ा जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब क़िरात करे तो तुम खामोश रहो और वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बाना लकल हमद कहो। (नसई)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने इमाम की इकतिदा की तो इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात के हुकुम में है। (मुसनद अहमद)

यह हदीस सनद के एतेबार से निहायत आला दर्जा की है, इमाम तिर्मीज़ी ने इसको हसन सही कहा है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ में किसी सहाबी ने क़िरात की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया। (मुसनद अहमद बैहक़ी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने नमाज़ पढ़ाई तो कुछ लोगों को इमाम के साथ क़िरात करते सुना, जब नमाज़ से फारिग हुए तो फरमाया क्या अभी वक़्त नहीं आया कि तुम लोग अक़्ल व फहम से काम लो। जब क़ुरान की क़िरात की जाए तो उसकी तरफ ध्यान दो और चुप रहो जैसा कि अल्लाह तआला ने तुम्हें हुकुम दिया है। (तफसीर तबरी, तफसीर इब्ने कसीर, अद्दुर्रुल मसनूर लिस सुयूती)

(नोट) हदीस "नमाज़ उस शख्स की नहीं होगी जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा" में मौज़ूबहस मसअला मुराद नहीं है बल्कि यहां दूसरा मसअला है कि नमाज़ में सूरह फातिहा पढ़ने का क्या हुकुम है, सुन्नत है या ज़रूरी। हदीस मुतलक और आम है इस लिए इससे सिर्फ यह मालूम हुआ कि सूरह फातिहा का नमाज़ में पढ़ना ज़रूरी है। अलबत्ता इमाम के पीछे मुक़्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा जैसा कि तिर्मीज़ी की सही हदीस में गुज़र चुका है। नीज़ अगर कोई शख्स इमाम को रुकू में पाले तो दूसरे अहादीस की रोशनी में सारे उलमा ने फरमाया है कि उसकी यह रिकात सूरह फातिहा के बेगैर अदा होगी, मालूम हुआ कि यह हदीस अपने उमूम पर दलालत नहीं करती है।

फज्र की दो रिकात सुन्नत

फज्र की दो रिकात सुन्नत की अहमियत

हर मुसलमान को चाहिए कि वह हर फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ सुन्नत व नवाफिल का भी खास एहतेमाम करे ताकि अल्लाह तआला का क़ुर्ब भी हासिल हो जाए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बन्दा नवाफिल के ज़रिया अल्लाह तआला से करीब होता जाता है। (बुखारी) नीज़ अगर खुदा नखास्ता क़यामत के दिन फ़र्ज़ नमाज़ों में कुछ कमी निकले तो सुन्नत व नवाफिल से उसकी तकमील कर दी जाए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन आदमी के आमाल में से सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा अगर नमाज़ दुरुस्त हुई तो वह कामयाब व कामरान होगा और अगर नमाज़ दुरुस्त न हुई तो नाकाम और घाटा में रहेगा। और अगर कुछ नमाज़ में कमी पाई गई तो इरशादे खुदावंदी होगा कि देखो इस बन्दे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ को पूरा कर दिया जाए अगर निकल आऐ तो इनसे फ़र्ज़ की तकमील कर दी जाएगी। (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा, नसई, अबू दाऊद, मुसनद अहमद)

दिन रात में 12 रिकात सुन्नते मुअक्कदा हैं (2 रिकात नमाज़े फज्र से पहले, 4 रिकात नमाज़े ज़ुहर से पहले, 2 रिकात नमाज़े ज़ुहर के बाद, 2 रिकात नमाज़े मगरिब के बाद और 2 रिकात नमाज़े इशा के बाद)। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में उम्मते मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफाक

है कि तमाम सुन्नतों में सबसे ज़्यादा अहमियत फज्र की 2 रिकात सन्नतों की हैं जैसा कि चन्द अहादीस नीचे आ रही हैं।

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज्र की दो रिकात (सुन्नतें) दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। एक दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यह दो रिकातें पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब हैं। (अबू दाऊद)

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की सुन्नतों से ज़्यादा किसी नफल की पाबन्दी नहीं फरमाते थे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज्र की दो रिकात (सुन्नत) न छोड़ो अगरचे घोड़ों से तुम को रोंद दिया जाए। (अबू दाऊद)

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर से पहले चार रिकात और फज्र से पहले दो रिकात कभी नहीं छोड़ते थे।

फज्र की जमाअत शुरू होने के बाद दो रिकात सुन्नत

उलमा-ए-किराम का इत्तिफाक है कि नमाज़े फज्र के अलावा अगर दूसरे फ़र्ज़ नमाज़ों (ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा) की जमाअत शुरू हो जाए तो उस वक़्त और कोई नमाज़ यहां तक कि इस नमाज़ की सुन्नत भी नहीं पढ़ी जा सकती है। लेकिन फज्र की सुन्नतों के सिलसिले में उलमा की दो राय हैं और यह दोनों राय सहाबा-ए किराम के ज़माने से चली आ रही हैं, जैसा कि इमाम तिर्मीज़ीने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया है। (तिर्मीज़ी जिल्द 2 पेज 282)

पहली राय के मुताबिक

फज्र की सुन्नतों का हुकुम भी दूसरी सुन्नतों की तरह है कि जमाअत शुरू हाने के बाद सुन्नत की अदाएगी नहीं। इस राय के लिए बुनियादी तौर पर हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस को दलील में पेश किया जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब जमाअत शुरू हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई और नमाज़ पढ़ना सही नहींहैं। (तिर्मीज़ी जिल्द 2 पेज 282) (दूसरी राय के नुक्तए नज़र के मुताबिक इस हदीस का सही मफहूम मजमून के आखिर में मज़कूर है, गरज़ ये कि हदीस के मतलब को समझने में उलमा की राय मुख्तलिफ है)।

दूसरी राय के मुताबिक

फज्र की सुन्नतों की अहमियत के पेशे नज़र जमाअत शुरू होने के बाद भी हज़रात सहाबा-ए-किराम यह सुन्नतें पढ़कर जमाअत में शरीक हुआ करते थे। लिहाज़ा अगर नमाज़ की दूसरी रिकात मिल जाने की ज़्यादा उम्मीद हो तो जहाँ जमाअत हो रही है उससे हत्तल इमकान दूर फज्र की दो रिकात सुन्नत पढ़ कर नमाज़ में शरीक हों, नीचे इसकी दलील दलीलें लिखी जा रही हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) का अमल

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू मूसा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) हमारी मस्जिद में तशरीफ लाए तो इमाम फज्र की नमाज़ पढ़ा रहा था, आप ने एक सुतून के करीब फज्र की सुन्नतें अदा फरमायीं, चूंकि वह इस से पहले सुन्नतें नहीं पढ़ सके थे। इस हदीस को तबरानी ने रिवायत किया है और उसके तमाम रावी मज़बूत हैं। (मजमउज़्ज़वाएद जिल्द 1 पेज 75)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) का अमल

अबू उसमान अंसरी फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) तशरीफ लाए जब कि इमाम फज्र की नमाज़ पढ़ा रहा था और आपने फज्र ने की दो रिकात सुन्नतें नहीं पढ़ी थीं तो आपने पहले दो रिकातें पढ़ी फिर जमाअत में शामिल हो कर फज्र की नमाज़ पढ़ी। (आसारूस्सुनन जिल्द 3 पेज 33, तहावी, अररजलु यदखुलुल मस्जिद वलइमाम, सहहहू अलनैमवी)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) का अमल

हज़रत मोहम्मद बिन काब (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) घर से निकले तो फज्र की नमाज़ खड़ी हो गई थी, आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहलेही दो रिकात पढ़ीं फिर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी।

हज़रत अबु दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) का अमल

हज़रत अबू दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) मस्जिद में तशरीफ लाए तो लोग फज्र की नमाज़ के लिए सफों में खड़े थे, आपने मस्जिद में एक तरफ दो रिकात पढ़ीं फिर लोगों के साथ नमाज़ में शरीक हुए। (तहावी, अररजलु यदखुलुल मस्जिद वलइमाम)

दौरे फारूकी में सहाबा का अमल

हज़रत अबू उसमान मेहदी फरमाते हैं कि हम हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) के दौर में फज्र से पहले की दो रिकातें पढ़े बेगैर आया करते थे, जबकि हज़रत उमर फारूक नमाज़ पढ़ा रहे होते, हम मस्जिद के आखिर में दो रिकात पढ़ लेते फिर लोगोंके साथ नमाज़ में शरीक हो जाते। (तहावी, अररजलु यदखुलुल मस्जिद वलइमाम)

इन जलीलुल क़दर हज़रात सहाबा किराम के अमल से मालूम हुआ कि अगर नमाज़े फज्र की जमाअत मिल जाने की उम्मीद है तो मस्जिद में एक तरफ सुन्नतें पढ़ कर जमाअत में शरीक होना चाहिए।

इस मौज़ू के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इमाम अली बिन अबी बकर अलहैसमी की हदीस की मशहूर व मारूफ किताब “मजमउज़्ज़वाएद व ममबउल फवायद बाब इज़ा उक़ीमतिस्सलात हल

युसल्ला गैरुहा” का खुलासा ज़िक्र कर रहा हूँ। मुअल्लिफ मज़कूर ने इस बाब का नाम “अगर नमाज़ शुरू हो जाए तो क्या कोई नमाज़ अदा की जा सकती है?” रखा है। इस मौज़ू से मुतल्लिक सबसे मुस्तनद हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) का अमल ज़िक्र किया गया, वह अगर सुन्नतें पढ़े बेगैर मस्जिद पहुंचते तो सुतून के करीब फज्र की सुन्नतों को अदा फरमाते फिर जमाअत में शरीक होते। (मुत्तफिका तौर पर यह हदीस सही है)।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ियल्लाहु अन्हु) उन जलीलुल क़दर सहाबा में से हैं जिन से खुलफ़ाए राशेदीन व दूसरे बड़े बड़े सहाबा किराम मसाइल में रूजू फरमाते थे। उनके इल्म व फकाहत की सहाबा के दरमियान आम शोहरत थी। नीज़ उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का वालेहाना शौक था।

इस हदीस के बाद चंद अहादीस ज़िक्र की गई हैं जो या तो कमज़ोर हैं जिनके कमज़ोर होने का ज़िक्र खुद मुअल्लिफ मज़कूर ने किया है। या इसका मतलब दूसरा है कि जिससे अहादीस के दरमियान बज़ाहिर तज़ाद भी न रहे मसलन हज़रत अबू मूसा की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि फज्र की नमाज़ क़ायम होने के वक़्त फज्र की सुन्नतें अदा कर रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने उसके कंधे पर हाथ से इशारा किया कि काश उसने सुन्नतें इससे पहले अदा कर ली होतीं। इसका मतलब हरगिज़ यह नहीं कि फज्र की नमाज़ शुरू होने से बाद सुन्नत अदा ही नहीं कर सकते बल्कि बेहतर व अफ़ज़ल तरीका की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई कि फज्र

की जमाअत शुरू होने से पहले ही सुन्नतों से फारिग हो जाता, जिस में किसी का कोई इखतिलाफ नहीं है।
बहरहाल इन अहादीस से यह बात ज़रूर वाज़ेह हुई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा किराम फज्र की नमाज़ खड़ी हो जाने के बाद भी फज्र की दो रिकात सुन्न्त अदा कर लिया करते थे, अगर वह पहले से अदा न कर सके हों।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस का सही मफहूम

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब नमाज़ शुरू जाए तो फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई और नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। (तिर्मीज़ी जिल्द 2 पेज 282), यक़ीनन ये सही हदीस है मगर दूसरे अहादीस व सहाबा-ए-किराम के अमल को सामने रखते हुए यही कहा जाएगा कि इसका तअल्लुक फज्र की नमाज़ के अलावा दूसरे नमाज़ों से है, क्योंकि शरीअत में फज्र की दो रिकात सुन्नतों की जो अहमियत है वह दूसरे सुन्नतों की नहीं।

दूसरी बहस

अगर सुन्नतें पढ़कर जमाअत में शरीक होना मुमकिन न हो तो सुन्नतें छोड़ दें और जमाअत में शरीक हो जाए, फिर हुकमे नबवी के मुताबिक (अगर इन सुन्नतों को पढ़ना चाहे तो) सूरज निकलने के बाद इन सुन्नतों की कज़ा पढ़ ले, फज्र की नमाज़ के बाद यह सुन्नतें न पढ़े चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र के बाद से ले कर आफताब तक नमाज़ पढ़ने से मन किया है।
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फज्र की दो रिकातें न

पढ़ी हों वह सूरज निकलने के बाद पढ़ ले। (तिर्मीज़ी, क़ाला अल हाकिम सहीह अला शर्त अश शैखैन)
इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) फरमाते हैं कि उन्हें यह बात पहुंची है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की फज्र की दो रिकात छूट गईं तो आपने सूरज निकलने के बाद उन्हें कज़ा पढ़ा। (मुअत्ता मालिक, माजा फी रिकातिल फज्र)
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म ने इरशाद फरमाया सुबह की नमाज़ पढ़ कर कोई और नमाज़ पढ़ने से रूके रहो यहां तक कि आफताब निकल जाए। (बुखारी व मुस्लिम)
मज़कूरा अहादीस से सराहतन मालूम हुआ कि अगर फज्र की सुन्नतें छूट जाएं तो सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाए लेकिन बाज़ अहबाब फज्र के फराएज़ से फारिग होते ही पढ़ लेते हैं और दलील में हज़रत अबू मूसा की रिवायत पेश करते हैं जो कि मुरसल है जिसकी सनद मुत्तसिल नहीं है जैसा कि खुद इमाम तिर्मीज़ी जिन्होंने यह रिवायत ज़िक्र की है फरमाते हैं कि यह हदीस मुरसल है।
अल्लाह तआला हम सबको नमाज़े फज्र शुरू होने से पहले दो रिकात सुन्नतों की पाबन्दी करने वाला बनाए ताकि शरीअत में जो असल मतलूब है उसपर अमल हो जाए।

सुनन व नवाफिल

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला फरमाता है कि बन्दा नवाफिल के ज़रिये मेरे क़ुर्ब में तरक़्क़ी करता रहता है यहां तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं और जब मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वह सुने, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वह देखे, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वह पकड़े, उसका पांव बन जाता हूं जिससे वह चले, जो वह मुझसे मांगता है मैं उसको देता हूं। (सही बुखारी) हाथ पांव बन जाने का मतलब यह है कि उसका हर काम अल्लाह की रिज़ा और मोहब्बत के मातहत होता है, उसका कोई भी अमल अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं होता।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन आदमी के आमाल में से सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा अगर नमाज़ सही निकली तो वह कामयाब होगा अगर नमाज़ खराब हुई तो वह नाकाम और घाटा में होगा और नमाज़ में कुछ कमी पाई गई तो इरशादे खुदावंदी होगा कि देखो इस बन्दे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों को पूरा कर दिया जाए, अगर निकल आएं तो उनसे फ़र्ज़ की पूरी कर दी जाएगी। (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा, नसई, अबू दाऊद, मुसनद अहमद)

मज़कूरा और दूसरे अहादीस की रौशनी में हर मुसलमान को चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज़ के साथ सुनन व नवाफिल का भी खास एहतेमाम करे ताकि अल्लाह तआला का क़ुर्ब भी हासिल हो जाए जैसा कि ऊपर की हदीस से मालूम हुआ कि बन्दा नवाफिल के ज़रिये अल्लाह तआला से करीब होता जाता है। नीज़ अगर खुदानखास्ता क़यामत के दिन फ़र्ज़ नमाज़ों में ुछ्क कमी निकले तो सुनन व नवाफिल से उसकी भरपाई कर दी जाए जैसा कि हदीस की किताबों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िक्र किया गया।

सुनन व नवाफिल को घर के उस खास हिस्सा में अदा करना जो नमाज़ के लिए मखसूस किया गया है मस्जिद में अदा करने से बेहतर है और अफ़ज़ल है, अलबत्ता घर में अगर सुकून व इतमिनान नहीं है या मस्जिद से वापस आ कर दुनियावी कामों में घिर जाने का अंदेशा है तो बेहतर है कि मस्जिद में ही सुनन व नवाफिल अदा कर लें। हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ लोगो! अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो, इसलिए कि सिवाए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाकी नमाजें (सुन्नतें और नवाफिल) घर में अदा करना अफ़ज़ल है। (बुखारी व मुस्लिम) हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में अदा कर लो तो ुछ्क नमाज़ (सुनन व नवाफिल) घर में भी पढ़ा करो, इसलिए कि अल्लाह तआला नमाज़ों की बदौलत घर में खैर व बरकत पैदा करता है। (मुस्लिम)

नमाज़े तहज्जुद

क़ुरान करीम में फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जिस नमाज़ का ज़िक्र ताकीद के साथ बार बार किया गया वह तहज्जुद की नमाज़ है जो तमाम नवाफिल में सबसे अफ़ज़ल नमाज़ है। इरशादे बारी है "**वह लोग रातों को अपने बिस्तरों से उठकर अपने रब के अज़ाब के डर से और सवाब की उम्मीद पर पुकारते रहते हैं**"" (यानी नमाज़, ज़िक्र और दुआ में लगे रहते हैं) (सूरह सजदा 16) यह उनकी सिफत और अमल है लेकिन जज़ा और बदला से बहुत ज़्यादा बड़ा है कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का जो सामान गैब के खजाने में मौजूद है उसकी किसी शख्स को भी खबर नहीं। यह उनको उनके आमाल का बदला मिलेगा जो वह किया करते थे। (सूरह सजदा 17) इसी तरह अल्लाह तआला फरमाता है "**रहमान के (सच्चे) बन्दे वह हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाम है और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुज़ार देतें हैं**" (सूरह फ़ुरक़ान 64) इसके बाद सूरह के आखिर में अल्लाह तआला फरमाता है यही लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत में बाला खाने दिए जाएंगे, नीज़ अल्लाह तआला का फरमान है वह लोग रात में बहुत ही कम सोया करते थे (यानी रात के अक्सर हिस्सा में इबादत में मशगूल रहते थे) और रात के आखिरी हिस्से में इस्तिगफार किया करते थे। (सूरह जारियात 178)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल नमाज़ रात की है यानी तहज्जुद (जो रात के आखिर हिस्सा में अदा की जाती है)। (मुस्लिम)
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ लोगो! सलाम फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ और रातों में ऐसे वक़्त नमाजें पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा)

हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब आदमी रात में अपने घर वालों को जगाता है और मियां बीवी दोनों तहज्जुद की (कम से कम) दो रिकात पढ़ लेते हैं तो उन दोनों का शुमार ज़िक्र करने वालों में हो जाता है। (अबू दाऊद)

हज़रत हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम फरमाते यहां तक कि आप के पांव मुबारक में वरम (फूल) आ जाता। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आपके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं (अगर होते

भी) फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनू। (बुखारी)

सुन्नते मुअक्कदा (दो रिकात नमाज़े फज्ऱ से पहले, चार रिकात नमाज़े ज़ुहर से पहले, दो रिकात नमाज़े ज़ुहर के बाद, दो रिकात नमाज़े मग़रिब के बाद और दो रिकात नमाज़े इशा के बाद)

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जिस शख्स ने दिन और रात में बारह रिकातें पढीं जो कि फ़र्ज़ नहीं उके लिए जन्नत में एक घर बना दिया गया। (मुस्लिम) तिर्मीज़ी में यह रिवायत वज़ाहत के साथ आई है। हज़रत उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दिन रात में यह बारह रिकातें पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा, चार ज़ुहर से पहले और दो ज़ुहर के बाद, दो मग़रिब के बाद, दो इशा के बाद, दो फज्ऱ से पहले। (तिर्मीज़ी) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर से पहले चार रिकातें अदा फरमाते, फिर लोगों को मग़रिबकी नमाज़ पढ़ाते और घर वापस तशरीफ लाकर दो रिकात नमाज़ पढ़ते, फिर लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते और घर तशरीफ लाकर दो रिकात नमाज़ अदा फरमाते थे। (मुस्लिम)

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज्ऱ की दो रिकात (सुन्नत)

दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। एक दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह दो रिकात पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब हैं। (मुस्लिम) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज़्र की दो रिकात (सुन्नत) न छोड़ो अगरचे घोड़ों से तुमको रौंद दिया जाए। (अबू दाऊद) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने फज़्र की दो रिकात (सुन्नत) न पढ़ी हो तो उसे चाहिए कि सूरज निकलने के बाद पढ़े (तिर्मीज़ी) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर से पहले चार रिकात और फज़्र से पहले दो रिकात कभी नहीं छोड़ते थे। (बुखारी) हज़रत उम्मुल मोमेनीन उम्मे हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने ज़ुहर से पहले चार और और ज़ुहर के बाद भी चार रिकातें पढ़ने की पाबन्दी की अल्लाह तआला ने उसको (जहन्नमकी) आग पर हराम कर दिया। (तिर्मीज़ी, अबू दाऊद) हज़रत उम्मुल मोमेनीन उम्मे हबीबा (रज़ियल्लाहु अन्हा) रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन बन्दा भी ज़ुहर के बाद चार रिकातें पढ़ता है उसे जहन्नम की आग इंशाअल्लाह कभी नहीं छुएगी। (नसई)

(वज़ाहत) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) की रिवायत से ज़ुहर से पहले की चार सुन्नतें और फज़्र से पहले की दो सुन्नतें साबित हुईं।

यह सुन्नते मुअक्कदा हैं, आप इनका खास एहतेमाम फरमाते थे जबकि हज़रत उम्मे हबीबा वाली रिवायत में ज़ुहर के बाद चार रिकात की फज़ीलत बयान हुई। फुक़हा ने लिखा है कि यह दो रिकात सुन्नते मुअक्कदा के अलावा दो नफल हैं। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ुहर से पहले चार रिकात न पढ़ते तो उन्हें बाद में पढ़ लेते। (तिर्मीज़ी) हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुहर से पहली चार रिकात रह जाती तो आप ज़ुहर के बाद दो रिकात अदा करके छूटी हुई चार रिकात अदा फरमाते थे। (इब्ने माजा)

(वज़ाहत) कभी कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर से पहले दो रिकात अदा करते थे जैसा कि मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रिवायत में हैं।
सुनने गैर मुअक्कदा (चार रिकात नमाज़े असर से पहले और चार रिकात नमाज़े इशा से पहले)
हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले चार रिकात पढ़ते थे। (तिर्मीज़ी) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला उस शख्स पर रहम करे जिसने असर से पहले चार रिकात पढ़ी। (तिर्मीज़ी, अबू दाऊद)

(वज़ाहत) अगर वक़्त कम है तो दो रिकात भी पढ़ सकते हैं जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े असर से पहले (कभी कभी) दो रिकात नमाज़ अदा फरमाते थे। हज़रत अली के हवाला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म का यह इरशाद नक़ल किया है कि जिसने इशा से पहले चार रिकात पढ़ी गोया उसने रात को तहज्जुद पढ़ी और इशा के बाद चार रिकात पढ़ने वाले को शबे क़दर में चार रिकात पढ़ने का सवाब मिलेगा। बैहक़ी ने इस रिवायतको हज़रत आइशा से और नसई व दारे क़ुतनी ने हज़रत काब से नक़ल किया है।

हज़रत ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हज़रात सहाबा-ए-किराम इशा की नमाज़ से पहले चार रिकात को मुस्तहब समझते थे। अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खां शरह बुलूगुल मराम (मिसकुल खिताम, जिल्द 1, पेज 525-529) में नक़ल करते हैं कि इशा से पहले चार रिकात मुस्तहब हैं नीज़ इशा से पहले दो रिकात नमाज़ पढ़ने को भी वह हदीस शामिल है जिमें अज़ान व इक़ामत के दरमियान नफल नमाज़ पढ़ने की तरगीब है।

उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में सवाल किया गया तो आप ने फरमाया कि आप लोगों के साथ इशा की नमाज़ पढ़ कर घर आते और चार रिकात पढ़कर बिस्तर पर आराम फरमाते। (अबू दाऊद) उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती

हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इशा के बाद नमाज़ पढ़कर मेरे यहां तशरीफ नहीं लाए मगर आपने चार या छः रिकातें (दो रिकात सुन्नते मुअक्कदा के साथ) ज़रूर पढ़ीं। (अबू दाऊद)

नमाज़े वित्र के बाद बैठ कर दो नफल पढ़ना मुस्तहब है

हज़रत अबू सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे मे पूछा तो हज़रत आइशा ने फरमाया कि आप तेरह रिकातें पढ़ते थे, पहले आठ रिकात तहज्जुद पढ़ते फिर तीन रिकात वित्र पढ़ते फिर दो रिकात बैठ कर पढ़ते। (मुस्लिम)

हज़रत उम्म सलमा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद दो हल्की रिकातें (नफल) बैठ कर पढ़ा करते थे। (इब्ने माजा, तिर्मीज़ी)

हज़रत अबू उमामा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद दो रिकात (नफल) बैठ कर पढ़ा करते थे, पहली रिकात में सूरह ज़ुलज़िलत और दूसरी रिकात में सूरह काफेरून पढ़ते थे। (मुसनद अहमद)

नमाज़े इशराक़

अक्सर उलमा ने इशराक़ और चाश्त की नमाज़ों को अलग अलग नमाज़ शुमार किया है, सूरज निकलने से तक़रीबन 15 से 20 मिनट बाद इशराक की नमाज़ अदा की जाती है जो सूरज में तेजी आने तक पढ़ी जा सकती है। चाश्त की नमाज़ का वक़्त सूरज में तेजी

आने के बाद ज़वाले आफताब तक है। इशराक के वक़्त दो या चार रिकात अदा करें। चाश्त की भी चार रिकातें हैं अगरचे बाज़ अहादीस में आठ रिकातों का भी ज़िक्र मिलता है, इस लिए इन औक़ात में अल्लाह तआला जितनी तौफीक़ दे नफल नमाज़ अदा कर लें।
हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों की वसीयत फरमाई है, जब तक मैं ज़िन्दा रहूंगा इनको नहीं छोड़ूंगा, हर महीने तीन दिन के रोज़े रखना, इशराक की नमाज़ अदा करना, सोने से पहले वित्र पढ़ना। (मुस्लिम)

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक की चार रिकात नमाज़ पढ़ते थे और कभी ज़्यादा भी पढ़ते थे। (मुस्लिम)

हज़रत अबूज़र गिफारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सही सालिम जोड़ या हडडी के बदले हर रोज़ सुबह को तुम पर सदका वाजिब होता है। सुबहानल्लाह कहना सदका है, अलहमदुलिल्लाह कहना सदका है, लाइलाह इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, नेकी का हुकुम देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है और इन सबके लिए वह दो रिकातें हो जाती हैं जिन्हें कोई चाश्त के वक़्त पढ़ता है। (मुस्लिम)

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) चाश्त की आठ रिकात पढ़ा करती थीं, फिर फरमाती कि अगर मेरे वालिदैन को आरे से चीर भी दिया जाए तो मैं यह नहीं छोड़ूंगीं। (मुअत्ता इमाम मालिक)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फज़्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ता है और सूरज निकलने तक अल्लाह तआला के ज़िक्र में मशगूल रहता है फिर दो रिकात नफल पढ़ता है तो उसे हज और उमरह का सवाब मिलता है, हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा इरशाद फरमाया पूरे हज व उमरह का सवाब, पूरे हज व उमरह का सवाब, पूरे हज व उमरह का सवाब मिलता है। (तिर्मीज़ी)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लशकर भेजा जो बहुत ही जल्द बहुत सारा गनीमत का माल लेकर वापस लौट आया। एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! हमने कोई ऐसा लशकर नहीं देखा जो इतनी जल्दी इतना सारा माले गनीमत लेकर वापस आया हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इससे भी कम वक़्त में इस माल से बहुत ज़्यादा माले गनीमत कमाने वाला शख्स न बताऊं? यह वह शख्स है जो अपने घर से अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद जाता है, फज़्र की नमाज़ पढ़ता है, फिर (सूरज निकलने के

बाद) इशराक की नमाज़ पढ़ता है तो यह बहुत थोड़े वक़्त में ज़्यादा नफा कमाने वाला है। (सही इब्ने हिब्बान)

हज़रत मआज़ बिन अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स फज़्र की नमाज़ से फारिग हो कर उसी जगह बैठा रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर दो रिकात (इशराक की नमाज़) पढ़ता है उसके (छोटे) गुनाह माफ हो जाते हैं चाहे वह समुन्दर के झाग से ज़्यादा ही क्यों न हों। (अबू दाऊद)

हज़रत अबू दरदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तआला फरमाता है आदम के बेटे! दिन के शुरू में चार रिकात पढ़ने से आजिज़ न बन, मैं तुम्हारे दिन भर के काम बना दूंगा। (मुसनद अहमद, सही इब्ने हिब्बान)

मग़रिब और इशा के दरमियान नवाफिल (नमाज़े औवाबीन)

मग़रिब और इशा के दरयमान का वक़्त बहुत क़ीमती वक़्त है, इसको गनीमत समझ कर इसमें कुछ नवाफिल पढ़ना यक़ीनन अजर व सवाब का बाइस है, अल्लाह तआला फरमाता है “**इन के पहलू सोने की जगह से जुदा रहते हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन को दिया है उसमें खैरात किया करते हैं।**” (सूरह सजदा 16) जमहूर उलमा की राय में इस

आयत से मुराद दरमियान नफल नमाज़ अदा करना है। (तफसीर इब्ने कसीर, फतहुल क़दीर)

इसी तरह अल्लामा इब्ने जौज़ी अपनी किताब ज़ादुल मसीर जिल्द 6 पेज 339 में लिखते हैं: हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते है कि यह आयत उन सहाबा की तारीफ में नाज़िल हुई जो मग़रिब और इशा के दरमियान नफल नमाज़ पढ़ते थे।

शैख मोहम्मद बिन नसर अलमरवज़ी ने क़यामुल लैल पेज 56 पर बहुत से सहाबा का अमल नक़ल किया है कि वह उस वक़्त में नवाफिल पढ़ते थे, हज़रत अबू मामर फरमाते है कि सहाबा-ए-किराम मग़रिब के बाद चार रिकात पढ़ने को मुस्तहब समझते थे। (क़यामुल लैल, पेज 58)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मग़रिब की नमाज़ के बाद छः रिकातें इस तरह पढ़ता है कि उनके दरमियान कोई फ़िज़ूल बात नहीं करता तो उसे बारह साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। (तिर्मीज़ी)

हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के साहबजादे हज़रत मोहम्मद बिन अम्मार फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अम्मार बिन यासिर को मग़रिब के बाद छः रिकात अदा करते देखा और उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुसतफा सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम को मग़रिब के बाद छः रिकात अदा करते हुए देखा और उन्होने फरमाया जो शख्स मग़रिब के बाद छः रिकात पढ़ले तो उसके तमाम (छोटे) गुनाह माफ कर दिए जाते है खाह वह समुन्दर के झाग के बराबर ही क्यो न हों।

(वज़ाहत) मग़रिब के बाद दो रिकात सुन्नते मुअक्कदा के अलावा चार रिकात नवाफिल और पढ़ी जाए तो छः रिकात हो जाऐगी, बाज़ उलमा के नज़दीक यह छः रिकत मग़रिब की दो रिकात सुन्नते मुअक्कदा के अलावा है।

तहैयतूल वज़ू

हज़रत अबू हूरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ नमाज़े फज्र के बाद हज़रत बिलाल से पूछा ऐ बिलाल इस्लाम लाने के बाद अपना वह अमल बताओ जिससे तुम्हें सवाब की सबसे ज़्यादा उम्मीद हो क्योंकि कि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुनी, हज़रत बिलाल ने कहा कि मुझे अपने आमाल मे सबसे ज़्यादा उम्मीद जिस अमल से है वह यह है कि मैंने रात या दिन में जब किसी वक़्त वज़ू किया तो उस वज़ू से इतनी नमाज़ (तहैयतूल वज़ू) ज़रूर पढ़ी है जितनी मुझे अल्लाह तआला की तरफ से उस वक़्त तौफीक़ मिली है। (बुखारी व मुस्लिम)

तहैयतुल मस्जिद

हज़रत अबू क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी मस्जिद मे दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रिकात नमाज़ अदा करे। (बुखारी व मुस्लिम)

(वज़ाहत) अगर कोइ शख्स ऐसे वक़्त मे मस्जिद मे दाखिल हुआ कि जिसमे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने को सराहतन मना किया है (सूरज निकलने के वक़्त, ठीक दोपहर मे और सूरज डूबने के वक़्त) तो उसे चाहिए कि वह तहैयतुल मस्जिद न पढ़े।

सुनन नमाज़े जुमा

हज़रत सलमान फारसी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, जितना हो सके पाकी का एहतेमाम करता है और तेल लगाता है या अपने घर से खुशबू इस्तेमाल करता है फिर मस्जिद जाता है, मस्जिद पहुंचकर जो दो आदमी पहले से बैठे हों उनके दरमियान में नहीं बैठता और जितनी तौफीक़ होज ुमा से पहले नमाज़ पढ़ता है, फिर जब इमाम खुतबा देता है उसको तवज्जोह और खामोशी से सुनता है तो इस जुमा से गुजशता जुमा तक के गुनाहों को माफ कर दिया जाता हे। (बुखारी)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जुमा के दिन गुस्ल

किया फिर मस्जिद में आया और जितनी नमाज़ उसके मुक़द्दर में थी अदा की, फिर खुतबा होने तक खामोश रहा और इमाम के साथ फ़र्ज़े नमाज़ अदा की उसके जुमा से जुमा तक और मज़ीद तीन ज़्यादा के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। (मुस्लिम)

बुखारी व मुस्लिम में वारिद मज़कूरा बाला हदीस से मालूम हुआ कि जुमा की नमाज़ से पहले बाबरकत घड़ियों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ सकें पढ़ें। कम से कम खुतबा शुरू होने से पहले चार रिकातें तो पढ़ ही लें जैसा (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 पेज 131) में लिखा है कि हज़रत इब्राहिम (रहमतुल्लाह अलैह) फरमाते हैं कि हजराते सहाबा-ए-किराम नमाज़े जुमा से पहले चार रिकातें पढ़ा करते थे।

नमाज़े जुमा के बाद दो रिकातें या छः रिकातें पढ़ें, यह तीनों अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम से साबित हैं। बेहतर यह है कि छः रिकातें पढ़ लें, ताकि तमाम अहादीस पर अमल हो जाए और छः रिकातों का सवाब भी मिल जाए। हज़रत सालिम (रहमतुल्लाह अलैह) अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद दो रिकातें पढ़ते थे। (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम से कोई जुमा पढ़ ले तो उसके बाद चार रिकातें पढ़ें। (मुस्लिम)

हज़रत अता फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को जुमा के बाद नमाज़ पढ़ते देखा कि जिस जानमाज़ पर आपने जुमा पढ़ा उससे थोड़ा सा हट जाते थे फिर दो रिकातें पढ़ते थे फिर चार रिकातें पढ़ते थे। मैंने हज़रत अता से पूछा कि आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को कितनी बार ऐसा करते देखा? उन्होंने फरमाया बहुत बार। (अबू दाऊद)

इसीलिए अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के बाद चार रिकात पढ़नी चाहिए और सहाबा-ए-किराम से छः रिकात भी मंक़ूल हैं। (मुख्तसर फतावा इब्ने तैमिया पेज 79)

(वज़ाहत) नमाज़े वित्र के वुजूब और उसके एहतेमाम के मुतअल्लिक़ दलाइले शरईया की रौशनी में तफसील से एक मज़मून तहरीर किया है, उसका मुतालआ करें।

नोट- मज़मून में वारिद तमाम अहादीस के तफसीली हवालों के लिए मेरी किताब (हैया अलस्सलात) का मुतालआ करें जो मुख्तलिफ वेबसाइट पर फ्री डाउनलोड करने के लिए मौजूद है।

अल्लाह तआला हम सबको फराएज़ के साथ नवाफिल का भी एहतेमाम करने वाला बनए, आमीन।

तशहहुद में उगली का इशारा

शरीअते इस्लामिया में वाज़ेह हुकुम मौजूद होने की वजह से रोज़मर्रा के तक़रीबन 80 फीसद प्रैक्टीकल मसाइल में उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है, अलबत्ता चंद असबाब की वजह से रोज़मर्रा के तक़रीबन 20 फीसद प्रैक्टीकल मसाइल में क़दीम ज़माना से ही इखतिलाफ चला आ रहा है। इन्हीं 20 फीसद मुखतलफफी मसाइल में तशहहुद में उंगली से इशारा करने की कैफियत का मसअला भी है। अगरचे उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि तशहहुद में उंगली से इशारा करना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है, यानी अगर कोई शख्स तशहहुद में इशारा ही न कर सके तब भी उसकी नमाज़ पूरी अदा होगी। मगर असरे हाज़िर में जबकि दुशमनाने इस्लाम मुसलमानों और इस्लाम पर हर तरफ से हमला कर रहे हैं और उम्मते मुस्लिमा को रोज़ नए नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है बाज़ अहबाब (जिनका मकतबे फिक्र पूरे बर्रे सगीर में मुसलमानों की आबादी का एक फीसद भी नहीं है) मुसलमानों की मौजूदा आलमी सूरते हाल से वाक़फियत के बावजूद उम्मते मुस्लिमा को ऐसे छोटे छोटे मसाइल में उलझाना चाहते हैं जिन का हल न आज तक हुआ है और न बज़ाहिर कोई हल की उम्मीद है और न ही ये ऐसा मसअला है जो क़ुरान व हदीस के हुकुम के खिलाफ हो। सउदी अरब के 16 साल के क़याम के दौरान बहुत से अहबाब ने ये मसअला मुझ से पूछा जिसका इखतिसार के साथ जवाब दे दिया, बाज़ दोस्तों ने इस मौज़ू पर मज़मून तहरीर करने को भी कहा लेकिन दूसरे अहम मौज़ूआत पर खास तवज्जोह देने की गरज़ से नज़र अंदाज

किया। हाल ही में इस मौज़ू पर मुखतलिफ हज़रात के बयानात पर मुशतमिल एक वीडियो पर नज़र पड़ी तो ज़रूरत महसूस की कि जमहूर उलमा के क़ौल को दलील के साथ एक मुख्तसर मज़मून लिख दिया जाए ताकि सोशल मिडिया से सिर्फ एक ही बात सामने आने पर कहीं जमहूर उलमा की राय को गलत ही न समझ लिया जाए।

तशहहुद में शहादत की उंगली से इशारा करना बइत्तिफाक़ फ़ुक़हा व उलमा सुन्नत है और सही अहादीस से साबित है। इशारा की मुखतलिफ सूरतें अहादीस में मज़कूर हैं और सब जाएज़ हैं, उलमा-ए-अहनाफ के नज़दीक बेहतर सूरत यह है कि जब कलमा शहादत पर पहुंचें तो दाएं हाथ की छोटी और साथ वाली उंगली बन्द कर लें बीच वाली उंगली और अंगूठे का हलका बना लें, शहादत की उंगली को खुला रखें, लाइलाह पर शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर गिरा दें। उलमा-ए-अहनाफ की तरह बेशुमार मुहद्दिसीन व उलमा मसलन इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हमबल, इमाम नववी और इमाम बैहक़ी (रहमतुल्लाह अलैहिम) का भी यह मौक़िफ है कि तशहहुद में सिर्फ उंगली से इशारा करना है, इसको हरकत देना नहीं है।

हज़रत अब्दल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ादा में तशहहुद पढ़ते तो अपने दाहिने हाथ को दाहिने रान पर और बाएं हाथ को बाएं रान

पर रखते और शहादत की उंगली से इशारा फरमाते और अंगूठे को बीच की उंगली पर रखते। (सही मुस्लिम)

हज़रत अब्दल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह को (तौहीद के साथ) पुकारते तो उंगली मुबारक से इशारा करते और उंगली को हरकत नहीं देते थे। (अबू दाऊद)

इस हदीस में वज़ाहत मौजूद है कि तशहहुद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते थे, मगर इस को बार बार हरकत नहीं देते थे। सही मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर शरह लिखने वाले रियाजुस्सालेहीन के मुसन्निफ और मशहूर व मारूफ मुहद्दिस हज़रत इमाम नववी (दिमश्क़) (631 हिजरी - 676 हिजरी) ने लिखा है कि इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है और इसकी सनद सही है। (अलमजमू जिल्द 3 पे 471) और इमाम इब्ने मुलक्क़िन (723-804) (क़ाहिरा) ने लिखा है कि अबू दाऊद ने सही सनद के साथ यह हदीस रिवायत की है। (खुलासतुल बदरिल मुनीर)

जो हज़रात उंगली से इशारा करने के बजाए उंगली को हरकत देते रहते हैं वह हज़रात वाइल बिन हजर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की इस हदीस को दलील के तौर पर पेश करते हैं जिसमें है कि फिर आपने तीन उंगलियों को मिला कर हलका बनाया, एक को उठाया, मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हिलाते दुआ करते।

(मुसनद अहमद, बैहक़ी) इन हज़रात ने इस हदीस की बुनियाद पर नमाज़ के आखिर तक उंगली को हरकत देने के क़ौल को इखतियार किया, हालांकि इस हदीस में और न किसी दूसरी हदीस में यह लिखा है कि हरकत की क्या शकल हो, आहिस्ता या तेज़ और कब तक यह हरकत हो। नीज़ इस हदीस का यह मफहूम लेने की सूरत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर वाली इस हदीस से तआरुज़ भी हो रहा है जिसमें वज़ाहत के साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा तो करते थे मगर हरकत नहीं करते थे।

चूंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की हदीस इन हज़रात के मौक़िफ़ के वाज़ेह तौर पर खिलाफ है, लिहाज़ा उनके सामने एक ही रास्ता है कि इस हदीस को ज़ईफ़ क़रार दिया जाए बावजूद कि मशहूर व मारूफ मुहद्दिस इमाम नववी जैसे मुहद्दिस ने इस हदीस को सही क़रार दिया है और इमाम नववी की खिदमात को सारी दुनिया तसलीम करती है। चुनांचे असरे हाज़िर में शैख नासिरूद्दीन अलबानी ने अपने मक्तबे फिक्र की ताईद के लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की रिवायत के रावी (मोहम्मद बिन अजलान) को ज़ईफ़ क़रार देने की कोशिश की है, हालांकि 773 हिजरी में पैदा हुए सही बुखारी शरीफ की सबसे मशहूर शरह लिखने वाले इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा बिन हजर ने इनको (अहदुल उलमा अल आमिलीन) कह कर सिक़ह (भरोसे वाला रावी) क़रार दिया है।

जिस हदीस की बुनियाद पर यह हज़रात मुसलसल हरकत के क़ाइल हैं वह हज़रत आसिम से 11 रावियों ने रिवायत की है, हज़रत

ज़ायदा बिन कुदामा के अलावा तमाम 10 रावियों ने यह हदीस "युहर्रिकुहा" के लफ्ज़ के बेगैर रिवायत की है, जो इस लफ्ज़ के शाज़ होने की वाज़ेह दलील है और हदीस के मुत्तफक़ अलैह उसूल की बुनियाद पर हदीस में यह लफ्ज़ शाज़ कहलाएगा, लिहाज़ा इस हदीस को दलील के तौर पर पेश करना सही नहीं है जैसा कि हदीस के मशहूर व मारूफ इमाम इब्ने खुज़ैमा (233-231) ने अपनी किताब (सही इब्ने खुज़ैमा) में इस रिवायत को ज़िक्र करने के बाद इसके शाज़ होने की तरफ यूं इशारा किया है। (अहादीस में सिवाए इस हदीस के किसी भी हदीस में "युहर्रिकुहा" का लफ्ज़ नहीं है) सही मुस्लिम में इस मौज़ू से मुतअल्लिक बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं मगर एक हदीस में भी हरकत का लफ्ज़ नहीं आया है, सही मुस्लिम की तमाम ही अहादीस मे सिर्फ इशारा का लफ्ज़ वारिद होना इस बात की वाज़ेह अलामत है की असल मतलूब सिर्फ इशारा है।

मशहूर व मारूफ मुहद्दिस इमाम बैहक़ी ने अपनी हदीस की मशहूर किताब (सुनन कुबरा लिलबैहक़ी) में दोनों अहादीस में ततबीक़ इस तरह पेश की है कि हज़रत वाइल (रज़ियल्लाहु अन्हु) की हदीस में वारिद हरकत से मुराद इशारा है न कि इस को बार बार हरकत देना, क्योंकि इशारा बेगैर हरकत के होता ही नहीं, इस तरह हज़रत वाइल वाली हदीस भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की हदीस के मुवाफिक़ हो जाएगी। गरज़ ये कि इस मौक़िफ को इखतियार करने में दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा और किसी हदीस को ज़ईफ़ क़रार देने के लिए बहस व मुबाहसा में भी पड़ना नहीं पड़ेगा। मशहूर व मारूफ हनफी अरब आलिम मुल्ला अली क़ारी ने अपनी मशहूर व मारूफ

हदीस की किताब मिरक़ात में भी यही लिखा है कि यहां हरकतदेने से मुराद महज उंगली का उठाना है और उठाना बेगैर हरकत के होता ही नहीं।

गरज़ ये कि जमहूर उलमा खास कर उलमा-ए-अहनाफ, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हमबल, इमाम नववी और इमाम बैहक़ी जैसे जलीलुल क़दर उलमा ने यही क़ौल इखतियार किया है कि तशहहुद में उंगली से एक मरतबा इशारा करना काफी है, नमाज़ के इखतिताम तक बराबर हरकत करते रहने का कोई सुबूत नहीं मिलता है। बर्रे सगीर के जमहूर उलमा ने यही क़ौल इखतियार किया है जो मुख्तलफ फीह मसाइल में 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर व मारूफ मुहद्दिस व फकीह इमाम अबू हनीफा की क़ुरान व हदीस की रोशनी में राय को तरजीह देते हैं।

एतेराज़ का जवाब

उन हज़रात की तरफ से यह एतेराज़ किया जाता है कि लाइलाह पर शहादत की उंगली उठाने और इल्लल्लाह पर गिराने का वाज़ेह सुबूत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है। पहली बात तो यह है कि अहादीस में वारिद इशारा का लफ्ज़ खुद इस बात की दलील है कि यहां सिर्फ इशारा करना मुराद है न कि हरकत और इशारा इल्लल्लाह पर खुद ही खत्म हो जाएगा। सही मुस्लिम में बहुत सी जगहों पर इस मसअला के मुतल्लिक बहुत सी अहादीस ज़िक्र की गई हैं, मगर तमाम ही जगहों पर सिर्फ   इशारा का लफ्ज़ आया है, एक जगह पर भी हरकत या मुसलसल हरकत का लफ्ज़

नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि उंगली उठाने का सिलसिला नमाज़ के खत्म तक जारी रखने या नमाज़ के खत्म तक हरकत जारी रखने को कोई सुबूत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद नहीं है।

इशारा की हक़ीक़त

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इशारा दरअसल तौहीद का इशारा था और तौहीद तशहहुद का नाम है, क्योंकि इसमें अल्लाह की वहदानियत का इक़रार और उसकी गवाही देना है और तौहीद मेंएक तो गैरूल्लाह से उलूहियत की नफी है और दूसरे अल्लाह की उलूहियत का इक़रार और इसबात है तो इशारा भी नफी और इसबात होना चाहिए, इसलिए उलमाए अहनाफ ने फरमाया कि इसबात के लिए उंगली उठाना और नफी के लिए उंगली का रखना है। हदीस से भी इसकी ताईद होती है। हज़रत ख़ुफाफ बिन ईमा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ के आखिर में यानी क़ादा में बैठते तो अपनी उंगली मुबारक से इशारा फरमाते थे। मुशरिकीन कहते थे कि (अल्लाह की पनाह) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इशारा से जादू करते हैं, हालांकि मुशरिकीन झूट बोलते थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इशारा से तौहीद का इशारा करते थे यानी यह अल्लाह तआला के एक होने का इशारा है। (मजमउज़ज़वायद) मुहद्दिस अल्लामा हैसमी ने लिखा है कि इस हदीस को इमाम अहमद

और तबरानी ने रिवायत किया है और इस के रावी भी भरोसे वाले हैं।

शहादत की उगली उठाने की फ़ज़ीलत

हज़रत नाफे (रहमतुल्लाह अलैह) फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) जब नमाज़ (के क़ादा) में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और शहादत की उंगली से इशारा फरमाते और निगाह उंगली पर रखते फिर (नमाज़ के बाद) फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है "यह शहादत की उंगली शैतान पर लोहे से ज़्यादा सख्त है यानी तशहहुद की हालत में शहादत की उंगली से अल्लाह की वहदानियत का इशारा करना शैतान पर किसी नेज़े वगैरह मारने से भी ज़्यादा सख्त है।" (मुसनद अहमद)

उगली से इशारा क़िबला की तरफ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि इशारा करते हुए क़िबला की तरफ होता। (सुनन कुबरा लिलबैहक़ी) यानी इशारा के वक़्त उंगली का रूख आसमान की तरफ नहीं बल्कि क़िबला की तरफ होना चाहिए।

खुलासा कलाम

तशहहुद मे शहादत की उंगली से इशारा के सुन्नत होने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रोशनी में उलमा का इत्तिफाक़ है, अगरचे इशारा करने की कैफियत

में इखतिलाफ ज़माना कदीम से चला आ रहा है जिसका हल न आज तक हुआ है और न बज़ाहिर उसके हल की उम्मीद की जा सकती है। लिहाज़ा हमें चाहिए कि इस तरह के मसाइल में बहस व मुबाहसा में पड़ने के बजाए उम्मते मुस्लिमा के अहम व ज़रूरी मसाइल पर अपनी सलाहियतें लगानी चाहिए, मसलन उम्मते मुस्लिमा का अच्छा खासा तबक़ा नमाज़ ही पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो इन फुरूई मसाइल पर तवज्जोह देने के बजाए इस पर सलाहियतें लगाई जाएं कि हर मुसलमान किस तरह नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए, नीज़ हम अपनी सलाहियतें इस बात पर लगाएं कि किस तरह आम मुसलमान हराम रोज़ी से बच कर हलाल रोज़ी पर इकतिफा करने वाला बन जाए।

मैंने यह चंद सतरें सिर्फ इसलिए लिखी हैं कि बाज़ हज़रात जो पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी का एक फीसद भी नहीं हैं छाटे छोटे मसाइल पर उम्मते मुस्लिमा के दरमियान एक फितना मचा रखा है, हालांकि क़ुरान करीम में अल्लाह तआला ने फितना को क़त्ल से भी बड़ा गुनाह क़रार दिया है। हमें चाहिए कि हम दूसरी राय का इहतिराम करते हुए अपनी राय को खुश उसलूबी के साथ पेश करें।

गरज़ ये कि तशहहुद में इशारा की मुख्तलिफ सूरतें अहादीस में मज़कूर हैं और सब जाएज़ हैं, उलमा-ए-अहनाफ के यहां बेहतर सूरत यह है कि जब कलमा शहादत पर पहुंचे तो दाएं हाथ की छोटी और साथ वाली उंगली बन्द कर लें, बीच वाली उंगली और अंगूठे का हलका बना लें, शहादत की उंगली को खुला रखें, लाइलाहा पर शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर गिरा दें।

जुमा के दिन ईद होने पर नमाज़े जुमा भी अदा की जाए

बाज हजरात मसाइल से पूरी तरह वाकफियत के बेगैर गलत मालूमात लोगों को देते हैं जिनसे आम मुसलमान सिर्फ खलफशारी का शिकार होते हैं, मसलन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल अमल के बर खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली इजाजत को बाज हजरात इस तरह ब्यान करते हैंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को जिक्र किए बेगैर कहा जाता है कि अगर जुमा के दिन ईद हो जाये तो जुमा की नमाज़ के बजाये जुहर की नमाज़ अदा की जाये। हालांकि मसअला सिर्फ इतना है कि जो हजरात दूर दराज इलाकों से नमाज़े ईद पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि वह नमाज़े ईद से फारिग हो कर अगर अपने घर जाना चाहें तो चले जायें, फिर वह अपने घरों में जुहर के वक्त में नमाज़े जुहर अदा कर लें। लेकिन जो हजरात नमाज़े जुमा में हाजिर हो सकते हैं वह नमाज़े जुमा ही अदा करें चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन ईद होने पर ईद की नमाज़ के बाद नमाज़े जुहर का वक्त होने पर जुमा की नमाज़ ही पढ़ाई और सहाबा ने जुमा ही की नमाज़ पढ़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक उम्मते मुस्लिमा 1400 साल से जुमा के दिन ईद होने पर दोनों नमाजें यानी ईद और जुमा जमात के साथ पढ़ती आ रही है। लिहाजा हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल अमल की ही दूसरों को तालीम देनी चाहिए और वह यह है कि जुमा के दिन ईद होने पर ईद की नमाज़ के बाद जुहर के वक्त में जुमा की नमाज़ अदा करें अगरचे

दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग अपने घरों में जा कर जुहर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। हिन्द व पाक के जमुहूर उलमा का भी यही मौकिफ है। सउदी अरब के उलमा ने भी वजाहत के साथ लिखा है कि जिन मसाजिद में नमाज़े जुमा अदा की जाती है वहां जुमा के दिन ईद होने पर जुहर नहीं बल्कि जुमा की ही नमाज़ अदा की जाये और जिन मसाजिद में नमाज़े जुमा अदा नहीं होती वहां नमाज़े जुहर की जमात का एहतिमाम न किया जाये। मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में भी जुमा के दिन ईद होने पर ईद और जुमा दोनों नमाजें जमात के साथ अदा की जाती है।

हमारी तरफ से ईदुल फित्र की मुबारकबाद कबूल फरमाईये। अल्लाह तआला हमारे नेक आमात को कबूल फरमाए। आमीन

फितनों के दौर में औरतों का ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह जाना मुनासिब नहीं

इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जाया करती थीं जैसा कि अहादीस में मजकूर है। लेकिन बाज हकायक को हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। मसलन मदीना मुनव्वरा की हिजरत के दूसरे साल रमजान के रोजे फर्ज़ हुए। यानी 2 हिजरी से नमाज़े ईद की इब्तिदा हुई जबकि परदा का हूकुम 5 या 6 हिजरी में नाजिल हुआ। यानी तकरीबन इब्तिदाई पांच साल की नमाज़ में औरतें के जाने में कोई मसअला ही नहीं था क्योंकि परदा का हूकुम ही नाजिल नहीं हुआ था। नीज शरई अहकाम थोड़े थोड़े नाजिल हो रहे थे और किसी फितना की कोई उम्मीद थी नहीं थी, लिहाजा जरूरत थी कि औरतें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बराहे रास्त मुस्तफीज हो कर दीनी रहनुमाई हासिल करें। उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा जिनके जरिया शरीअते इस्लामिया का एक काबिले कदर हिस्सा उम्मते मुस्लिमा को पहुंचा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तकरीबन 48 साल हयात रहीं। सिर्फ 48 साल के दौर में औरतों के तअल्लुक से मुआशरा में जो तब्दिलियां उन्होंने अपनी जिन्दगी में देखीं तो फरमाया कि औरतो ने जो तजईन का तरीका इख्तियार कर लिया है और फितना के मौके बढ़ गए हैं, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्दा होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिदों में जाने से रोक देते, जैसा कि बनी इसराईल की औरतों को रोक दिया गया था। (मुस्लिम) नीज हुजूर अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में यकीनन औरतों को मस्जिदों में जाने की इजाजत थी मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने के बजाए वक्तन फवक्तन उनको घरों में नमाज़ पढ़ने की तरगीब देते थे। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के घर (नमाज़ के वास्ते) उनके हक में ज्यादा बेहतर हैं। यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के मुकाबला में उनके लिए घर में नमाज़ पढ़ना ज्यादा सवाब का बाइस है। (अबु दाउद) इसी लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत की नमाज़ अपने घर के अन्दर घर के सेहन की नमाज़ से बेहतर है। और उसकी नमाज़ घर की छोटी कोठरी में घर की नमाज़ से बेहतर है। (अबु दाउद) यानी औरत जिस कदर पोशीदा हो कर नमाज़ अदा करेगी उसी एतिबार से ज्यादा मुस्तहिक सवाब होगी। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी जिन्दगी में यह महसूस कर लिया था कि औरतों के लिए बेहतर यही है कि वह अपने घरों में नमाज़ अदा फरमाए, अब 1400 साल के बाद जबकि फितनों का दौर है, हर तरफ उरयानियत, बेहायाई और बेपरदगी आम हो चुकी है। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के जमाना की औरतें हमारे जमाना की औरतों के मुकाबला में हजार दरजा इल्म व तकवा में बढ़ी हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने उनके मस्जिदों में जाने से अपने तहफ्फुजात जिक्र किए। इहतियात का तकाजा भी यही है कि औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह न जायें। जिन फुकहा व उलमा ने औरतों को नमाज़े ईद के लिए जाने की इजाजत दी है उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की

तालीमात के मुताबिक चंद शरायत (मसलन परदा का मुकम्मल इहतिमाम, खुशबु के इस्तिमाल से इजतिनाब, जेब व जीनत के बेगैर जाना, किसी तरह के फितने का इमकान न होना और मर्द और औरत का इखतिलात न होना) को जरूरी करार दिया है।
अब आप खुद ही फैसला करें कि हमारे मौजूदा मुआशरा में औरतों का नमाज़े ईद के लिए जाने में क्या यह शर्त ूरेपहो सकते हैं? जवाब यकीनन मनफी में ही होगा। एक तरफ औरतों का नमाज़े ईद के लिए जाने की ज्यादा गुंजाइश नजर आती है जबकि दूसरी तरफ बहुत से मुंकरात यकीनी तौर पर मौजूद हैं लिहाजा इसी में भलाई है कि फितनों के इस दौर में औरतें नमाज़े ईद के लिए ईदगाह न जायें।
अगर हम सिर्फ पचीस तीस साल पहले की बात करें तो हिन्दुस्तान में भी औरतें बेगैर परदा के बाहर नहीं निकलती थीं जबकि पहली और दूसरी सदी हिजरी में ही औरतों के तअल्लुक से फुकहा व उलमा की एक जमात का यह मौकिफ रहा है कि औरतों का मस्जिद में नमाज़ की अदाएगी के लिए जाना मुनासिब नहीं है। मशहूर मुहद्दिस इमाम तिरमिजी ने अपनी हदीस की मशहूर किताब (तिरमिजी) में इस मौजू से मुतअल्लिक अहादीस जिक्र करने के बाद लिखा है कि शैख सुफयान सौरी और शैख अब्दुल्लाह बिन मुबारक का मौकिफ है कि औरतों का नमाज़े ईद के लिए जाना मकरूह है। यानी इब्तिदाए इस्लाम से ही यह मौकिफ सामने आ गया था कि औरतों के लिए नमाज़े ईद के लिए जाना मुनासिब नहीं है। हजरत इमाम तिरमिजी ने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा वाली हदीस भी जिक्र फरमाई। उलमाए अहनाफ का भी यही मौकिफ है कि औरतों का नमाज़े ईद के

लिए जाना मकरूह है। हिन्द व पाक के जम्हुर उलमा जो 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर मुहद्दिस व फकीह हजरत इमाम अबु हनीफा की कुरान व हदीस पर मबनी राय को तरजीह देते हैं की भी यही राय है कि औरतें नमाज़े ईद के लिए न जायें। गर्जकि इब्तिदाए इस्लाम से ही मसअला मजकूर में इख्तिलाफ है और मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा की एक बड़ी जमात की हमेशा यह राय रही है कि औरतों को नमाज़े ईद के लिए न जाने में खैर व भलाई व बेहतरी है, अब जबकि फितनों का दौर है तो हमें उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा वाला मौकिफ ही इख्तियार करना चाहिए।

मजकूरा मजमून पर एक साहब के एतिराज का जवाब

अससलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु

आप तो एतिराजात इस तरह थोपते हैं कि गोया आपको दीने इस्लाम का ठीकेदार बना दिया गया है और मैं सिर्फ और सिर्फ आप `जैस हजरात के लिए अपनी जिन्दगी वक्फ किए हुए बैठा हूं। बात समझ में आती है तो ठीक है वरना जहां आप मुतमईन हो सकते हैं रुजू करें। कुरान व हदीस की रौशनी में जो सही समझता हूं तहरीर करता हूं ख्वाह आप जैसे हजरात तसलीम करें या न करें। मुस्लिम औरतों की आम बुराईयों को किसी शख्स या मक्तबे फिक्र पर थोपना ऐसा ही है जैसा कि बाज इंसानों का दूसरें इंसनों पर जुल्म व ज्यादती करने की बिना पर पूरी इंसानियत को ही जिम्मेदार ठहरा कर सबको सूली पर लटका दिया जाये।

मौजू बहस मसअला में सिर्फ एक बात अर्ज है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की आम इजाजत दे रखी थी और जैसे हजरात नुक्ता-ए-नजर में औरतों

का ईदगाह जाए बेगैर औरतों की इसलाह मुमकिन नहीं है तो उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने खुल्फा-ए-राशिदीन के जमाना में सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में यह क्यों फरमाया गया कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हयात होते तो आप सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिदों में जाने से रोक देते जैसा कि बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि क्या बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों से रोक दिया गया था? हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया हाँ, बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों से रोक दिया गया था। उम्मुल मोमेनीन हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का यह फरमान खुल्फा-ए-राशिदीन के जमाना में सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में सामने आया और जमहूर मुहद्दिसीन यहां तक कि हजरत इमाम बुखारी और हजरत इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब (सही बुखारी व सही मुस्लिम) में जिक्र फरमाया है।

गर्जकि हदीस की तकरीबन हर मशहूर व मारूफ किताब में हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का यह कौल मजकूर है। हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के इस फरमान और दूसरे अहादीस नबविया की रौशनी में, नीज औरतों में आए तब्दिलियों के पेशे नजर पहली सदी हिजरी के फुकहा व उलमा व मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन की एक जमात ने बाकायदा यह फतवा जारी किया कि औरतों का नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जाना सही नहीं है। सवाल यह है कि हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा ने ऐसा क्यों कहा और अगर वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के खिलाफ था तो किसी सहाबी

या ताबई ने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा पर कोई तंकीद क्यों नहीं की। दुनिया की किसी भी किताब में हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के इस फरमान पर कोई तरदीद किसी भी सहाबा या ताबई से मौजूद नहीं है। हजरत इमाम तिरमिजी ने अपनी मशहूर व मारूफ हदीस की किताब तिरमिजी में पहली सदी हिजरी के फुकहा व मुहद्दिसीन के अकवाल को जिक्र करके हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का कौल भी जिक्र फरमाया। जिससे साफ जाहिर होता है कि हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा का मौकिफ वाजेह था कि अब औरतें ईदगाह न जायें, इसी लिए हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा से जिन्दगी में एक मरतबा औरतों के नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जाने की कोई तरगीब मजकूर नहीं है।

गर्जकि आप मुझसे जवाब तलब न करें बल्कि कयामत तक आने वाले मुस्लमानों की माँ हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा और उन ताबेईन और तबेताबेईन से जवाब तलब करें जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद सालों के बाद ही सहाबा-ए-कराम की मौजूदगी में औरतों को ईदगाह जाने की तरगीब देने के बजाये इस बात पर जोर दिया कि औरतें नमाज़े ईद `केलिए ईदगाह न जायें, नीज उन तमाम मुहद्दिसीन से सवाल करें कि उन्होंने हजरत आईशा रजी अल्लाहु अन्हा के कौल को अपनी हदीस की मशहूर व मारूफ किताबों में क्यों जिक्र किया तो इस पर तरदीद क्यों नहीं की। नीज हजरत इमाम तिरमिजी ने पहली सदी हिजरी के बाज फुकहा व मुहद्दिसीन के कौल को अपनी हदीस की मशहूर किताब तिरमिजी में जिक्र करके आप हजरात की तरह उन पर फतवा क्यों नहीं लगाया।

नमाज़े जुमा के वक्त की इब्तिदा ज़वाले आफताब के बाद से

नमाज़ की वक्त पर अदाएगी से मुतअल्लिक आयाते कुरानिया और मुतवातिर अहादीस की रौशनी में जमहूर मुफस्सेरीन, मुहद्दिसीन, फुकहा व उलमा-ए-किराम का इत्तिफाक है कि फर्ज नमाज़ को उसेक मुतऐयन और मुकर्रर वक्त पर पढ़ना फर्ज है जैसा कि अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है बेशक नमाज़ अहले ईमान पर फर्ज है जिसका वक्त मुकर्र है।

नमाज़े जुमा दूसरी नमाजों से मुख्तलिफ है कि वह वक्त के बाद पढ़ी ही नहीं जा सकती क्योंकि दूसरी फर्ज नमाजें वक्त खत्म होने पर बतौर कजा पढ़ी जाती है, जबकि नमाज़े जुमा छुटने पर नमाज़े जुहर यानी चार रिकात अदा की जाती है। तमाम अहले इल्म का इत्तिफाक है कि वक्त जुमा की नमाज़ के सही होने के लिए शर्त है। सही मुस्लिम की सबसे मशहूर शरह लिखने वाले इमाम नववी ने अपनी किताब अलमजमू में लिखा है कि उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि जुमा की कजा नहीं है। यानी जिसका जुमा फौत हो गया उसे नमाज़े जुहर अदा करनी होगी। इसी तरह पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि जिसने नमाज़े जुमा जुहर की वक्त में अदा की उसने नमाज़े जुमा वक्त पर अदा किया जैसा हजरत इमाम शाफई और सरे फुकहा ने इस मसला में इजमा-ए-उम्मत जिक्र किया है। पूरी उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक है कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद ही अदा करनी चाहिए क्योंकि पूरी जिन्दगी हूजुर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल रहा है और ज़वाले आफताब के बाद नमाज़े जुमा अदा करने में किसी का कोई

इख्तिलाफ भी नहीं है। ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा की अदाएगी की सूरत में जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा नीज़ हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफई और हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि ज़वाले आफताब के बाद नमाज़े जुमा दोबारा अदा करनी होगी और वक्त खत्म होने पर नमाज़े जुहर की कजा करनी होगी।

हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मशहूर कौल के मुताबिक सउदी अरब के आम मसाजिद में जुमा की पहली अजान तो ज़वाले आफताब से तकरीबन ढेड़ घंटा पहले होती है लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा की कुरान व हदीस की रौशनी पर मबनी राय के मुताबिक खुतबा की अज़ान ज़वाले आफताब के बाद होती है। मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में पहली अज़ान भी जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा के कौल के मुताबिक ज़वाले आफताब के बाद ही होती है। मगर कभी कभी देखने में आया है कि बाज मसाजिद में खुतबा वाली अज़ान ज़वाले आफताब से पहले ही दे दी जाती है जिससे बाज हजरात को तशवीश होती है कि चंद मिनट इंतिजार करने में कौन सी दुश्वारी है, सिर्फ चंद मिनट के इंतिजार पर काफी हजरात दूसरी अज़ान से पहले मस्जिद पहुंच कर जुमा की फजीलत हासिल करने वाले बन जायेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल की रौशनी में जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि दूसरी अज़ान शुरू होने के बाद मस्जिद पहुंचने वालों की नमाज़े जुमा तो अदा हो जाती है लेकिन उन्हें जुमा की फजीलत का कोई भी हिस्सा नहीं मिलता और न ही उनका नाम फरिशतों की रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। सउदी अरब के उलमा

ने इहतियात पर मबनी जमहूर उलमा की राय का इहतिराम करते हुए यही कहा है कि आम मसाजिद में खुत्बा की अज़ान ज़वाले आफताब से पहले न दी जाये और हरमैन शरीफैन में पहली अज़ान भी ज़वाले आफताब के बाद दी जाये।

मौज़ू की अहमियत के मद्दे नजर यह मज़मून लिख रहा हूँ। अल्लाह तआला सही बात लिखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।

नमाज़े जुमा के अव्वले वक्त के मुतअल्लिक फुकहा व उलमा की दो रायें हैं। दोनों रायें जिक्र करने से पहले इख्तिलाफ की असल वजह जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि बाज रिवायात नमाज़े जुमा जल्दी पढ़ने के मुतअल्लिक आई है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने उन से समझा कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब से पहले पढ़ी जा सकती है। हालांकि किसी एक हदीस में भी वजाहत केसाथ मजकूर नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा पढ़ा करते थे। जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा नीज हजरत इमाम अबु हनीफा, हजरत इमाम शाफई और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहिम ने कहा इन अहादीस में सिर्फ नमाज़े जुमा के लिए जल्दी जाने की ताकीद की गई है न कि ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा की अदाएगी की।

जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा नीज हजरत इमाम अबु हनीफा, हजरत इमाम शाफई और हजरत इमाम मालिक और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की दूसरी रिवायत के मुताबिक नमाज़े जुमा का वक्त जुहर की तरह ज़वाले आफताब के बाद से ही शुरू होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का मशहुर कौल यह है कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद ही पढ़नी चाहिए लेकिन

अगर ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा अदा करली गई तो ज़वाले आफताब के बाद लौटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुमा भी ईद है। इसलिए चाश्त के वक्त पढ़ने की गुंजाइश है। मशहुर हम्बली आलिम अल्लामा इबने रजब लिखते हैं कि सही मजहब के मुताबिक जुमा की नमाज़ ज़वाले आफताब के बाद ही वाजिब होती है अगरचे पहले अदा करने की गुंजाइश है।

जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा के कौल के बाज दलाएल

जमहूर उलमा के बहुत से दलाएल हैं लेकिन इख्तिसार के मद्दे नजर सही बुखारी व सही मुस्लिम में वारिद सिर्फ दो अहादीस लिख रहा हूँ।

1) हदीस की सबसे मुस्तनद किताब लिखने वाले हजरत इमाम बुखारी ने अपनी मशहुर व मारूफ किताब (सही बुखारी) में किताबुल जुमा के तिहत एक बाब का नाम इस तरह लिखा है जुमा का वक्त ज़वाले आफताब के बाद हजरत उमर, हजरत अली, हजरत नुमान बिन बशीर और हजरत उमर बिन हरीस रजी अल्लाहु अन्हुम से इसी तरह मंकूल है। गर्ज सहाबा-ए-किराम के साथ हजरत इमाम बुखारी का भी मौकिफ वाजेह है कि नमाज़े जुमा का वक्त ज़वाले आफताब के बाद से ही शुरू होता है। इमाम बुखारी इसी बाब में लिखते हैं कि हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा करते थे जिस वक्त सूरज ढलता यानी जवाल के बाद जुमा पढ़ते थे। सही बुखारी की सबसे मशहुर शरह लिखने वाले अल्लामा इबने हजर इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ज़वाले आफताब के बाद ही नमाज़े जुमा अदा करते थे। (फतहुल बारी)
यह हदीस इमाम बुखारी के अलावा दुसरे मुहद्दिसीन मसलन इमाम तिरमिजी ने भी अपनी किताब (तिरमिजी) में जिक्र की है। खुद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब (मुसनद अहमद) में भी जिक्र की है।
2) हदीस की दूसरी मुस्तनद किताब (सही मुस्लिम) में इमाम मुस्लिम ने किताबुल जुमा के तिहत एक बाब का नाम इस तरह लिखा है। जुमा की नमाज़ ज़वाले आफताब के बाद। और इस बाब में यह हदीस जिक्र फरमाई है हजरत अयास बिन सलमा बिन अकवा अपने वालिद से नकल करते हैं कि उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब सूरज जायल हो जाता था जुमा की नमाज़ पढ़ते थे फिर साया तलाश करते हुए लौटते थे। यह हदीस इमाम बुखारी ने भी सही बुखारी में जिक्र फरमाई है।
(नोट) सही बुखारी व मुस्लिम में वारिद इन दोनों अहादीस में वजाहत के साथ मजकूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद पढ़ा करते थे।
हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के कौल के दलाएल
1) हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में हम लोग गदा (दो पहर का खाना) और कैलूला जुमा के बाद किया करते थे। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) वजह इस्तिदलाल यह है कि डिकश्नरी में गदा (दो पहर का खाना) के मानी हैं। वह खाना जो ज़वाले आफताब से पहले खाया जाये। जब गदा नमाज़े जुमा के बाद खाया जायगा तो

नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब से पहले होनी चाहिए। लेकिन यह इस्तिदलाल सही नहीं है क्यों कि इसका मतलब हरगिज यह नहीं है कि सहाबा जुमा के दिन भी ज़वाले आफताब से पहले खाया करते थे। बल्कि वह खाना जो ज़वाले आफताब के बाद खाया जाता है उसे उरफन गदा ही कहते हैं जैसा कि मौजूदा जमाना में। मसलन हुजूर अकरम सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के मुतअल्लिक इरशाद फरमाया लेकिन दुनिया का कोई आलिम भी यह नहीं कहता कि सहरी जवाल से पहली खाइ जा सकती है।

2) हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे फिर लौट कर अपने पानी लाने वाले ऊंटों को आराम देते थे। रावी हजरत हसन ब्यान करते हैं कि मैंने रावी हजरत जाफर से कहा कि स्ङ वक्त क्या वक्त होता था। फरमाया आफताब ढ़लने का वक्त। (सही मुस्लिम) इस हदीस से नमाज़े जुमा का ज़वाले आफताब से पहले पढ़ने को साबित करना सही नहीं है क्योंकि जुमा दिन ज़वाले आफताब के बाद नमाज़े जुमा की अदाएगी के बाद भी पानी लाने वाले ऊंटों को आराम दिलाया जा सकता है जैसा कि दूसरी अहादीस से मालूम होता है। नीज यह सहाबी रसूल हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु का कौल नहीं बल्कि रावी का है, गर्जकि इस मुबहम इबारत से नमाज़े जुमा का वक्त ज़वाले आफताब से पहले शुरू होना साबित नहीं किया जा सकता है।

3) हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का इस्तिदलाल हजरत अब्दुल्लाह बिन सैयिदान सलमा रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत से भी है जो सुनन दारे कुतनी और मुसन्नफ इबने अबी शैबा में है

जिस में खुल्फा-ए-राशेदीन का जवाल से पहले जुमा पढ़ना मरवी है। मगर इस हदीस की सनद में जोफ की वजह से इस्तिदलाल करना सही नहीं है जैसा कि सही मुस्लिम की सबसे मशहुर शरह लिखने वाले इमाम नववी ने लिखा है कि हजरत अबु बकर, हजरत उमर फारूक और उसमान रजी अल्लाहु अन्हुम के नमाज़े जुमा से मुतअल्लिक आसार जईफ हैं और अगर सही मान भी लिया जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाजेह अहादीस की बिना पर इस मजकूरा हदीस में तावील व तौजीह ही की जाएगी।

4) हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने बाज उन अहादीस से भी इस्तिदलाल किया है कि जिन में नमाज़े जुमा के लिए सवेरे जाने की तरगीब वारिद हुई है। लेकिन इन अहादीस से ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा की अदाएगी को साबित करना सही नहीं है क्योंकि इन अहादीस से सिर्फ यह साबित होता है कि नमाज़े जुमा के लिए सवेरे यहां तक कि चाश्त के वक्त मस्जिद चले जाना चाहिए मगर इन अहादीस में इस तरह की कोई वजाहत वारिद नहीं है कि जुमा की नमाज़ ज़वाले आफताब से पहले अदा की जा सकती है।

खुलासा कलाम-पुरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि जुमा के दिन जुहर की जगह नमाज़े जुमा अदा की जाती है और अगर कोई शख्स किसी उजर की वजह से जमात के साथ नमाज़े जुमा अदा नहीं कर सका तो उसे नमाज़े जुहर ही अदा करनी होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स नमाज़े जुमा वक्त पर नहीं पढ़ सका तो कजा जुहर की नमाज़ (यानी चार रिकात) की करनी होगी। इसी तरह जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा का इत्तिफाक है कि नमाज़े जुमा का आखरी वक्त जुहर के आखरी वक्त की तरह है। यानी असर का

वक्त होने पर नमाज़े जुमा का वक्त खत्म हो जाएगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी यही कहा है कि नमाज़े जुमा का आखरी वक्त नमाज़े जुहर के आखरी वक्त की तरह है। जब जुमा का आखरी वक्त जुहर के आखरी वक्त की तरह है तो नमाज़े जुमा का अव्वले वक्त भी जुहर के अव्वले वक्त की तरह होना चाहिए।
इस पर भी पुरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद ही अदा करनी चाहिए अलबत्ता सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा है कि अगर ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा अदा करली गई तो नमाज़ को लौटाने की जरूरत नहीं है। जबकि जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा ने कहा कि ज़वाले आफताब से पहले जुमा पढ़ने पर नमाज़े जुमा अदा ही नहीं होगी। लिहाजा इहतियात का तकाजा यही है कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद ही अदा की जाए, बल्कि पहली अज़ान भी ज़वाले आफताब के बाद दी जाए तो इख्तिलाफ से बचने के लिए बेहतर है।
जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा नीज हजरत इमाम अबु हनीफा हजरत इमाम शाफी और हजरत इमाम मालिक रहमुतल्लाह अलैहिम और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की दूसरी रिवायत के दलाएल मफहुम और सनद के इतिबार से ज्यादा मजबूत है।
मजकूरा असबाब की वजह से जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा का कौल ही ज्यादा सही है
1) जमहूर उलमा के दलाएल सही अहादीस से साबित होने के साथ अपने मफहुम में बिल्कुल वाजेह है, जबकि दूसरी राय के बाज दलाएल अगरचे सही अहादीस पर मुशतमिल हैं लेकिन वह अपने

मफहुम में वाजेह नहीं है जबकि दुसरे रिवायात व आसार मफहुम में तो वाजेह है लेकिन उनकी सनद में जोफ है।

2) जमहूर मुहद्दिसीन व फुकहा व उलमा यहां तक कि चारों अईम्मा में से तीनों अईम्मा, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम नवी और चैदह सौ साल से जैयिद उलमा की यही राय है कि नमाज़े जुमा का वक्त ज़वाले आफताब के बाद से शुरू होता है।

3) जमहूर उलमा का कौल इख्तियार करने में इहतियात भी है कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद पढ़ने पर दुनिया के किसी भी आलिम का कोई इख्तिलाफ नहीं है जबकि ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा की अदाएगी पर जमहूर फुकहा व उलमा का फैसला है कि नमाज़े जुमा अदा नहीं होगी और बाद में नमाज़ का लौटाना जरूरी होगा।

4) अगरचे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा की अदाएगी की गुंजाइश रखी है मगर उन्होंने यही कहा है कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद ही अदा करना बेहतर है, चूनांचे सउदी उलमा (जो इख्तिलाफी मसाइल में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की राय को तरजीह देते हैं) ने यहीकहा है कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद अदा की जाए।

5) इमामुल मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी की शहादत के मुताबिक हजरत उमर, हजरत अली, हजरत नुमान बिन बशरी और हजरत उमर बिन हरीस रजी अल्लाहु अन्हुम का यही मौकफ है कि ज़वाले आफताब के बाद नमाज़े जुमा का वक्त होता है। हजरत इमाम बुखारी और हजरत इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों (सही बुखारी व सही मुस्लिम) में बाब का नाम रख कर ही अपना मौकफ वाजेह कर

दिया कि ज़वाले आफताब के बाद ही नमाज़ जुमा का वक्त शुरू होता है।

6) नमाज़े जुमा जुहर की नमाज़ का बदल है और आखरी वक्त के मुतअल्लिक हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का मौकफ जमहूर उलमा के मुताबिक है कि असर के वक्त पर जुमा का वक्त खत्म हो जाता है लिहाजा नमाज़े जुमा का अव्वले वक्त भी नमाज़े जुहर की तरह ज़वाले आफताब के बाद से ही होना चाहिए।

7) जुमा के वक्त की इब्तिदा ज़वाले आफताब से पहले मानने पर सवाल पैदा होता है कि किस वक्त या लम्हा से नमाज़े जुमा के वक्त की इब्तिदा मानी जाए? अहादीस में कोई वजाहत न होनेकी वजह से हम्बली मक्तब फिक्र के उलमा में भी वक्त की इब्तिदा `क मुतअल्लिक इख्तिलाफ है चूनंाचे बाज उलमा ने लिखा है कि नमाज़े ईद की तरह सूरज के रौशन होने से वक्त शुरू हो जाता है। यह बात जेहन में रखें कि सउदी अरब में ुईदफित्र और ईदुल अजहा की नमाज़ इशराक का वक्त शुरू होते ही फौरन अदा की जाती है जिस की वजह से ग्रमियों में साढ़े पांच बजे ईद की नमाज़ अदा हो जाती है। गर्जकि ज़वाले आफताब से पहले नमाज़े जुमा पढ़ने का कोई सबूत अहादीस में नहीं मिलता है।

8) ज़वाले आफताब के बाद अज़ान और नमाज़े जुमा की अदाएगी की सूरत में नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा होती है, और यह शरीअत में मतलूब है।

9) औरतें और माज़ूर हजरात जिन को अपने घर नमाज़े जुहर अदा करनी होती है ज़वाले आफताब के बाद पहली अज़ान देने पर उन्हें नमाज़े जुहर की अदाएगी का वक्त मालूम हो जाएगा। लेकिन ज़वाले

आफताब से एक या ढेढ घंटा पहले अज़ान देने से उन हजरात के लिए नमाज़ के वक्त शुरू होने का कोई एलान नहीं होगा।
हम्बली मक्तबे फिक्र के मशहुर आलिमे दीन अल्लामा इबने कुदामा अपनी मायानाज किताब (अलमुगनी 3/159) में लिखते हैं कि उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि जुमा ज़वाले आफताब के बाद कायम करना चाहिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे, हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाहु अन्हु ब्यान करते हैं कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज़ ज़वाले आफताब के बाद पढ़ते थे और फिर नमाज़ पढ़ कर साया तलाश करते हुए लौटते थे। (बुखारी व मुस्लिम) इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा करते थे जिस वक्त सूरज ढ़लता था। (सही बुखारी) इसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है क्योंकि तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि ज़वाले आफातब के बाद यकीनन जुमा का वक्त है लेकिन ज़वाले आफताब से पहले के मुतअल्लिक इख्तिलाफ है।
अब जबकि यह बात रोज व रौशन की तरह वाजेह हो गई कि नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब के बाद ही होनी चाहिए ताकि नमाज़ जैसी अहम इबादत की अदाएगी में कोई शब व शुब्हा न रहे, तो बाज मसाजिद में खुत्बा की अज़ान का ज़वाले आफताब से पहले देना कैसे सही हो सकता है? बल्कि अगर पहली अज़ान भी ज़वाले आफताब के बाद दी जाए तो इसमें ज्यादा इहतियात है नीज दुसरे तमाम अइम्मा की राय का इहतिराम भी है और किसी तरह का कोई नुक्सान भी नहीं है। बल्कि ज़वाले आफताब से ढ़ेढ घंटा पहले अज़ान

देने से अज़ान का मकसद ही खत्म हो जाता है। ज़वाले आफताब के बाद पहली अज़ान देने पर नमाजियों की तादा में इजाफा ही हे सकता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने सिर्फ यही तो कहाहै कि अगर नमाज़े जुमा ज़वाले आफताब से पहले अदा करली गई तो इसके लौटाने की जरूरत नहीं है लेकिन उन्होंने यह लालीम व तरगीब नहीं दी कि हम ज़वाले आफताब से पहले पहले अज़ान का इहतिमाम कर लें। अलहमदु ल्लिाह हमारे उलमा की जद्दु व जिहद से हरमैन में जुमा की पहली अज़ान ज़वाले आफताब के बाद होती है, दुआ करते हैं कि यह सिलसिला आम मसाजिद में भी शुरू हो जाए ताकि पहली अज़ान भी ऐसे वक्त में दी जाए कि इसमें दुनिया के किसी आलिम का कोई इख्तिलाफ न हो।

छूटी हुई रिकात की अदाएगी कैसे करें?

मर्द हजरात हत्तल इमकान फ़र्ज़ नमाज़ जमात के साथ ही अदा करें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ की मशरूइयत जमात के साथ वाबस्ता है जैसा कि कुरान करीम की आयात, अहादीसे शरीफा और सहाबा के अकवाल में मजकूर है। फ़र्ज़ नमाज़ जमात के बेगैर अदा करने पर फ़र्ज़ तो जिम्मा से साकित हो जायगा मगर मामूली उज्र की बिना पर जमात का छोड़ना गुनाह है। हमें फ़र्ज़ नमाज़ तकबीरे ऊला के साथ ही पढनी चाहिए, क्योंकि अहादीस में तकबीरे ऊला (पहली तकबीर) को नमाज़ की नाक और नमाज़ का निचोड़ करार दिया गया है। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स चालीस दिन इखलास से तकबीर ऊला के साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसको दो परवाने मिलते हैं। एक जहनम से बरी होने का और दूसरा निफाक से बरी होने का। (तिरमीज़ी)

तकबीरे ऊला के इहतिमाम के बावाजूद बसाऔकात हम जब मस्जिद पहुंचते हैं तो नमाज़ शुरू हो गई होती है तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम जमात में शरीक हो जायें ख्वाह इमाम किसी भी रुक्न में हो। अगर हमने इमाम के साथ कयाम या रुकू हासिल कर लिया तो शरअन वह रकात हासिल शुदा तसलीम की जायेगी। लेकिन अगर हम ऐसे वक्त में जमात में शरीकुएह कि इमाम के साथ रुकू मिलने में शक व शुबहा है तो इहतियातन इस रकात को हासिल किया हुआ तसलीम नहीं किया जायेगा।

इमाम के साथ नमाज़ में शरीक हो कर तमाम आमाल इमाम की तरह करते रहें। इमाम के सलाम फेरने के बाद अब हमें फौत शुदा रकात की अदाएगी करनी होगी। आम तरीका के मुताबिक ही फौत

शुदा रकात की अदाएगी के जायेगी, सिर्फ दो जगहों पर खुसूसी तवज्जोह दरकार है।

(1) सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ने या न पढ़ने के एतेबार से वह फौत शुदा रकात तसलीम की जायेगी, यानी हमें पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी पढ़नी होगी। तीसरी और चौथी फौत शुदा रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी होगी।

(2) सजदा के बाद कादा में बैठने या खड़े होने के एतेबार से देखा जायेगा कि मजमूई तौर पर कुल कितनी रकात हो गई।

चंद मिसलें

1) अगर आपको नमाज़ जुहर की सिर्फ दो रिकात इमाम के साथ मिली तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको फौतशुदा दो रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी पढ़नी होगी, क्योंकि यह आप की पहली और दूसरी फौतशुदा रकात हैं और पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत भी पढ़ी जाती है। लेकिन आप पहली फौतशुदा रकात के दोनों सजदों से फरागत के बाद खड़े हो जायेंगे क्योंकि यह मजमूई तौर पर आपकी तीसरी रकात हो गई। फौतशुदा दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत पढ़नी होगी और फिर आखिर में दोनों सज्दों से फरागत के बाद कादा में बैठ जायेंगे, क्योंकि यह मजमूई तौर पर आपकी चौथी रकात हो गई।

2) अगर आपको इशा की सिर्फ एक ही रकात इमाम के साथ मिली तो इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको तीन रकात अदा करनी होगी। पहली और दूसरी फौतशुदा रकात में फातिहा के बाद सूरत भी पढ़नी होगी, क्योंकि पहली और दूसरी रकात में फातिहा के बाद सूरत भी पढ़ी जाती है लेकिन तीसरी फौतशुदा रकात में सिर्फ फातिहा

पढ़नी होगी, क्योंकि तीसरी रकात में फातिहा के बाद सूरत नहीं पढ़ी जाती है। पहली फौतशुदा रकात के दोनों सज्दों से फरागत के बाद आप बैठ जायेंगे क्योंकि यह मजमूई तौर पर आपकी दूसरी रकात है और दूसरी रकात में दोनों सज्दों से फरागत के बाद बैठा जाता है। दूसरी फौतशुदा रकात में दोनों सज्दों से फरागत के बाद आप खड़े हो जायेंगे क्योंकि यह मजमूई तौर पर आपकी तीसरी रकात है और तीसरी रकात में दोनों सज्दों से फरागत के बाद खड़े होते हैं। तीसरी फौतशुदा रकात में दोनों सज्दों से फरागत के बाद आप बैठ जायेंगे क्योंकि यह मजमूई तौर पर आपकी आखरी रकात है।

3) अगर आप मगरिब की नमाज़ की अदाएगी के लिए मस्जिद पहुंचे और इमाम दूसरी रकात के कादा में था तो आपको इमाम की इत्तिबा में कादा में शरीक हो जाना चाहिए, लेकिन यह कादा सिर्फ और सिर्फ इमाम की इत्तिबा की वजह से है। जाहिर है कि इसके बाद आप इमाम के साथ एक रकात अदा करेंगे जिसमें वह कादा भी करेगा। आप तशहहुद पढ़ने के बाद इमाम के सलाम फेरने का इंतिजार करते रहें। इमाम के सलाम फेरने के बाद आप अपनी फौतशुदा दो रकात अदा करेंगे। चूंकि आप पहली और दूसरी रकात अदा कर रहे हैं लिहाजा दोनों रकात में फातिहा के बाद सूरत मिलायें। फौतशुदा पहली रकात के दोनों सज्दों के बाद आप बैठ जायें क्योंकि यह मजमूई तौर पर आपकी दूसरी रकात है और दूसरी रकात में कादा ऊला वाजिब है। फौतशुदा दूसरी रकात के दोनों सज्दों से फरागत के बाद आप बैठ जायें क्योंकि यह आपकी मजमूई तौर पर आपकी तीसरी रकात है और इसमें कादा अखीरा किया जाता है।

खुलासा कलाम - छूठी हुई रकात सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ने या न पढ़ने के एतेबार से फौतशुदा रकात तसलीम की जायेगी, यानी हमें पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी पढ़नी होगी और सज्दा के बाद कादा में बैठने या खड़े होने के एतेबार से देखा जायेगा कि मजमूई तौर पर कुल कितनी रकात हो गईं। बाकी नमाज़ की तरतीब वही है।

नोट - मसअला मजकूरा में जमहूर उलमा का इत्तिफाक है, लिहाजा मजमून की तिवालत से बचने की गर्ज से दलाएल पर बहस नहीं की गई, मसअला का सिर्फ खुलासा जिक्र कर दिया गया है।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 ृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उूर्द अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में ख़ुसूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ۱،
اصلاحی مضامین جلد ۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडयिोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख्तलफि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारविारकि मामले क़ुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधकिार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण वयक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जिक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR